# भारतीय रिज़र्व बैंक
# वित्तीय समावेशन और विकास विभाग
# नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय

## ई-निविदा/बोली

**भारत मंडपम परिसर में 14-27 नवंबर, 2026 के दौरान भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा आयोजित किए जाने वाले 45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2026 में भारतीय रिज़र्व बैंक के स्टॉल के फैब्रिकेशन, सजावट और रखरखाव के लिए**

**भाग–I**

**(तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)**

डॉ. सारदा प्रसन महांति
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
6, संसद मार्ग, नई दिल्ली

# विषय-सूची


| क्र.सं. | विवरण | | |
|---|---|---|---|
| 1. | खंड I | **ई-निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)** | |
| 2. | खंड II | **निविदा प्रपत्र** | |
| 3. | खंड III | **बोलीदाताओं के लिए अनुदेश** | |
| | क्लॉज़ | 1. | कार्य का नाम |
| | | 2. | कार्य का संक्षिप्त दायरा |
| | | 3. | केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) पर ई-निविदा |
| | | 4. | पात्रता मानदंड |
| | | 5. | निविदा प्रक्रिया |
| | | 6. | बयाना राशि (ईएमडी) |
| | | 7. | बोली-पूर्व बैठक |
| | | 8. | वैधता |
| | | 9. | भाषा |
| | | 10. | मूल्य-बोली (भाग II) में दरें |
| | | 11. | सफल बोलीदाता |
| | | 12. | करार की शर्तें (आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट) |
| | | 13. | साइट की स्थिति |
| | | 14. | डिबारमेंट/अदालती मामला |
| | | 15. | भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश |
| | खंड III (क) | **मूल्यांकन मानदंड** | |
| 4. | खंड IV | **संविदा की सामान्य शर्तें** | |
| | क्लॉज़ | 1. | व्याख्या क्लॉज़ |
| | | 2. | संविदा का दायरा |
| | | 3. | ड्रॉइंग, बिल ऑफ क्वांटिटी और करार |
| | | 4. | ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर सभी आवश्यक चीज़ें उपलब्ध कराना |
| | | 5. | प्राधिकारी, नोटिस और पेटेंट |
| | | 6. | कार्य का सेटिंग आउट |
| | | 7. | ठेकेदार का पर्यवेक्षण और कार्यस्थल पर प्रतिनिधि |

| क्र.सं. | विवरण | | |
|---|---|---|---|
| | | 8. | कार्यस्थल तक पहुँच |
| | | 9. | असाइनमेंट और सब-लेटिंग |
| | | 10. | परिवर्तन, परिवर्धन, लोप आदि |
| | | 11. | बैंक द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति |
| | | 12. | व्यक्ति और संपत्ति की क्षति के संबंध में बीमा |
| | | 13. | कार्य आरंभ और पूर्ण होने की तारीख |
| | | 14. | ठेकेदार द्वारा बैंक के अनुदेशों का पालन न करना |
| | | 15. | बैंक द्वारा संविदा की समाप्ति |
| | | 16. | प्रमाणपत्र और भुगतान |
| | | 17. | मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटान |
| | | 18. | अंतिम बिल की तकनीकी जाँच का अधिकार |
| | | 19. | कामगारों को दिए गए मुआवज़े की वसूली का बैंक का अधिकार |
| | | 20. | कार्य का परित्याग |
| | | 21. | ठेकेदार की मृत्यु होने पर संविदा समाप्त करने का बैंक का अधिकार |
| | | 22. | दुर्घटना रिपोर्ट |
| | | 23. | कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम |
| | | 24. | गोपनीयता (नॉन-डिस्क्लोज़र) क्लॉज़ |
| | | 25. | प्रोग्राम चार्ट/प्रगति रिपोर्ट |
| | | 26. | सांविधिक अनुमोदन |
| | | 27. | डिबारमेंट/अयोग्यता |
| | | 28. | पुलिस सत्यापन |
| 5. | खंड V | **संविदा की विशेष शर्तें** | |
| | | 1. | कार्य पूर्ण होने का समय |
| | | 2. | प्रतिभूति जमा का प्रकार |
| | | 3. | भुगतान की शर्तें |
| 6. | खंड VI | **कार्य का दायरा** | |
| 7. | खंड VII | **बिना मूल्य की बिल ऑफ क्वांटिटी/निविदा के भाग II की प्रति** | |

| क्र.सं. | विवरण | |
|---|---|---|
| | **अनुलग्नक** | |
| 1. | अनुलग्नक I | प्रस्ताव पर हस्ताक्षर के लिए मुख्तारनामे (पावर ऑफ अटॉर्नी) का प्रारूप |
| 2. | अनुलग्नक II | सीपीपीपी पर ई-निविदा की प्रक्रिया |
| 3. | अनुलग्नक III | फर्म/बोलीदाता के विवरण का प्रारूप |
| 4. | अनुलग्नक IV | पात्र कार्यों का प्रारूप |
| 5. | अनुलग्नक V | क्लाइंट प्रमाणपत्र का प्रारूप |
| 6. | अनुलग्नक VI | बैंकर के प्रमाणपत्र/सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र का प्रारूप |
| 7. | अनुलग्नक VII | बयाना राशि के बदले बैंक गारंटी का प्रोफार्मा |
| 8. | अनुलग्नक VIII | करार (आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट) का प्रारूप |
| 9. | अनुलग्नक IX | परफॉर्मेंस बैंक गारंटी/रिटेंशन मनी डिपॉज़िट का प्रोफार्मा |
| 10. | अनुलग्नक X | भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में बोलीदाता द्वारा वचनपत्र/घोषणा/प्रमाणपत्र का प्रोफार्मा |
| 11. | अनुलग्नक XI | बोलीदाता द्वारा कानूनी कार्रवाई/दीवानी मुकदमों/मुकदमेबाज़ी/मध्यस्थता के संबंध में वचनपत्र |
| 12. | अनुलग्नक XII | सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा डिबारमेंट की घोषणा |

## खंड-I

## ई-निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

**आईआईटीएफ 2026, भारत मंडपम परिसर में आईटीपीओ द्वारा 14-27 नवंबर, 2026 के दौरान आयोजित किए जाने वाले मेले में हॉल 5 (पहली मंज़िल) में 114 वर्ग मीटर के आरबीआई स्टॉल सं. 5F-07-A के फैब्रिकेशन, सजावट और रखरखाव के लिए ई-निविदा**

*भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय उपर्युक्त कार्य के लिए दो भागों में खुली ई-निविदा आमंत्रित करता है। कार्य की अनुमानित लागत ₹15 लाख है और कार्य को सभी प्रकार से 12 नवंबर, 2026 की शाम तक या उससे पहले पूरा करना होगा।*

2. ई-निविदा आरबीआई की ओर से तृतीय पक्ष के रूप में **केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी)** https://etenders.gov.in/eprocure/app के माध्यम से की जाएगी। अतः इच्छुक फर्मों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। सीपीपीपी पर पंजीकरण और ई-निविदा की प्रक्रिया का विवरण **अनुलग्नक II** में संलग्न है। ई-निविदा ऑनलाइन दो भागों में प्रस्तुत की जाएगी। ई-निविदा के भाग I में प्रस्तावित कार्य की मानक तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें होंगी और ई-निविदा के भाग II में मूल्य बोली होगी। सभी आवश्यक अनुलग्नक, दस्तावेज़ी प्रमाण सहित, निविदा के भाग I के साथ ही अपलोड किए जाएँगे। यह ई-निविदा बोली है और बोलीदाताओं को निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है।

3. बैंक न्यूनतम बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए, अपने विवेक से किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

4. बैंक परिशिष्ट (एडेंडम)/शुद्धिपत्र (कोरिजेंडम)/कार्यवृत्त/बोली-पूर्व बैठक जारी करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिन्हें केवल आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट और सीपीपीपी पर प्रकाशित किया जाएगा। ये अपडेट निविदा दस्तावेज़ का अभिन्न अंग होंगे और अलग-अलग बोलीदाताओं को कोई अलग सूचना नहीं भेजी जाएगी। किसी भी संशोधन के लिए इन पोर्टलों पर नज़र रखना पूरी तरह बोलीदाता की ज़िम्मेदारी है।

5. निविदा की समय-सारणी (एसओटी) निम्नानुसार है:

| | | |
|---|---|---|
| | ई-निविदा सं. | 2026_आरबीआई_295070_1 |
| i. | निविदा का तरीका | ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली<br>(ऑनलाइन भाग I: तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II: मूल्य बोली, सीपीपी पोर्टल |

| | | |
|---|---|---|
| | | https://etenders.gov.in/eprocure/app के माध्यम से) |
| ii. | अनुमानित लागत | ₹15 लाख |
| iii. | कार्य पूर्ण करने की समयावधि | 12 नवंबर, 2026 की शाम तक या उससे पहले |
| iv. | बयाना राशि (ईएमडी) (केवल एनईएफटी के माध्यम से) | **₹30,000**<br>**क) एनईएफटी / आरटीजीएस**<br>लाभार्थी: भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली<br>खाता सं.: 06869229906<br>आईएफएस कोड: RBIS0NDPA01 (कृपया आईएफएससी के 5वें और 10वें अक्षर को शून्य पढ़ें) |
| v. | सीपीपी पोर्टल/आरबीआई वेबसाइट पर ई-निविदा दस्तावेज़ डाउनलोड के लिए उपलब्ध होने की तारीख | 19 अक्टूबर, 2026 को सायं 05:00 बजे से |
| vi. | भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) और भाग II (मूल्य बोली) प्रस्तुत करने के लिए ई-निविदा की आरंभ तारीख | 19 अक्टूबर, 2026 को सायं 05:00 बजे से |
| vii. | बोली-पूर्व बैठक की तारीख और समय | 22 अक्टूबर, 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे<br>स्थान:<br>कॉन्फ्रेंस रूम- 2, दूसरी मंज़िल, भारतीय रिज़र्व बैंक, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली |
| viii. | बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त आरबीआई वेबसाइट/सीपीपीपी पर प्रकाशित करने की तारीख | 23 अक्टूबर, 2026 |
| ix. | ईएमडी जमा करने की अंतिम तारीख और समय | 26 अक्टूबर, 2026 को अपराह्न 02:00 बजे तक<br>(बैंक के खाते में दिखाई देनी चाहिए) |
| x. | निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख और समय | 26 अक्टूबर, 2026 को अपराह्न 03:00 बजे तक |
| xi. | क. भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) खोलने की तारीख और समय | 27 अक्टूबर, 2026 को अपराह्न 03:00 बजे |
| | ख. भाग II (मूल्य बोली) खोलने की | निविदा का भाग II केवल उन बोलीदाताओं के लिए खोला |

| | | |
|---|---|---|
| | तारीख | जाएगा, जो भाग I में प्रस्तुत दस्तावेज़ों की जाँच के बाद पात्र पाए जाएँगे। पात्र बोलीदाताओं को ई-मेल के माध्यम से अलग से सूचित किया जाएगा। |
| xii. | इस निविदा के संबंध में किसी स्पष्टीकरण/ईएमडी का विवरण भेजने आदि के लिए संपर्क अधिकारियों के नाम | नाम: ममता वानखड़े, प्रबंधक<br>ई-मेल: mamtarw@rbi.org.in<br>मोबाइल नंबर: 9604425094<br><br>नाम: सुमन झा, समप्र<br>ई-मेल: sumanjha@rbi.org.in<br>मोबाइल नंबर: 9988992193 |

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली

## अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली (जिसे इसके बाद "बैंक" कहा गया है) ने इच्छुक बोलीदाताओं को "आईआईटीएफ 2026, भारत मंडपम परिसर में आईटीपीओ द्वारा 14-27 नवंबर, 2026 के दौरान आयोजित किए जाने वाले मेले में हॉल 5 (पहली मंज़िल) में 114 वर्ग मीटर के आरबीआई स्टॉल सं. 5F-07-A के फैब्रिकेशन, सजावट और रखरखाव" की निविदा के बारे में पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। यद्यपि बैंक ने इसमें दी गई जानकारी तैयार करने में पूरी सावधानी बरती है और इसे सही मानता है, फिर भी न तो बैंक और न ही उसके कोई प्राधिकारी या एजेंसियाँ और न ही उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस दस्तावेज़ में दी गई जानकारी या इसके साथ दी जाने वाली किसी जानकारी के पूर्ण या सही होने के बारे में कोई वारंटी देते हैं या कोई स्पष्ट या निहित व्यपदेशन (रिप्रजेंटेशन) देते हैं।

2. यह जानकारी संपूर्ण होने के लिए नहीं है। इच्छुक बोलीदाताओं को स्वयं पूछताछ करनी होगी और उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे "आईआईटीएफ 2026, भारत मंडपम परिसर में आईटीपीओ द्वारा 14-27 नवंबर, 2026 के दौरान आयोजित किए जाने वाले मेले में हॉल 5 (पहली मंज़िल) में 114 वर्ग मीटर के आरबीआई स्टॉल सं. 5F-07-A के फैब्रिकेशन, सजावट और रखरखाव" की निविदा प्रस्तुत करने में केवल बैंक द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर दी गई है कि यह बैंक या उसके किसी प्राधिकारी या एजेंसी या उनके किसी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार पर बाध्यकारी नहीं है। बैंक कार्य को आगे न बढ़ाने या कार्य की रूपरेखा बदलने, इस दस्तावेज़ में दी गई समय-सारणी बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या कार्यविधि बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3. बैंक "आईआईटीएफ 2026, भारत मंडपम परिसर में आईटीपीओ द्वारा 14-27 नवंबर, 2026 के दौरान आयोजित किए जाने वाले मेले में हॉल 5 (पहली मंज़िल) में 114 वर्ग मीटर के आरबीआई स्टॉल सं. 5F-07-A के फैब्रिकेशन, सजावट और रखरखाव" के लिए निविदा प्रस्तुत करने वाले किसी भी बोलीदाता के साथ इस मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। यह निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति(यों) या बोलीदाता(ओं) को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। दस्तावेज़ के हिंदी और अंग्रेज़ी संस्करणों के अर्थ में अंतर होने की स्थिति में अंग्रेज़ी संस्करण की व्याख्या मान्य होगी।

## खंड II

## निविदा प्रपत्र

डॉ. सारदा प्रसन महांति

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

6, संसद मार्ग, नई दिल्ली

महोदया/महोदय,

इसके बाद दिए गए ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित ड्रॉइंग, विनिर्देशों, डिज़ाइनों और बिल ऑफ क्वांटिटी की जाँच करने के बाद और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों की साइट का दौरा और निरीक्षण करने के बाद तथा निविदा को प्रभावित करने वाली आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं/हम एतद्द्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर, संलग्न बिल ऑफ क्वांटिटी में उल्लिखित दरों पर और बोलीदाताओं के लिए सामान्य अनुदेशों, करार की शर्तों (आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट), संविदा की विशेष शर्तों, संविदा की सामान्य शर्तों में ऊपर संदर्भित विनिर्देशों, डिज़ाइनों, ड्रॉइंग और लिखित अनुदेशों, विनिर्देशों, डेटा शीट और बिल ऑफ क्वांटिटी के सभी प्रकार से अनुसार तथा उसमें प्रावधान की गई सामग्री के साथ और अन्य सभी प्रकार से ऐसी शर्तों के अनुसार, जहाँ तक वे लागू हों, निष्पादित करने का प्रस्ताव करता हूँ/करते हैं।

### ज्ञापन

| | | |
|---|---|---|
| i. | कार्य का नाम | आईआईटीएफ 2026, भारत मंडपम परिसर में आईटीपीओ द्वारा 14-27 नवंबर, 2026 के दौरान आयोजित किए जाने वाले मेले में हॉल 5 (पहली मंज़िल) में 114 वर्ग मीटर के आरबीआई स्टॉल सं. 5F-07-A के फैब्रिकेशन, सजावट और रखरखाव के लिए ई-निविदा |
| ii. | अनुमानित लागत | ₹15 लाख |
| iii. | भुगतान की शर्तें | निविदा के भाग I के खंड V के क्लॉज़ 3 के अनुसार |
| iv. | बयाना राशि (ईएमडी) | ₹30,000/- |
| v. | परफॉर्मेंस बैंक गारंटी | निविदा के भाग I के खंड V के क्लॉज़ 2 के अनुसार |
| vi. | कार्य पूर्ण होने का समय | निविदा के भाग I के खंड V के क्लॉज़ 1 के अनुसार |

2. हम यह भी सहमति देते हैं कि हमारी निविदा निविदा के भाग I के खुलने की तारीख से 90 दिनों तक बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की इस अवधि को बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में परस्पर सहमत अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

3. यदि हमारी निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो हम एतद्द्वारा संविदा के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं। हमारी ओर से किसी भी चूक की स्थिति में, हम अपनी ईएमडी ज़ब्त करने के बैंक के अधिकार को स्वीकार करते हैं और उक्त शर्तों में निर्धारित ऐसी कोई भी राशि बैंक या उसके उत्तराधिकारियों या समनुदेशितियों या नामितियों को भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

4. हम स्वीकार करते हैं कि आप बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। यदि बुलाए जाने पर हम संविदा निष्पादित करने में विफल रहते हैं, तो हम एतद्द्वारा सहमत हैं कि जमा की गई ईएमडी बैंक द्वारा ज़ब्त कर ली जाएगी।

6. हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि हम निविदा दस्तावेज़ों और कार्य से जुड़े अन्य अभिलेखों को गुप्त/गोपनीय दस्तावेज़ मानेंगे। हम वचन देते हैं कि हम उनसे प्राप्त कोई भी जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति के अलावा, जिसे सूचित करने के लिए मैं/हम अधिकृत हूँ/हैं, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देंगे और न ही इस जानकारी का किसी ऐसे तरीके से उपयोग करेंगे, जो बैंक की सुरक्षा या हितों के लिए हानिकारक हो।

दिनांक ..... 2026 के ..... दिन।

मेसर्स ..... के लिए और उनकी ओर से

–

(मुहर सहित अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम: .....

पदनाम: .....

स्थान: .....

दिनांक: .....

(उपर्युक्त हस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में प्राधिकृत करने वाले बोर्ड संकल्प या अधिदेश या मुख्तारनामे (पावर ऑफ अटॉर्नी) की प्रमाणित सत्य प्रति अनुलग्नक I के प्रारूप के अनुसार संलग्न की जानी चाहिए।)

## खंड III

## बोलीदाताओं के लिए सामान्य अनुदेश

यह दो भागों अर्थात् भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक) और भाग II (मूल्य बोली) में खुली ई-निविदा पूछताछ है। केवल वे बोलीदाता ही इस निविदा में भाग लेने के पात्र हैं, जो निविदा में निर्धारित पूर्व-अर्हता/पात्रता मानदंडों के अनुसार इस कार्य के लिए अर्हता रखते हैं।

2. **कार्य का संक्षिप्त दायरा:** कार्य का संक्षिप्त दायरा नीचे दिया गया है:

आईआईटीएफ 2026, भारत मंडपम परिसर में आईटीपीओ द्वारा 14-27 नवंबर, 2026 के दौरान आयोजित किए जाने वाले मेले में हॉल 5 (पहली मंज़िल) में 114 वर्ग मीटर के आरबीआई स्टॉल सं. 5F-07-A का फैब्रिकेशन, सजावट और रखरखाव।

तथापि, कार्य का विस्तृत दायरा इस निविदा के खंड VI में दिया गया है।

3. **सीपीपीपी पर ई-निविदा:** ई-निविदा की प्रक्रिया का विवरण अनुलग्नक II में दिया गया है। फर्मों का विवरण अनुलग्नक III में निर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। कार्य की अनुमानित लागत और कार्य पूर्ण करने की अवधि का उल्लेख खंड I में किया गया है।

4. **पात्रता मानदंड:**

4.1 **पिछले अनुभव की अवधि:** बोलीदाता को समान कार्य* निष्पादित करने का कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव होना चाहिए (30 सितंबर, 2026 को समाप्त पिछले पाँच वर्षों के दौरान)। बोलीदाता को पिछले पाँच वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों के विवरण वाली क्लाइंट सूची प्रस्तुत करनी चाहिए। इस सूची में क्लाइंट का नाम, निष्पादित कार्य का मूल्य, कार्य शुरू और पूरा होने की तारीख, विलंब के कारण, यदि कोई हो, आदि विवरण शामिल होने चाहिए। बोलीदाता को कम से कम पाँच वर्ष के अनुभव के समर्थन में दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए (अर्थात् चूँकि विज्ञापन वर्ष 2026 में जारी किया गया है, अतः बोलीदाता ने वर्ष 2021 में कार्य किया हो)।

और

4.2 **प्रत्येक पूर्ण कार्य का न्यूनतम मूल्य (अर्हक):** 30 सितंबर, 2026 को समाप्त पिछले पाँच वर्षों के दौरान समान कार्य* सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए:

i. तीन समान पूर्ण कार्य*, जिनमें से प्रत्येक की लागत खंड I में उल्लिखित अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम न हो।

या

ii. दो समान पूर्ण कार्य*, जिनमें से प्रत्येक की लागत खंड I में उल्लिखित अनुमानित लागत के 50% के बराबर राशि से कम न हो।

या

iii. एक समान कार्य*, जिसकी लागत खंड I में उल्लिखित अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम न हो।

* समान कार्य: पवेलियन/स्टॉल का फैब्रिकेशन, सजावट और रखरखाव।

और

4.3 **वार्षिक टर्नओवर:** 31 मार्च, 2026 को समाप्त पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान बोलीदाता का न्यूनतम वार्षिक वित्तीय टर्नओवर इस निविदा की अनुमानित लागत के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए।

और

4.4 **सॉल्वेंसी:** बोलीदाता को विशेष रूप से इस कार्य के प्रयोजन के लिए अपने बैंकर द्वारा जारी, कार्य की अनुमानित लागत के बराबर या उससे अधिक राशि का सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

और

4.5 **सर्विस सेटअप:** निर्दिष्ट कार्य के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में पूर्ण सर्विस सेटअप उपलब्ध होना चाहिए।

4.6 ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अपनी पात्रता के बारे में बैंक को संतुष्ट करने के लिए बोलीदाताओं को निविदा दस्तावेज़ों के साथ निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने चाहिए।

| | | |
|---|---|---|
| i. | बोलीदाता का विवरण | बोलीदाता फर्म की संरचना का पूरा विवरण (बोलीदाता व्यक्ति है या साझेदारी फर्म या कंपनी आदि) नाम(नामों) और पते(पतों) के साथ, साझेदारों की आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन/मुख्तारनामे (पावर ऑफ अटॉर्नी)/अन्य संबंधित दस्तावेज़ की प्रति सहित अपलोड किया जाना चाहिए। **संदर्भ: अनुलग्नक I और III** |
| ii. | निर्दिष्ट अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य के समान कार्यों* का अनुभव और उन्हें पूरा करना | (i) बोलीदाता को यहाँ संलग्न अनुलग्नक IV में जानकारी भरनी चाहिए, जिसमें क्लाइंट-वार दिए गए समान कार्यों* के नाम और वास्तविक लागत, संविदा में निर्धारित पूर्ण होने की तारीख और पूर्ण होने की वास्तविक तारीख आदि दर्शाई गई हो और पूर्ण किए गए समान कार्यों* के कम से कम पाँच वर्ष के अनुभव के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए:<br>क) विस्तृत कार्य आदेश(शों) और करार की प्रतियाँ, जिनमें कार्य सौंपे जाने की तारीख, संविदा राशि, कार्य का दायरा, कार्य पूरा |

| | | |
|---|---|---|
| | | करने के लिए दिया गया समय आदि दर्शाया गया हो और सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए निष्पादित कार्यों के लिए क्लाइंट(टों) द्वारा जारी संबंधित पूर्णता प्रमाणपत्र, जिनमें पूर्ण होने की वास्तविक तारीख और निष्पादित समान कार्य(र्यों)* का वास्तविक मूल्य दर्शाया गया हो; तथा निजी कंपनियों के लिए निष्पादित कार्यों के लिए क्लाइंट(टों) द्वारा जारी कार्य आदेश, करार, कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र के साथ स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाणपत्र की प्रतियाँ।<br>(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी भी कार्यालय के लिए कार्य करने के पिछले अनुभव, यदि कोई हो, का विवरण भी दस्तावेज़ी साक्ष्य सहित दिया जाना चाहिए। |
| iii. | निर्दिष्ट अवधि के दौरान बोलीदाता की साख और उनका टर्नओवर | 31 मार्च, 2026 को समाप्त पिछले तीन वर्षों की उनकी साख और टर्नओवर के प्रमाण के रूप में आयकर निर्धारण आदेश, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित फर्म के कारोबार के नवीनतम अंतिम लेखों के साथ संलग्न किए जाने चाहिए। |
| iv. | सर्विस सेटअप | दिल्ली एनसीटी में पूर्ण सर्विस सेटअप होने के समर्थन में निर्माताओं का प्रमाणपत्र/कोई अन्य वैध दस्तावेज़ संलग्न किया जाना चाहिए। (अनुलग्नक III) |
| v. | क्लाइंट प्रमाणपत्र | प्रत्येक क्लाइंट से अनुलग्नक V के प्रारूप में। |
| vi. | सॉल्वेंसी/बैंकर प्रमाणपत्र | अनुलग्नक VI के प्रारूप में |

4.7 आवेदन करने के इच्छुक बोलीदाता को अपेक्षित पात्रता रखने के समर्थन में दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा। बैंक ऐसा करने में विफल रहने वाले किसी भी बोलीदाता की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यद्यपि बैंक स्पष्टीकरण या छूटे हुए प्रशासनिक प्रमाणपत्र माँगने और उनका स्वतंत्र रूप से सत्यापन करने का अधिकार रखता है, फिर भी कोई भी दस्तावेज़ जाली, नकली या परिवर्तित पाए जाने पर बोली को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा और बोलीदाता को डिबार भी किया जा सकता है, जिसके विरुद्ध अपील का कोई अवसर नहीं होगा। बैंक ऐसी कार्रवाइयों के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

4.8 बैंक प्रस्तुत किए गए सॉल्वेंसी प्रमाणपत्रों की पुष्टि करने के साथ-साथ बोलीदाताओं के पिछले कार्य-निष्पादन के बारे में उनके क्लाइंटों और बैंकरों से रिपोर्ट प्राप्त करेगा। उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन निविदाओं का भाग-II खोलने से पहले पूरा कर लिया जाएगा। यदि प्रक्रिया के किसी भी चरण में कोई

बोलीदाता अपेक्षित पात्रता नहीं रखता पाया जाता है या उसके क्लाइंटों/बैंकरों से प्राप्त उसके कार्य-निष्पादन की रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक निविदा का भाग I खोलने के बाद भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। परिणामस्वरूप, उसकी भाग II बोली नहीं खोली जाएगी और ईएमडी उसे लौटा दी जाएगी। बैंक ऐसी कार्रवाइयों के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

5. **निविदा प्रक्रिया:**

क. उपर्युक्त कार्य के लिए निविदाएँ दो भागों में हैं अर्थात् भाग I, जिसमें उक्त निविदा की वाणिज्यिक-तकनीकी बोली और नियम व शर्तें होंगी (इस भाग में मदों की दरें और राशियाँ कहीं भी नहीं दिखनी चाहिए) और भाग II, जिसमें केवल दरें होंगी, जिन्हें एनआईटी के अनुसार सीपीपी पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

ख. निविदा का भाग I एनआईटी में उल्लिखित तारीख और समय पर खोला जाएगा।

ग. पात्र बोलीदाताओं का भाग II सभी बोलीदाताओं को सूचना देकर बाद की किसी तारीख को खोला जाएगा। विस्तृत मूल्यांकन मानदंड खंड III (क) में दिए गए हैं।

**नोट:** माँगी गई सभी जानकारी/अनुलग्नक सभी प्रकार से पूर्ण होने चाहिए और सहायक दस्तावेज़ों के साथ सीपीपी पोर्टल पर अपलोड किए जाने चाहिए। दी गई शीटों के अलावा अन्य शीटों पर प्रस्तुत जानकारी पर विचार नहीं किया जा सकता है। तथापि, बोलीदाता प्रस्तावित उपकरणों के निर्माताओं के केवल संबंधित कैटलॉग/लीफलेट/ब्रोशर अपलोड कर सकते हैं।

6. **बयाना राशि (ईएमडी):** इच्छुक बोलीदाताओं को एनआईटी के खंड-I में उल्लिखित बयाना राशि एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जमा करनी होगी। ईएमडी के लिए प्रस्तुत बैंक गारंटी निविदाएँ प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से 27 नवंबर, 2026 (आईटीपीओ द्वारा अधिसूचित व्यापार मेले की अवधि) तक की अवधि के लिए वैध रहेगी (खंड III के क्लॉज़ 8 में निविदा वैधता अवधि के अनुरूप)। एनईएफटी/आरटीजीएस का प्रमाण तकनीकी बोली/भाग I के साथ अपलोड किया जाना चाहिए और एनआईटी में उल्लिखित ई-मेल पर भेजा जाना चाहिए। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। जो निविदा ऊपर उल्लिखित रूप में ईएमडी के साथ नहीं होगी, उसे अनुत्तरदायी (नॉन-रिस्पॉन्सिव) माना जाएगा और बैंक द्वारा सीधे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

i. असफल बोलीदाताओं की ईएमडी सफल बोलीदाता को कार्य सौंपे जाने के बाद लौटा दी जाएगी। सफल बोलीदाता की ईएमडी प्रतिभूति जमा के रूप में अपेक्षित बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के बाद लौटा दी जाएगी (खंड V का क्लॉज़ 2 देखें)।

ii. ईएमडी ज़ब्त कर ली जाएगी, यदि बोलीदाता:

क. प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों, विवरणों और संलग्नकों में भ्रामक या गलत अभ्यावेदन करता है, किसी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाता है, वर्तमान में न्यायालय में लंबित या पिछले तीन वर्षों की किसी कानूनी कार्यवाही का विवरण छिपाता है, जिससे पात्रता मानदंड पर कोई प्रभाव पड़ सकता था; या

ख. बोली की वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली वापस लेता है; या संविदा सौंपे जाने के बाद संविदा पर हस्ताक्षर नहीं करता है।

ग. किसी सरकारी एजेंसी द्वारा ब्लैक लिस्ट किया गया है और निविदा आमंत्रण सूचना की तारीख को ब्लैक लिस्टिंग लागू है।

घ. मूल्य बोली खुलने के बाद बोली वापस लेता है।

ङ. सौंपे गए कार्य को निर्धारित समय-सीमा के भीतर शुरू करने में विफल रहता है।

च. कार्य आदेश जारी होते ही करार (आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है।

7. **बोली-पूर्व बैठक:** निविदा के संबंध में बोलीदाताओं द्वारा उठाए गए किसी भी बिंदु/शंका को स्पष्ट करने के लिए बोलीदाताओं की निविदा-पूर्व ब्रीफिंग बैठक एनआईटी के अनुसार तारीख और स्थान पर आयोजित की जाएगी। इस बैठक के लिए कोई अलग सूचना नहीं भेजी जाएगी। बोली-पूर्व बैठक में उपस्थित न होना किसी बोलीदाता को अयोग्य ठहराने का कारण नहीं होगा।

i. स्पष्टीकरण अपेक्षित बिंदुओं के संबंध में सभी पत्राचार पात्र बोलीदाताओं द्वारा उक्त बैठक से एक दिन पहले एनआईटी में उल्लिखित पते पर लिखित रूप में/ई-मेल द्वारा किया जाएगा।

ii. बोलीदाताओं को निविदा से संबंधित किसी भी मुद्दे पर बैंक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके बाद बोली-पूर्व बैठक की तारीख बदलने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई फर्म बोली-पूर्व बैठक में भाग नहीं लेती है, तो भविष्य में किसी स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा और बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त उस पर बाध्यकारी होगा।

iii. बोली-पूर्व बैठक के बाद निविदा के भाग । में निविदा शर्तों में किसी भी विचलन को शामिल/प्रस्तुत करने पर निविदा अस्वीकार की जा सकती है।

iv. बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त और बोली प्रक्रिया के संबंध में जारी शुद्धिपत्र/संशोधन/परिशिष्ट, यदि कोई हों, केवल बैंक की वेबसाइट और सीपीपीपी पर प्रदर्शित किए जाएँगे और किसी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किए जाएँगे।

8. **वैधता:** निविदाएँ 27 नवंबर, 2026 (आईटीपीओ द्वारा अधिसूचित व्यापार मेले की अवधि) तक की अवधि के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए खुली रहेंगी। इस अवधि को लिखित परस्पर सहमति से बढ़ाया जा सकता है और बोलीदाता इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं लेगा।

9. **भाषा:** निविदा प्रपत्र अंग्रेज़ी या हिंदी में भरा जाएगा। दस्तावेज़ों के अंग्रेज़ी और हिंदी संस्करणों के बीच किसी विसंगति या अस्पष्टता की स्थिति में, व्याख्या के मामलों में अंग्रेज़ी संस्करण मान्य होगा।

10. **मूल्य-बोली (भाग II) में दरें:** सभी भुगतान भारतीय रुपये (आईएनआर) में किए जाएँगे।

i. दरें खंड VI अर्थात् कार्य के दायरे में उल्लिखित संपूर्ण कार्य के लिए दी जाएँगी। बैंक द्वारा किसी भी कर, शुल्क और उगाही के लिए कोई रियायती प्रपत्र जारी नहीं किया जाएगा। यदि उपकरण आयात करने की आवश्यकता हो, तो उनका आयात बोलीदाता के अपने आयात लाइसेंस के तहत किया जाएगा।

ii. दरें संविदा की विशेष शर्तों में उल्लिखित बीमा कवर सहित होंगी।

11. **सफल बोलीदाता:** खंड III (क) में उल्लिखित मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार।

12. **करार की शर्तें (आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट):** बैंक से अपनी निविदा की स्वीकृति की औपचारिक सूचना/अवार्ड पत्र/कार्य आदेश प्राप्त होने पर, सफल बोलीदाता संविदा के अनुसार कार्य आदेश जारी होते ही करार (**अनुलग्नक VIII** के प्रारूप के अनुसार) पर हस्ताक्षर/निष्पादन करने के लिए बाध्य होगा। करार लागू स्टांप अधिनियम के अनुसार अपेक्षित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर निष्पादित किया जाना चाहिए और इसकी लागत पूरी तरह बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।

यदि सफल बोलीदाता कार्य आदेश/अवार्ड पत्र जारी होने की तारीख से दो कार्य दिवसों के भीतर औपचारिक करार पर हस्ताक्षर करने और उसे निष्पादित करने में विफल रहता है, तो ऐसी विफलता निविदा शर्तों का उल्लंघन मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में, बैंक को निम्नलिखित का पूर्ण अधिकार होगा:

i. संविदा का अवार्ड रद्द करना।

ii. बोलीदाता को बिना कोई नोटिस दिए या बिना किसी वित्तीय दायित्व के ईएमडी पूरी तरह ज़ब्त करना।

iii. बोलीदाता को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए बैंक की भावी निविदाओं में भाग लेने से ब्लैक लिस्ट या डिबार करना।

13. **साइट की स्थिति:** कार्य भारत मंडपम परिसर के हॉल सं. 5 (पहली मंज़िल) में किया जाना है। अतः कार्य के घंटे और अन्य नियम व शर्तें आईटीपीओ द्वारा निर्धारित अनुसार होंगी।

14. **डिबारमेंट/अदालती मामला:**

i. बोलीदाता को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना— (क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत; या (ख) भारतीय दंड संहिता या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत, किसी सार्वजनिक खरीद संविदा के निष्पादन के दौरान जान या माल की हानि करने या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने के लिए। इस संबंध में, बोलीदाता अनुलग्नक XI में दिए गए प्रारूप में अपने लेटर हेड पर, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत मुहरबंद और हस्ताक्षरित वचनपत्र/घोषणा/प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रस्तुत करेगा।

ii. बोलीदाता किसी सार्वजनिक संस्था द्वारा डिबारमेंट की घोषणा अनुलग्नक XII में दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत करेगा।

15. **भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के ठेकेदारों से संबंधित नियमों का अनुपालन:** भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के बोलीदाताओं के संबंध में सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञापन (ओएम) फा. सं. 6/18/2019-पीपीडी दिनांक 23 जुलाई, 2020 के तहत जारी अनुदेश/नियम और उसके बाद के संशोधन तथा उसके अनुसरण में जारी सार्वजनिक खरीद आदेश अनिवार्य होंगे। इस संबंध में, बोलीदाता अनुलग्नक X में दिए गए प्रारूप में अपने लेटर हेड पर, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत मुहरबंद और हस्ताक्षरित वचनपत्र/घोषणा/प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रस्तुत करेगा।

----------x----------

## खंड III (क)

## मूल्यांकन मानदंड

### निविदाओं का मूल्यांकन:

1. निविदाओं का मूल्यांकन भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) खोलने के बाद खंड III में उल्लिखित पात्रता मानदंडों के आधार पर केवल उन्हीं बोलीदाताओं का किया जाएगा, जिन्होंने नियत तारीख को या उससे पहले ईएमडी जमा की है। ईएमडी जमा करने का प्रमाण भाग I में अपलोड किया जाना चाहिए।

2. बोलीदाताओं को निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित सभी अपेक्षित दस्तावेज़ भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) में प्रस्तुत करने होंगे। केवल उन्हीं निविदाओं पर आगे कार्रवाई की जाएगी, जो पात्रता अपेक्षाओं को पूरा करती हैं। प्रस्तुत की गई जानकारी और सहायक दस्तावेज़ों की सत्यता/वैधता और पर्याप्तता का सत्यापन/जाँच बैंक द्वारा की जाएगी। यदि अपलोड की गई निविदा में कोई दस्तावेज़ नहीं है या जाली पाया जाता है, तो बैंक को छूटे हुए दस्तावेज़/प्रमाणपत्र माँगने और इन प्रमाणपत्रों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन करने का अधिकार होगा। बोलीदाताओं को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अपलोड की गई सभी फ़ाइलें पढ़ने योग्य हों और खराब (करप्ट) न हों। यदि अपलोड किया गया कोई दस्तावेज़ पढ़ने योग्य नहीं है, करप्ट है या किसी अन्य कारण से बैंक द्वारा खोला नहीं जा सकता, तो बैंक की कोई देयता या ज़िम्मेदारी नहीं होगी और बैंक बिना किसी और विचार के बोलीदाता की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3. तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा न करने वाले बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत मूल्य बोलियाँ नहीं खोली जाएँगी। उनकी अयोग्यता की सूचना उन्हें दी जाएगी।

4. भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) में अर्हता प्राप्त करने वाले सभी बोलीदाताओं का भाग II (मूल्य बोली) वित्तीय मूल्यांकन के लिए खोला जाएगा।

5. एनआईटी के खंड-I के पैराग्राफ 3 के अधीन, सबसे कम मूल्य (एल1) वाले बोलीदाता पर संविदा सौंपने के लिए विचार किया जाएगा और उसे सफल बोलीदाता कहा जाएगा। यदि दो या अधिक बोलीदाताओं की न्यूनतम निविदा राशि समान हो, तो ऐसे न्यूनतम बोलीदाताओं से उनकी पहले से दी गई निविदा राशि पर छूट देते हुए संशोधित प्रस्ताव सीलबंद लिफ़ाफ़े में प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा, यदि ऐसा कोई न्यूनतम बोलीदाता बैंक द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपनी बोली को कम नहीं करता है, तो उसकी मूल बोली आगे की कार्रवाई के लिए वैध रहेगी। न्यूनतम निविदा का निर्णय संशोधित प्रस्ताव के आधार पर किया जाएगा। यदि संशोधित प्रस्तावों में प्राप्त दो या अधिक बोलीदाताओं की संशोधित निविदा राशि फिर से समान पाई जाती है, तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में सबसे अधिक वार्षिक टर्नओवर वाली फर्म पर संविदा सौंपने के लिए विचार किया जाएगा।

## खंड IV

## संविदा की सामान्य शर्तें

### व्याख्या क्लॉज़

इन शर्तों, कार्य के दायरे, विनिर्देशों, बिल ऑफ क्वांटिटी और संविदा करार का अर्थ लगाने में, निम्नलिखित शब्दों के वे ही अर्थ होंगे जो उन्हें यहाँ दिए गए हैं, सिवाय उस स्थिति के जहाँ विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो।

| | | |
|---|---|---|
| i. | "आरबीआई" | से अभिप्राय भारतीय रिज़र्व बैंक से है, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई– 400001 में है और जिसके क्षेत्रीय कार्यालय विभिन्न स्थानों पर हैं। |
| ii. | "बैंक" | से अभिप्राय भारतीय रिज़र्व बैंक से है और इसमें उसके समनुदेशक और उत्तराधिकारी शामिल होंगे। |
| iii. | "निविदा दस्तावेज़" | से अभिप्राय कार्य के लिए बोलियाँ आमंत्रित करते हुए बैंक द्वारा ठेकेदारों को जारी इस नाम के दस्तावेज़ से है। |
| iv. | "बोलीदाता" | जो बोलियाँ/निविदाएँ प्रस्तुत करता है। यह साझेदारी फर्म, एकल फर्म और कंपनी हो सकती है। (किसी साझेदार की मृत्यु होने पर, उसके कानूनी प्रतिनिधि।) |
| v. | "ठेकेदार" | ठेकेदार वह सफल ठेकेदार है, जिसे कार्य निष्पादित करने के लिए आधिकारिक रूप से कार्य सौंपा गया है। यह साझेदारी फर्म, एकल फर्म और कंपनी हो सकती है। (किसी साझेदार की मृत्यु होने पर, उसके कानूनी प्रतिनिधि।) |
| vi. | "साइट" | से अभिप्राय संविदा कार्यों की साइट से है, जिसमें उस पर बना कोई भवन और ढाँचा तथा ठेकेदार के कार्य के लिए बैंक द्वारा आवंटित उपर्युक्त कोई अन्य क्षेत्र/भूमि (सहित) शामिल है। |
| vii. | "संविदा" | से अभिप्राय और इसमें निविदा दस्तावेज़ के सभी खंड, संबंधित पत्र, कार्य आदेश, करार की शर्तें (आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट), सीएएमसी करार और बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त आदि शामिल हैं, जो इसके साथ संलग्न और विधिवत हस्ताक्षरित हैं। |
| viii. | "लिखित नोटिस" | या लिखित सूचना से अभिप्राय लिखित, टाइप किए गए या मुद्रित अक्षरों में ऐसे नोटिस से है, जो अंतिम ज्ञात निजी या व्यावसायिक पते पर पंजीकृत डाक से भेजा गया हो (जब तक कि उसे व्यक्तिगत रूप |

| | | |
|---|---|---|
| | | से न दिया गया हो या अन्यथा उसकी प्राप्ति सिद्ध न हो) और जिसे उस समय प्राप्त माना जाएगा, जब डाक की सामान्य प्रक्रिया में उसकी डिलीवरी हो गई होती। किसी भी स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गई सूचना को भी लिखित नोटिस माना जाएगा। |
| ix. | "दिवाला कृत्य" | से अभिप्राय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 या उस मूल संहिता में संशोधन करने वाले किसी अधिनियम में परिभाषित किसी दिवाला कृत्य से है। |
| x. | "निवल मूल्य" | सीपीपीपी पर निविदा के भाग II में उल्लिखित मदों का मूल्य। |
| xi. | "बाज़ार दर" | वह दर होगी जो बैंक द्वारा उस साइट पर, जहाँ कार्य निष्पादित किया जाना है, सामग्री और श्रम की लागत के आधार पर तय की जाएगी। |
| xii. | "कार्य" | से अभिप्राय एनआईटी में उल्लिखित निविदा के नाम से है। |
| xiii. | दिन/माह/वर्ष | से अभिप्राय कैलेंडर दिन/माह/वर्ष से है। |
| xiv. | कार्य दिवस | से अभिप्राय उन दिनों से है, जब बैंक का कार्यालय खुला रहता है अर्थात् सार्वजनिक अवकाशों, शनिवारों और रविवारों को छोड़कर अन्य दिन। |
| xv. | प्रभारी इंजीनियर/बैंक का इंजीनियर/बैंक का प्रतिनिधि | से अभिप्राय बैंक द्वारा नियोजित और भुगतान किए जाने वाले तथा बैंक के आदेशों के अधीन कार्य करने वाले उस अधिकारी से है, जो कार्य का पर्यवेक्षण करेगा और उसका प्रभारी होगा। संविदा के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले सभी कार्य सभी प्रकार से बैंक के प्रतिनिधि के निर्देशन में और उसके अनुमोदन के अधीन निष्पादित किए जाएँगे। |
| xvi. | निर्माता | से अभिप्राय उस व्यक्ति या फर्म से है, जो सामग्री का उत्पादक और आपूर्तिकर्ता है या उपकरण का डिज़ाइनर और फैब्रिकेटर है। |
| xvii. | ठेकेदार के कार्य या निर्माता के कार्य | से अभिप्राय और इसमें वह भूमि और अन्य स्थान शामिल हैं, जिनका उपयोग ठेकेदार/फैब्रिकेटर या उप-ठेकेदार/उप-फैब्रिकेटर द्वारा "उपकरण" के निर्माण या "कार्यों" के निष्पादन के लिए किया जाता है। |
| xviii. | संविदा मूल्य या संविदा | से अभिप्राय सफल ठेकेदार द्वारा दी गई इकाई दरों और बिल ऑफ क्वांटिटी (मूल्य बोली) में उल्लिखित मात्राओं से परिकलित कुल राशि से है, जैसा कि बैंक द्वारा स्वीकार किया गया हो और कार्य अवार्ड पत्र में दर्शाया गया हो। |
| xix. | संविदा अवधि | से अभिप्राय संविदा के निष्पादन/कार्य पूर्ण करने के लिए निविदा |

| | | |
|---|---|---|
| | | दस्तावेज़ में निर्दिष्ट अवधि से है, जिसमें बैंक द्वारा प्राधिकृत कोई भी बढ़ाई गई अवधि शामिल है। |
| xx. | संविदा करार | से अभिप्राय संविदा के निष्पादन के लिए ठेकेदार और बैंक के बीच हस्ताक्षरित करार से है। |

**2. संविदा का दायरा**

ठेकेदार उक्त कार्य को इस संविदा के अनुसार, बैंक के निर्देशों के अनुसार और बैंक की संतुष्टि के अनुरूप सभी प्रकार से करेगा और पूरा करेगा। बैंक अपने पूर्ण विवेक से समय-समय पर निम्नलिखित के संबंध में और ड्रॉइंग और/या लिखित अनुदेश, विवरण, निर्देश और स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप से "बैंक के अनुदेश" कहा गया है:

i. कार्यों के डिज़ाइन, गुणवत्ता या मात्रा में परिवर्तन या संशोधन या किसी कार्य को जोड़ना, हटाना या बदलना।

ii. ड्रॉइंग में या बिल ऑफ क्वांटिटी और/या ड्रॉइंग और/या विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति।

iii. ठेकेदार द्वारा साइट पर लाई गई किसी सामग्री को साइट से हटाना और उसके स्थान पर कोई अन्य सामग्री लगाना।

iv. ठेकेदार द्वारा निष्पादित किसी कार्य को हटाना और/या दोबारा करना।

v. ठेकेदार द्वारा कार्य पर नियोजित किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को कार्य से हटाना।

vi. ढके गए किसी कार्य को निरीक्षण के लिए खोलना।

vii. इसके क्लॉज़ों के तहत किसी भी दोष में सुधार करना और उसे ठीक करना।

ठेकेदार ऐसे बैंक के अनुदेशों में शामिल किसी भी कार्य का तुरंत पालन करेगा और उसे विधिवत निष्पादित करेगा। बैंक द्वारा कार्य पर ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों को दिए गए मौखिक अनुदेश, निर्देश और स्पष्टीकरण, यदि उनमें कोई परिवर्तन शामिल हो, तो ठेकेदार द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि किए जाने चाहिए और यदि बैंक द्वारा अगले सात दिनों के भीतर लिखित रूप में उनसे असहमति नहीं जताई जाती है, तो उन्हें संविदा के दायरे में बैंक के अनुदेश माना जाएगा। जहाँ संदर्भ से अपेक्षित हो, एकवचन दर्शाने वाले शब्दों में बहुवचन भी शामिल होगा और बहुवचन दर्शाने वाले शब्दों में एकवचन भी। पुल्लिंग के किसी भी संदर्भ में, जहाँ भी आवश्यक हो, स्त्रीलिंग भी शामिल होगा और स्त्रीलिंग के संदर्भ में पुल्लिंग भी।

**3. ड्रॉइंग, बिल ऑफ क्वांटिटी और करार**

संविदा दो प्रतियों में निष्पादित की जाएगी और ठेकेदार अपने उपयोग के लिए एक निष्पादित प्रति पाने का हकदार होगा। ठेकेदार करार पर लागू स्टांप शुल्क का भुगतान करेगा। ठेकेदार को अंतिम प्रमाणपत्र जारी करने से पहले, वह सभी ड्रॉइंग और विनिर्देश तुरंत बैंक को लौटा देगा।

**4. ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर सभी आवश्यक चीज़ें उपलब्ध कराना**

ठेकेदार ड्रॉइंग, बिल ऑफ क्वांटिटी और विनिर्देशों के आशय और अर्थ के अनुसार, उन्हें एक साथ मिलाकर देखते हुए, कार्यों के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक सभी चीज़ें अपनी लागत पर उपलब्ध कराएगा, चाहे वे उनमें विशेष रूप से दिखाई या वर्णित हों या नहीं, बशर्ते कि उनसे उनका उचित अनुमान लगाया जा सकता हो। यदि ठेकेदार को ड्रॉइंग में या ड्रॉइंग, बिल ऑफ क्वांटिटी और विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति मिलती है, तो वह तुरंत लिखित रूप में इसे बैंक को भेजेगा, जो यह तय करेगा कि किसका पालन किया जाना है। ठेकेदार इस विनिर्देश के तहत सभी कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा विनियमों के पूर्णतः अनुसार करेगा।

**5. प्राधिकारी, नोटिस और पेटेंट**

ठेकेदार कार्यों से संबंधित विधानमंडल के किसी भी अधिनियम के प्रावधानों और उससे जुड़े किसी अन्य पहलू, जैसे विभिन्न श्रम संहिताओं के अनुपालन, तथा किसी भी प्राधिकरण और विद्युत आपूर्ति और अन्य कंपनियों और/या प्राधिकरणों, जिनकी प्रणालियों से संस्थापना जोड़ी जानी प्रस्तावित है, के विनियमों और उप-नियमों का पालन करेगा। ऐसे अनुपालन के कारण ड्रॉइंग या विनिर्देशों में कोई परिवर्तन आवश्यक होने पर, परिवर्तन करने से पहले वह बैंक को लिखित नोटिस देगा, जिसमें प्रस्तावित परिवर्तन और उसे करने का कारण बताया गया हो और उस पर अनुदेशों के लिए आवेदन करेगा। यदि ठेकेदार को दस दिनों के भीतर ऐसे अनुदेश प्राप्त नहीं होते हैं, तो वह संबंधित प्रावधानों, विनियमों या उप-नियमों के अनुसार कार्य जारी रखेगा और इस प्रकार आवश्यक हुए किसी भी परिवर्तन पर इसके क्लॉज़ सं. 10 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

ठेकेदार उक्त अधिनियमों, विनियमों या उप-नियमों के अनुसार किसी भी प्राधिकरण को दिए जाने वाले सभी नोटिस बैंक के ध्यान में लाएगा और ऐसे प्राधिकरण को या किसी सार्वजनिक कार्यालय को कार्यों के संबंध में उचित रूप से प्रभार्य सभी शुल्कों का भुगतान करेगा और भुगतान के लिए रसीदें बैंक के पास जमा करेगा।

**6. कार्य का सेटिंग आउट**

ठेकेदार कार्यों का सेटिंग आउट (रेखांकन) करेगा और उसके सही और सटीक सेटिंग आउट तथा उसके सभी भागों की स्थिति, लेवल, माप और अलाइनमेंट के सही होने के लिए ज़िम्मेदार होगा।

**7. ठेकेदार का पर्यवेक्षण और कार्यस्थल पर प्रतिनिधि**

कार्य प्रगति पर रहने के पूरे समय के दौरान ठेकेदार एक सक्षम प्रतिनिधि भी नियोजित करेगा, जो कामगारों के कार्य करते समय कार्यस्थल पर लगातार उपस्थित रहेगा। बैंक द्वारा ऐसे प्रतिनिधि को दिए गए कोई भी निर्देश, स्पष्टीकरण, अनुदेश या नोटिस ठेकेदार को दिए गए माने जाएँगे।

**8. कार्यस्थल तक पहुँच**

बैंक और उसके संबंधित प्रतिनिधियों को सभी उचित समय पर कार्यस्थल और/या उन वर्कशॉप, कारखानों या अन्य स्थानों तक, जहाँ सामग्री रखी है या जहाँ से वह प्राप्त की जा रही है, बिना रोक-टोक पहुँच होगी और ठेकेदार सामग्री और कारीगरी के निरीक्षण, जाँच और परीक्षण के लिए बैंक और उसके प्रतिनिधियों को आवश्यक हर सुविधा देगा। सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को छोड़कर, बैंक द्वारा प्राधिकृत न किए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कार्यस्थल पर आने की अनुमति नहीं होगी।

**9. असाइनमेंट और सब-लेटिंग**

संविदा में शामिल संपूर्ण कार्य ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया जाएगा और ठेकेदार बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना संविदा या उसके किसी भाग या उसमें किसी हित को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतरित, समनुदेशित या सब-लेट नहीं करेगा और कोई भी वचनबंध ठेकेदार को संविदा की पूर्ण और संपूर्ण ज़िम्मेदारी से या कार्य प्रगति के दौरान उसके सक्रिय पर्यवेक्षण से मुक्त नहीं करेगा।

**10. परिवर्तन, परिवर्धन, लोप आदि**

कोई भी परिवर्तन, लोप या भिन्नता इस संविदा को निष्प्रभावी नहीं करेगी, किंतु यदि बैंक कार्य प्रगति के दौरान किसी भी समय कार्यों में कोई परिवर्तन या परिवर्धन या उनमें से कुछ हटाना या उनमें उपयोग की जाने वाली सामग्री के प्रकार या गुणवत्ता में कोई परिवर्तन करना उचित समझता है और इसकी लिखित सूचना अपने हस्ताक्षर से ठेकेदार को देता है, तो ठेकेदार ऐसी सूचना के अनुसार, जैसा भी मामला हो, परिवर्तन, परिवर्धन या लोप करेगा। किंतु ठेकेदार बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करेगा या कार्यों में कोई परिवर्तन या परिवर्धन या लोप नहीं करेगा या संविदा, निर्धारित शर्तों, विनिर्देशों या संविदा ड्रॉइंग के किसी प्रावधान से कोई विचलन नहीं करेगा। ऐसे अतिरिक्त कार्यों, परिवर्तनों, परिवर्धनों या लोपों का मूल्य सभी मामलों में इसके क्लॉज़ 10 के प्रावधानों के अनुसार बैंक के पूर्व लिखित अनुमोदन से निर्धारित किया जाएगा और उसे तदनुसार, जैसा भी मामला हो, संविदा राशि में जोड़ा या उससे घटाया जाएगा।

**11. बैंक द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति**

बैंक इस संविदा में शामिल न किए गए किसी ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए, जिसे वह अन्य व्यक्तियों से कराना चाहे, परिसर और साइट के किसी भी भाग का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और

ठेकेदार ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए सभी उचित सुविधाएँ देगा, किंतु उससे ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए कोई संयंत्र या सामग्री उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। ऐसा कार्य इस प्रकार किया जाएगा कि संविदा में शामिल कार्यों की प्रगति में बाधा न आए और ठेकेदार ऐसे कार्य से या उसके कारण होने वाली किसी क्षति या विलंब के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

**12. व्यक्ति और संपत्ति की क्षति के संबंध में बीमा**

ठेकेदार अपने खर्च पर, इस संविदा के अंतर्गत कार्य आरंभ होने की तारीख से पूर्णता प्रमाणपत्र जारी होने तक, किसी अनुमोदित बीमा कंपनी से संविदा की राशि के बराबर राशि के लिए भूकंप जोखिम सहित, बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नामों में (पॉलिसी में पहले बैंक का नाम रखते हुए), ठेकेदारों के लिए मानक ऑल रिस्क पॉलिसी के अनुसार सभी जोखिमों के विरुद्ध ऑल रिस्क्स बीमा पॉलिसी लेगा और उसे बनाए रखेगा तथा कार्य आरंभ करने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियाँ बैंक के पास जमा करेगा।

ठेकेदार व्यक्तियों, पशुओं या वस्तुओं को होने वाली सभी चोटों और संपत्ति को होने वाली सभी संरचनात्मक और सजावटी क्षति के लिए उचित रूप से उत्तरदायी माना जाएगा, जो ठेकेदार या उसके कामगारों या किसी नामित उप-ठेकेदार या उनमें से किसी के कर्मचारी के कार्य या लापरवाही से उत्पन्न हो, चाहे ऐसी चोट या क्षति लापरवाही, दुर्घटना या किसी भी अन्य कारण से उत्पन्न हो, जो किसी भी रूप में इस संविदा के निष्पादन से जुड़ी हो। इस क्लॉज़ के अंतर्गत देयता में, अन्य बातों के साथ-साथ, भवन को होने वाली कोई भी क्षति, चाहे वह ठीक बगल में हो या अन्यथा, और सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों या रास्तों को होने वाली कोई भी क्षति तथा इस संविदा की विषय-वस्तु बनने वाले भवन और अन्य संरचनाओं और कार्यों को होने वाली सभी क्षति शामिल मानी जाएगी। ठेकेदार पाले, बारिश, हवा या मौसम की अन्य खराबी से इस संविदा की विषय-वस्तु बनने वाले भवन और अन्य संरचनाओं और कार्यों को होने वाली किसी भी क्षति के लिए भी ज़िम्मेदार होगा। ठेकेदार उपर्युक्त व्यक्तियों या संपत्ति को होने वाली ऐसी किसी चोट या क्षति से उत्पन्न सभी और किसी भी हानि और व्यय के संबंध में तथा चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के विरुद्ध, चाहे वह किसी कानून के तहत हो या अन्यथा, और ऐसे दावे के परिणामस्वरूप दिए गए मुआवज़े या क्षतिपूर्ति के किसी भी अवार्ड के संबंध में भी बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा, उसे क्षतिपूरित रखेगा और उसे हानि से बचाएगा।

ठेकेदार इस क्लॉज़ में उल्लिखित हर प्रकार की क्षति को इस प्रकार ठीक करेगा कि संपूर्ण संविदा कार्य सभी प्रकार से पूर्ण और त्रुटिरहित स्थिति में सौंपे जा सकें और तृतीय पक्षों की संपत्ति की क्षति के सभी दावों का निपटान किया जा सके या उन्हें अन्यथा संतुष्ट किया जा सके। ठेकेदार कार्यों के संबंध में या उनके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी बात के संबंध में किसी भी व्यक्ति/जनता के सदस्य या अन्य तृतीय पक्ष द्वारा बैंक के विरुद्ध किए जा सकने वाले सभी दावों के विरुद्ध भी बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा और उसे क्षतिपूरित रखेगा तथा अपने खर्च पर, कार्य आरंभ होने की तारीख से संविदा पूर्ण होने तक, किसी

अनुमोदित बीमा कंपनी से ऐसे जोखिमों के विरुद्ध बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नामों में (पॉलिसी में पहले बैंक का नाम रखते हुए) बीमा पॉलिसी लेगा और उसे बनाए रखेगा तथा कार्य आरंभ होने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियाँ बैंक के पास जमा करेगा। पॉलिसी के तहत कवरेज की न्यूनतम सीमा वही होगी, जो संविदा की सामान्य शर्तों में अन्यत्र परिभाषित की गई है। ठेकेदार इसी प्रकार ठेकेदार या किसी उप-ठेकेदार के किसी कर्मचारी के संबंध में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम या इस संविदा की अवधि के दौरान लागू किसी अन्य कानून या कॉमन लॉ के तहत बैंक पर किए जा सकने वाले सभी दावों के विरुद्ध भी बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा और अपने खर्च पर, कार्य आरंभ होने की तारीख से संविदा पूर्ण होने तक, किसी अनुमोदित बीमा कंपनी से ऐसे जोखिमों के विरुद्ध बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नामों में (पॉलिसी में पहले बैंक का नाम रखते हुए) बीमा पॉलिसी लेगा और उसे बनाए रखेगा तथा संविदा की अवधि के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियाँ बैंक के पास जमा करेगा। ठेकेदार द्वारा ऊपर बताए अनुसार बीमा न कराने की स्थिति में, बैंक स्वयं बीमा करा सकता है और भुगतान किए गए प्रीमियम को ठेकेदार को देय या देय होने वाली किसी भी राशि से काट सकता है।

ठेकेदार ऊपर संदर्भित बीमा पॉलिसियों से बाहर रखी गई किसी भी देयता के लिए और इस संविदा के लापरवाहीपूर्ण या दोषपूर्ण निष्पादन से और उसके दौरान किसी भी व्यक्ति, पशु या संपत्ति को होने वाली अन्य सभी क्षतियों के लिए भी ज़िम्मेदार होगा, चाहे क्षति किसी भी कारण से हुई हो। वह कार्यों से संबंधित किसी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न सभी और किसी भी लागत, प्रभार या व्यय के संबंध में और उससे उत्पन्न मुआवज़े या क्षतिपूर्ति के किसी भी अवार्ड के संबंध में भी बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा और उसे क्षतिपूरित रखेगा। ऐसी चूक के संबंध में ठेकेदार के विरुद्ध बैंक के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक ठेकेदार को देय किसी भी राशि में से बैंक द्वारा भुगतान की गई और इस क्लॉज़ के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा देय किसी भी क्षति, मुआवज़े, लागत, प्रभार और अन्य व्यय की राशि काटने का हकदार होगा। इस क्लॉज़ के अंतर्गत ली गई पॉलिसी के अनुसार बीमाकर्ता के विरुद्ध किए गए किसी दावे का बीमाकर्ता द्वारा निपटान किए जाने पर, ठेकेदार नष्ट या क्षतिग्रस्त कार्यों का पुनर्निर्माण या मरम्मत पूरी तत्परता से करेगा। इस स्थिति में ऐसी क्षति के संबंध में बीमाकर्ता से प्राप्त सारी राशि ठेकेदार को दी जाएगी और ठेकेदार नष्ट या क्षतिग्रस्त सामग्री या वस्तुओं के निर्माण या मरम्मत पर किए गए व्यय के संबंध में किसी और भुगतान का हकदार नहीं होगा।

क्षति के बाद पुनर्निर्माण या पूर्ववत स्थिति में लाने की स्थिति में, ठेकेदार कार्य पूर्ण करने के लिए उतनी समय-वृद्धि का हकदार होगा, जितनी बैंक उचित समझे, किंतु वह यहाँ बताए अनुसार उत्पन्न किसी दावे के निपटान में बीमाकर्ता द्वारा अंततः भुगतान की गई राशि में किसी कमी की बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

इस क्लॉज़ के अंतर्गत अपनी देयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ठेकेदार सभी नामित उप-ठेकेदारों से भी उनके संबंधित कार्य-भागों के लिए इस क्लॉज़ के प्रावधानों के अनुसार इसी प्रकार की बीमा पॉलिसियाँ लिवाएगा और ऐसी पॉलिसियाँ बैंक के समक्ष प्रस्तुत करेगा या करवाएगा। ठेकेदार किसी नामित उप-ठेकेदार को तब तक साइट पर कार्य आरंभ करने की अनुमति नहीं देगा, जब तक उक्त बीमा पॉलिसियाँ प्रस्तुत न कर दी जाएँ। साइट पर कार्य आरंभ करने से पहले उप-ठेकेदार द्वारा ऐसी बीमा पॉलिसी या पॉलिसियाँ न लेने की स्थिति में, उक्त उप-ठेकेदार के कारण होने वाले किसी भी दावे या क्षति के लिए ठेकेदार ज़िम्मेदार होगा।

ऊपर उल्लिखित बीमा संबंधी सभी शर्तों को पूरा करने के लिए, ठेकेदार कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 14 दिनों के भीतर, अपनी लागत पर कार्यों का बीमा कराएगा और कार्य पूर्ण होने तक उन्हें आग से होने वाली हानि या क्षति के विरुद्ध बीमित रखेगा। यह बीमा किसी बीमा कार्यालय से बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नामों में (पॉलिसी में पहले बैंक अर्थात् "भारतीय रिज़र्व बैंक" का नाम रखते हुए) कराया जाएगा। इसमें निम्नलिखित जोखिम शामिल होंगे:

i. पूरे संविदा मूल्य के लिए भंडारण, इरेक्शन, परीक्षण और कमीशनिंग पॉलिसी सहित ठेकेदार ऑल रिस्क (सीएआर) पॉलिसी बीमा, जिसमें आग का जोखिम और निर्माता के कार्यस्थल से साइट तक परिवहन (लागू अनुसार हवाई/समुद्री/सड़क मार्ग आदि से) के लिए ट्रांज़िट बीमा शामिल हो।

ii. साइट पर ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए कर्मकार प्रतिकर पॉलिसी।

iii. प्रति दुर्घटना ₹2 लाख की सीमा के साथ, अधिकतम तीन दुर्घटनाओं तक, तृतीय पक्ष देयता पॉलिसी।

**नोट:** यदि ठेकेदार ये पॉलिसियाँ उपलब्ध नहीं कराता है, तो बैंक उपर्युक्त बीमा पॉलिसियाँ स्वयं लेने और उसकी दोगुनी लागत दंड के रूप में ठेकेदार के बिल से वसूलने या जो भी अन्य कार्रवाई वह उचित समझे, करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

### 13. कार्य आरंभ और पूर्ण होने की तारीख

ठेकेदार को इसके परिशिष्ट में बताई गई "आरंभ होने की तारीख" को या बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी बाद की तारीख को साइट में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और वह उसके बाद तुरंत कार्य आरंभ करेगा और नियमित रूप से कार्य जारी रखेगा तथा परिशिष्ट में बताई गई "पूर्ण होने की तारीख" को या उससे पहले उसे पूरा करेगा (सिवाय ऐसे पेंटिंग या अन्य सजावटी कार्य के, जिसे बैंक विलंबित करना चाहे), तथापि यह आगे दिए गए समय-वृद्धि के प्रावधानों के अधीन होगा।

### 14. ठेकेदार द्वारा बैंक के अनुदेशों का पालन न करना

यदि ठेकेदार दस दिनों के भीतर अनुपालन की अपेक्षा करने वाला लिखित नोटिस बैंक से प्राप्त होने के बाद ऐसी अतिरिक्त ड्रॉइंग का पालन करने में विफल रहता है, तो बैंक उसे लागू करने के लिए आवश्यक

कोई भी कार्य निष्पादित करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियोजित कर सकता है और उन्हें भुगतान कर सकता है और उसके संबंध में किए गए सभी खर्च बैंक द्वारा ठेकेदार से ऋण के रूप में वसूल किए जा सकेंगे या ठेकेदार को देय किसी भी राशि से काटे जा सकेंगे।

**15. बैंक द्वारा संविदा की समाप्ति**

यदि व्यक्ति या फर्म के रूप में ठेकेदार कोई "दिवाला कृत्य" करता है या उसे दिवालिया घोषित किया जाता है या निगमित कंपनी होने की स्थिति में उसके विरुद्ध अनिवार्य परिसमापन का आदेश दिया जाता है या वह स्वैच्छिक रूप से या न्यायालय की देखरेख में परिसमापन के लिए प्रभावी संकल्प पारित करती है और ऐसे दिवाला कृत्यों या परिसमापन, जैसा भी मामला हो, में आधिकारिक समनुदेशिती या परिसमापक, उससे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाला नोटिस दिए जाने के सात दिनों के भीतर, बैंक को उचित रूप से संतुष्ट नहीं कर पाता है कि वह संविदा को पूरा करने में सक्षम है और यदि बैंक द्वारा अपेक्षित हो, तो उसके लिए प्रतिभूति देने में सक्षम है।

या यदि ठेकेदार (चाहे व्यक्ति, फर्म या निगमित कंपनी हो) के विरुद्ध संपत्ति कुर्क करने का न्यायालय का निष्पादन या अन्य आदेश जारी होता है,

या इस संविदा के अंतर्गत कोई भुगतान ठेकेदार के किसी लेनदार द्वारा या उसकी ओर से कुर्क किया जाता है,

या वह बैंक की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना इस संविदा को समनुदेशित या सब-लेट करता है,

या वह इस संविदा या इसके अंतर्गत ठेकेदार को देय या देय होने वाले किसी भुगतान पर प्रभार सृजित करता है या उसे भारग्रस्त करता है,

या यदि बैंक यह निर्धारित करता है कि ठेकेदार ने

i. संविदा का परित्याग कर दिया है, या

ii. कार्य आरंभ करने में विफल रहा है, या बैंक से कार्य जारी रखने का नोटिस प्राप्त होने के बाद इन शर्तों के अंतर्गत बिना किसी वैध कारण के 14 दिनों तक कार्य की प्रगति रोक दी है, या

iii. कार्य को इतनी तत्परता से जारी रखने और इतनी प्रगति करने में विफल रहा है, जिससे कार्य सहमत समय के भीतर पूरा हो सके, या

iv. यह लिखित नोटिस प्राप्त होने के बाद कि उक्त सामग्री या कार्य को इन शर्तों के अंतर्गत बैंक द्वारा अनुपयुक्त ठहराकर अस्वीकार कर दिया गया है, सात दिनों तक साइट से सामग्री हटाने या कार्य को गिराकर बदलने में विफल रहा है, या

v. संविदा के अनुसार ठेकेदार द्वारा पालन किए जाने वाले और किए जाने वाले सभी या किन्हीं कार्यों, मामलों या बातों का पालन करने की अपेक्षा करने वाला लिखित नोटिस ठेकेदार को दिए जाने के बाद सात दिनों तक लगातार उनकी उपेक्षा की है या उनका पालन करने में विफल रहा है।

तब उक्त किसी भी मामले में, बैंक किसी पूर्व छूट के होते हुए भी, ठेकेदार को सात दिनों का लिखित नोटिस देने के बाद संविदा को समाप्त कर सकता है और ठेकेदार की देयताएँ, जो सभी पूरी तरह इस प्रकार लागू रहेंगी मानो संविदा समाप्त न की गई हो और मानो बाद में निष्पादित कार्य ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किए गए हों। इसके अलावा, बैंक अपने एजेंटों या कर्मचारियों के माध्यम से कार्यस्थल में प्रवेश कर सकता है और परिसर या आसपास की भूमि या सड़कों पर पड़े कार्यों और सभी संयंत्र, औज़ार, स्कैफोल्डिंग, मशीनरी और सामग्री को अपने कब्ज़े में ले सकता है और उन्हें अपनी संपत्ति के रूप में उपयोग कर सकता है या अपने कर्मचारियों और कामगारों के माध्यम से कार्य जारी रखने और पूरा करने में या कार्य पूरा करने के लिए किसी अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को नियोजित करके उनका उपयोग कर सकता है और ठेकेदार कार्य को पूरा करने और समाप्त करने या कार्यों के लिए सामग्री और संयंत्र का उपयोग करने के लिए नियोजित ऐसे अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के कार्य में किसी भी प्रकार से बाधा नहीं डालेगा या उन्हें रोकने या बाधित करने के लिए कोई कार्य, मामला या बात नहीं करेगा। जब कार्य पूरा हो जाएगा या उसके बाद जितनी जल्दी सुविधाजनक हो, बैंक ठेकेदार को उसकी अतिरिक्त सामग्री और संयंत्र हटाने के लिए लिखित नोटिस देगा और यदि ठेकेदार उसकी प्राप्ति के बाद चौदह दिनों की अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो बैंक उन्हें सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच सकता है और प्राप्त निवल राशि ठेकेदार के खाते में जमा कर सकता है। इसके बाद बैंक अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में यह सुनिश्चित और प्रमाणित करेगा कि बैंक द्वारा इस प्रकार कब्ज़े में लिए गए उक्त संयंत्र और सामग्री के मूल्य और कार्य पूरा कराने में बैंक को हुए व्यय या हानि के लिए बैंक को या बैंक द्वारा क्या (यदि कुछ हो) देय या भुगतान योग्य है और ठेकेदार को देय राशि, यदि कोई हो, और इस प्रकार प्रमाणित राशि का भुगतान, जैसा भी मामला हो, बैंक द्वारा ठेकेदार को या ठेकेदार द्वारा बैंक को किया जाएगा और बैंक का निर्णय पक्षकारों के बीच अंतिम और निर्णायक होगा।

**16. प्रमाणपत्र और भुगतान**

यदि कार्य या उसके कोई भाग बैंक की संतुष्टि के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं, तो बैंक को कोई भी प्रमाणपत्र रोकने का अधिकार होगा।

बैंक किसी भी प्रमाणपत्र द्वारा अपने द्वारा पहले जारी किए गए किसी भी प्रमाणपत्र में कोई भी सुधार कर सकता है।

भुगतान ऐसे प्रमाणपत्र बैंक को सौंपे जाने के बाद परिशिष्ट में "प्रमाणपत्रों के भुगतान की अवधि" के रूप में उल्लिखित अवधि के भीतर किए जाएँगे।

प्रणाली के लिए भुगतान भारतीय रुपये में किया जाएगा और इस संविदा से उत्पन्न किसी भी विवाद का निपटान भी बैंक के उस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में किया जाएगा, जहाँ से संविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

**17. मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटान**

संविदा से या कार्यों के निष्पादन से उत्पन्न या उससे संबंधित किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद (चाहे कार्य की प्रगति के दौरान हों या पूर्ण होने के बाद और चाहे संविदा की समाप्ति, परित्याग या उल्लंघन से पहले हों या बाद में) बैंक को भेजे जाएँगे और बैंक द्वारा उनका निपटान किया जाएगा, जो अपना निर्णय लिखित रूप में देगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाणपत्र के रूप में या अन्यथा हो सकता है। अपवर्जित मामलों में से किसी के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। किंतु यदि कोई भी पक्ष किसी मामले पर असंतुष्ट है, तो वह पक्ष ऐसे निर्णय का नोटिस प्राप्त होने के 28 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को लिखित नोटिस देकर यह अपेक्षा कर सकता है कि विवादित मामलों को यहाँ सहमत प्रक्रिया के अनुसार मध्यस्थता के लिए भेजा जाए। ऐसे लिखित नोटिस में उन मामलों का उल्लेख होगा, जो विवाद या मतभेद में हैं और जिनके संबंध में ऐसा लिखित नोटिस दिया गया है। यदि दोनों पक्ष सहमत हों, तो इस प्रयोजन के लिए एकल मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमति न बनने की स्थिति में, दोनों पक्ष अपनी ओर से एक-एक व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित करेंगे। पक्षों द्वारा नामित दोनों मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए एक और व्यक्ति को नामित करेंगे।

मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसा भी मामला हो, को पिछले क्लॉज़ में संदर्भित अपवर्जित मामलों को छोड़कर, किसी भी प्रमाणपत्र, राय, निर्णय, अपेक्षा या नोटिस को खोलने, उसकी समीक्षा करने और उसे संशोधित करने तथा मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले और जिनके संबंध में उपर्युक्तानुसार नोटिस दिया गया हो, ऐसे सभी विवादित मामलों का निर्धारण करने का अधिकार होगा।

मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, संदर्भ पर कार्य आरंभ करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर (या पक्षों की सहमति से उसके या उनके द्वारा, जैसा भी मामला हो, तय की गई और बढ़ाई गई अवधि के भीतर) अपना अवार्ड देगा/देंगे। यदि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पक्ष परस्पर अपने विवाद या मतभेद का निपटान या समझौता कर लेते हैं, तो पक्षों द्वारा निपटान या समझौते का संयुक्त ज्ञापन दाखिल करने पर, मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, ऐसे निपटान या समझौते की शर्तों के अनुसार अवार्ड देगा/देंगे।

ऐसे किसी भी संदर्भ पर, संदर्भ और अवार्ड से संबंधित लागत का निर्णय क्रमशः मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसा भी मामला हो, के विवेक पर होगा, जो उसकी राशि निर्धारित कर सकते हैं या पक्षों के बीच उसके निर्धारण का निर्देश दे सकते हैं और यह निर्देश देंगे कि उसे किसके द्वारा, किसे और किस प्रकार वहन और भुगतान किया जाएगा।

इस प्रस्तुति को माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी सांविधिक संशोधन के अर्थ में मध्यस्थता के लिए प्रस्तुति माना जाएगा।

मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसा भी मामला हो, का अवार्ड पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। यह सहमति है कि ठेकेदार ऐसे किसी मामले, प्रश्न या विवाद के मध्यस्थता के लिए भेजे जाने के कारण कार्यों के निष्पादन में विलंब नहीं करेगा, बल्कि पूरी तत्परता से कार्य जारी रखेगा और मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय आने तक बैंक के निर्णय का पालन करेगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसा भी मामला हो, का कोई भी अवार्ड ठेकेदार को कार्यों के वास्तविक निष्पादन के संबंध में बैंक के अनुदेशों का कड़ाई से पालन करने के उसके दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा।

बैंक और ठेकेदार एतद्द्वारा यह भी सहमत हैं कि इस क्लॉज़ के अंतर्गत मध्यस्थता, संविदा के अंतर्गत कार्रवाई के किसी भी अधिकार के लिए पूर्व शर्त होगी।

मध्यस्थता का स्थान वह केंद्र/शहर होगा, जिसमें कार्य निष्पादित किया जा रहा है।

**18. अंतिम बिल की तकनीकी जाँच का अधिकार**

बैंक को अंतिम बिल के भुगतान के समय कार्यों की और सभी सहायक वाउचरों, सारांशों आदि सहित ठेकेदार के अंतिम बिल की तकनीकी जाँच कराने का अधिकार होगा। यदि इस जाँच के परिणामस्वरूप या अन्यथा कोई राशि अधिक भुगतान की गई या अधिक प्रमाणित की गई पाई जाती है, तो बैंक के लिए उस राशि की वसूली करना विधिसम्मत होगा।

**19. कामगारों को दिए गए मुआवज़े की वसूली का बैंक का अधिकार**

यदि किसी भी कारण से बैंक कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 या उसके किसी सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के प्रावधानों के आधार पर कार्यों के निष्पादन में ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी कामगार को मुआवज़ा देने के लिए बाध्य होता है, तो बैंक इस प्रकार भुगतान की गई मुआवज़े की राशि ठेकेदार से वसूल करने का हकदार होगा और यह उक्त अधिनियम के अंतर्गत बैंक के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा। बैंक ऐसी राशि या उसका कोई भाग प्रतिभूति जमा से या इस संविदा के अंतर्गत या अन्यथा बैंक द्वारा ठेकेदार को देय किसी भी राशि से काटकर वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा। बैंक उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपने विरुद्ध किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए तब तक बाध्य नहीं होगा, जब तक ठेकेदार लिखित अनुरोध न करे और ऐसे दावे का विरोध करने के परिणामस्वरूप बैंक पर आने वाली सभी लागतों के लिए बैंक की संतुष्टि के अनुसार पूरी प्रतिभूति न दे।

**20. कार्य का परित्याग**

यदि निविदा की स्वीकृति के बाद किसी भी समय, बैंक को किसी भी कारण से संपूर्ण कार्य या उसके किसी भाग को निष्पादित कराने की आवश्यकता नहीं होती है, तो बैंक ठेकेदार को लिखित नोटिस देगा, जिसका

संपूर्ण कार्य के निष्पादन से उसे प्राप्त हो सकने वाले किसी लाभ या फायदे के कारण किसी मुआवज़े के भुगतान या अन्य किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं होगा।

**21. ठेकेदार के व्यक्ति होने की स्थिति में, उसकी मृत्यु होने पर संविदा समाप्त करने का बैंक का अधिकार**

इस संविदा के अंतर्गत किसी भी अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि व्यक्ति के रूप में ठेकेदार की मृत्यु हो जाती है, तो बैंक को ऐसी समाप्ति के लिए कोई देयता उठाए बिना संविदा समाप्त करने का विकल्प होगा।

**22. दुर्घटना रिपोर्ट**

किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर, सभी अपेक्षित रिपोर्ट (दुर्घटना संबंधी या अन्यथा) बिना विलंब के प्रस्तुत की जानी चाहिए। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि ये रिपोर्ट किसी अन्य बाहरी पक्ष या हितधारक को भेजने के साथ-साथ ही बैंक को भी भेजी जाएँ।

**23. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम**

i. ठेकेदार "कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार होगा। बैंक के परिसर में या संविदा के निष्पादन के लिए कार्यस्थल पर उसके कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी शिकायत की स्थिति में, शिकायत ठेकेदार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति या स्थानीय शिकायत समिति, जैसा भी मामला हो, के समक्ष दर्ज की जाएगी और ठेकेदार/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के अंतर्गत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

ii. सेवा प्रदाता के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी या बैंक में कार्यरत किसी अन्य फर्म के किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

iii. यदि घटना में ठेकेदार के कर्मचारी शामिल हैं, तो दिए जाने वाले किसी भी आर्थिक मुआवज़े के लिए ठेकेदार ज़िम्मेदार होगा, उदाहरण के लिए, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा सिद्ध होती है, तो बैंक के कर्मचारी या अन्य फर्म के कर्मचारी को कोई आर्थिक राहत।

iv. ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूक करने के लिए ज़िम्मेदार होगा।

v. ठेकेदार बैंक के परिसर में या संविदा के निष्पादन के लिए कार्यस्थल पर तैनात अपने कर्मचारियों की पूरी और अद्यतन सूची उपलब्ध कराएगा।

## 24. गोपनीयता (नॉन-डिस्क्लोज़र) क्लॉज़

i. इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करते समय सेवा प्रदाता और/या डीबी डेवलपर के कब्ज़े या जानकारी में आने वाली बैंक के इन्फ्रास्ट्रक्चर/प्रणालियों/उपकरणों आदि की कोई भी जानकारी, सामग्री और विवरण ठेकेदार किसी तृतीय पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा और उन्हें हर समय पूरी तरह गोपनीय रखेगा। ठेकेदार संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय उस सीमा तक जहाँ तक उसके अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक हो। ठेकेदार द्वितीय पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी व्यापारिक या तकनीकी पत्रिका में या अन्यत्र कार्यों का कोई विवरण प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगा या प्रकट नहीं करेगा। उपर्युक्त का पालन न करना, जैसा भी मामला हो, ठेकेदार की ओर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और द्वितीय पक्ष क्षतिपूर्ति का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा।

ii. ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस करार के अंतर्गत गोपनीय जानकारी प्रकट न करने के दायित्व पूरी तरह पूरे हों।

औपचारिक संविदा करार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस निविदा के अंतर्गत ठेकेदार पर बाध्यकारी सभी गोपनीयता और जानकारी प्रकट न करने के दायित्व किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति, पूर्ण होने या समापन के बाद भी लागू रहेंगे।

## 25. प्रोग्राम चार्ट/प्रगति रिपोर्ट

ठेकेदार आवंटित अवधि के भीतर कार्य पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए कार्य के विभिन्न चरणों को पूरा करने हेतु उपयुक्त प्रगति रिपोर्ट/चार्ट प्रस्तुत करेगा। ऐसा प्रोग्राम कार्य आरंभ होने के समय या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बैंक द्वारा किए गए सभी उपयुक्त संशोधन प्रगति चार्ट में शामिल किए जाने चाहिए। यदि कहा जाए, तो ठेकेदार अलग-अलग यूनिटों और यूनिटों के समूहों के लिए उपकरणों की वर्तमान डिलीवरी तारीखें और पूरा होने की अनुमानित तारीखें दर्शाने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

## 26. सांविधिक अनुमोदन

ठेकेदार द्वारा कार्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी)/मुख्य विद्युत निरीक्षक (सीईआई)/स्थानीय अग्निशमन प्राधिकरण/स्थानीय नगर निगम प्राधिकरण आदि/स्थानीय सांविधिक प्राधिकरण जैसे संबंधित सांविधिक प्राधिकरणों से प्राप्त पूर्व-एनओसी और स्थानीय निकाय अनुमोदन के अनुसार निष्पादित किया जाएगा। ठेकेदार ऐसे सभी अनुमोदनों में किए गए सभी प्रावधानों को समझने के लिए ज़िम्मेदार होगा। किसी अतिरिक्त कार्य/उसमें संशोधन की आवश्यकता होने पर, उसे काफी पहले प्रभारी इंजीनियर/बैंक के प्रतिनिधि के ध्यान में लाया जाएगा। कार्य स्थानीय निकाय प्राधिकरणों के मानदंडों का पालन करते हुए निष्पादित करना होगा। ठेकेदार संबंधित प्राधिकरणों से आगे के अनुमोदन और अंतिम पूर्णता तथा

ऑक्युपेंसी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए कार्य के दौरान और कार्य पूर्ण होने के बाद आवश्यकतानुसार दस्तावेज़, रिपोर्ट आदि तैयार करने में सहायता करेगा। ठेकेदार संबंधित प्राधिकरणों के साथ बैठकों में भाग लेने और सभी संपर्क (लायज़निंग) कार्य करने के लिए भी ज़िम्मेदार होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। तथापि, स्थानीय निकायों/प्राधिकरणों को भुगतान किया गया शुल्क, यदि कोई हो, बैंक द्वारा वहन किया जाएगा।

**27. डिबारमेंट/अयोग्यता**

किसी ठेकेदार को निम्नलिखित आधारों पर बोली लगाने से डिबार/अयोग्य किया जा सकता है:

I. यदि यह निर्धारित होता है कि ठेकेदार ने सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन करते हुए निम्नलिखित कृत्य या लोप किए हैं:

क.

i. खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ के बदले में या खरीद प्रक्रिया को अन्यथा प्रभावित करने के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत, इनाम या उपहार या कोई भौतिक लाभ देने का प्रस्ताव करना, माँगना या स्वीकार करना।

ii. कोई भी लोप या गलत अभ्यावेदन, जिससे गुमराह हो सकता हो या गुमराह करने का प्रयास किया गया हो, ताकि वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त किया जा सके या किसी दायित्व से बचा जा सके।

iii. कोई भी मिलीभगत, बोली में हेराफेरी या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार, जिससे खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति प्रभावित हो सकती हो।

iv. खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के इरादे से या व्यक्तिगत लाभ के लिए खरीदार संस्था द्वारा ठेकेदार को दी गई जानकारी का अनुचित उपयोग।

v. निविदा या संविदा के निष्पादन की प्रक्रिया से संबंधित, ठेकेदार और खरीदार संस्था के किसी अधिकारी के बीच कोई वित्तीय या व्यावसायिक लेन-देन, जो खरीदार संस्था के निर्णय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता हो।

vi. खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी पक्ष या उसकी संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुँचाने के लिए कोई दबाव या धमकी।

vii. किसी खरीद प्रक्रिया की किसी जाँच या लेखापरीक्षा में बाधा डालना।

viii. किसी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए या संविदा प्राप्त करने के लिए झूठी घोषणा करना या झूठी जानकारी देना।

ख. हितों के टकराव को प्रकट करने में विफल रहा है।

ग. पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी सार्वजनिक संस्था/इकाई के साथ उप-क्लॉज़ (i) के प्रावधानों के संबंध में किए गए किसी पिछले उल्लंघन को या किसी सार्वजनिक खरीद संस्था/इकाई द्वारा डिबार किए जाने को प्रकट करने में विफल रहा है।

II. सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन के अलावा ठेकेदार द्वारा किए गए किसी भी ऐसे कृत्य या लोप के लिए, जो बैंक की राय में डिबारमेंट के योग्य हो, जैसे घटिया सामग्री की आपूर्ति, सामग्री की आपूर्ति न करना, कार्य का परित्याग, कार्य की घटिया गुणवत्ता, निविदा की शर्तों का पालन न करना आदि।

III. यदि ठेकेदार को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है— (क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत; या (ख) भारतीय दंड संहिता या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत, किसी सार्वजनिक खरीद संविदा के निष्पादन के दौरान जान या माल की हानि करने या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने के लिए।

**28. पुलिस सत्यापन**

साइट पर नियमित रूप से तैनात सभी कामगारों के लिए, ठेकेदार कार्य आरंभ होने से पहले अपने खर्च पर वैध पुलिस सत्यापन रिपोर्ट (पीवीआर) की व्यवस्था करेगा, उन्हें प्राप्त करेगा और प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिकूल पुलिस रिकॉर्ड या लंबित आपराधिक मामले वाला कोई भी कामगार बैंक के परिसर में या साइट पर तैनात न किया जाए।

----------x----------

## खंड V

## संविदा की विशेष शर्तें

**1. कार्य पूर्ण होने का समय:**

i. ज्ञापन में उल्लिखित कार्य निष्पादित करने के लिए दिए गए समय का ठेकेदार द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा और इसकी गणना कार्य आरंभ करने का लिखित आदेश जारी होने के तुरंत बाद से की जाएगी। संविदा की निर्धारित पूरी अवधि के दौरान कार्य पूरी तत्परता से जारी रखा जाएगा और यदि ठेकेदार निर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो वह संविदा में निर्धारित मुआवज़े का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ठेकेदार कार्य आरंभ करने से पहले एक विस्तृत कार्य-कार्यक्रम तैयार करेगा, जिसका अनुमोदन बैंक द्वारा किया जाएगा।

ii. ठेकेदार कार्य आरंभ करने या निष्पादित करने में विलंब के कारण उसे होने वाली किसी भी हानि के लिए किसी मुआवज़े का हकदार नहीं होगा, विलंब का कारण चाहे जो भी हो, जिसमें उसे सौंपे गए कार्य में या उससे जुड़े किसी उप-संविदा में संशोधन से उत्पन्न विलंब या परियोजना के अन्य कार्यों के लिए संविदाएँ देने में या ऐसे कार्यों के आरंभ या पूर्ण होने में विलंब या सरकार द्वारा नियंत्रित या अन्य भवन निर्माण सामग्री प्राप्त करने में या निर्माण प्रयोजनों के लिए पानी और बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में या किसी भी अन्य कारण से होने वाला विलंब शामिल है और बैंक उसके संबंध में किसी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। बैंक यहाँ प्रावधान किए गए परिवर्तनों के अधीन, निविदा राशि के अलावा किसी भी राशि की देयता स्वीकार नहीं करता है।

**2. प्रतिभूति जमा का प्रकार:**

i. **परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (पीबीजी):** सफल ठेकेदार द्वारा संविदात्मक दायित्वों को विधिवत पूरा करने के लिए संविदा की पूरी अवधि हेतु किसी भी अनुसूचित बैंक से अनुलग्नक IX के अनुसार बैंक गारंटी (बीजी) के रूप में संविदा मूल्य के 5% (पाँच प्रतिशत) के बराबर राशि प्रस्तुत की जाएगी। यह परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (पीबीजी) आरंभ में संविदा अवधि और 60 दिनों की अवधि के लिए वैध होगी। ऐसी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (पीबीजी) कार्य आरंभ होने से पहले बैंक को प्रस्तुत की जानी चाहिए। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (पीबीजी) ई-पीबीजी या भौतिक प्रति के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है।

ii. निविदा में निर्धारित अनुसार पीबीजी प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में विलंब होने पर, पीबीजी प्रस्तुत करने में विलंब का प्रभार बैंक दर पर ठेकेदार के बिलों से वसूल किया जाएगा।

iii. शर्तों के असंतोषजनक निष्पादन की स्थिति में बैंक, बैंक गारंटी को लागू (इनकैश) करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3. **भुगतान की शर्तें:** सांविधिक कटौतियों के अधीन, इस संविदा पर भुगतान की निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

i. उद्धृत दर का 100% मूल्य कार्य पूर्ण होने पर जारी किया जाएगा।

ii. इसके अलावा, सरकारी नियमों के अनुसार आयकर अधिभार, टीडीएस और कोई अन्य सांविधिक कर।

## खंड VI

## कार्य का दायरा

भारतीय रिज़र्व बैंक (नई दिल्ली) **बैंक के निर्देशानुसार आईआईटीएफ 2026, भारत मंडपम परिसर में आईटीपीओ द्वारा 14-27 नवंबर, 2026 के दौरान आयोजित किए जाने वाले मेले में हॉल 5 (पहली मंज़िल) में 114 वर्ग मीटर के आरबीआई स्टॉल सं. 5F-07-A के फैब्रिकेशन, सजावट और रखरखाव** के लिए राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में स्टॉल फैब्रिकेट करने के सिद्ध अनुभव और साख वाले प्रतिष्ठित पेशेवर ठेकेदारों/एजेंसियों से बोलियाँ आमंत्रित करता है। इस व्यापार मेले में आरबीआई की भागीदारी का उद्देश्य आम जनता के बीच 'वित्तीय जागरूकता' और 'आरबीआई द्वारा किए जाने वाले सामान्य कार्यों' की जानकारी का प्रसार करना है। इसे ध्यान में रखते हुए, स्टॉल मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित होगा:

क. **वित्तीय साक्षरता:** उस प्रक्रिया के बारे में आवश्यक जानकारी का प्रसार, जिसके द्वारा वित्तीय उपभोक्ता/निवेशक वित्तीय उत्पादों, अवधारणाओं और जोखिमों के बारे में अपनी समझ बढ़ाते हैं और जानकारी, अनुदेश और/या वस्तुनिष्ठ सलाह के माध्यम से वित्तीय जोखिमों और अवसरों के प्रति अधिक जागरूक होने, सोच-समझकर विकल्प चुनने, यह जानने कि सहायता के लिए कहाँ जाएँ और अपनी वित्तीय भलाई में सुधार के लिए अन्य प्रभावी कदम उठाने का कौशल और आत्मविश्वास विकसित करते हैं। इसमें डिजिटल मीडिया के माध्यम से एफएएमई (फेम) संदेश और विभिन्न लक्षित समूहों जैसे एसएचजी, विद्यार्थियों आदि को उपलब्ध बैंकिंग सुविधाएँ शामिल हैं, किंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

ख. **मुद्रा प्रबंधन:** बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताएँ, जाली भारतीय करेंसी नोटों (एफआईसीएन) की पहचान, गंदे और कटे-फटे नोटों के विनिमय/निर्णय से संबंधित आरबीआई (नोट वापसी) नियम।

ग. **भुगतान और निपटान प्रणालियाँ:** भुगतान प्रणालियों के विभिन्न तरीकों के उपयोग में क्या करें और क्या न करें।

घ. **विदेशी मुद्रा:** विभिन्न प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा के उपयोग से संबंधित मुद्दे और उनकी सीमाएँ।

ङ. **रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना (आरबीआईओएस):** आरबीआईओएस के अंतर्गत शिकायत निवारण।

च. **धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता:** पैसे और निधियों का लेन-देन करते समय क्या करें और क्या न करें।

छ. **साइबर स्वच्छता:** ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से प्राप्त फर्ज़ी प्रस्तावों के विरुद्ध जनता को सावधान करना।

उपर्युक्त विषयों पर प्रदर्शित की जाने वाली नमूना सामग्री आरबीआई द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

इस निविदा का उद्देश्य भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) 2026 की अवधि के दौरान भारत मंडपम परिसर में आरबीआई स्टॉल के डिज़ाइन, फैब्रिकेशन, सजावट और रखरखाव तथा प्रदर्शनी पूरी होने पर आईटीपीओ द्वारा निर्धारित समय के अनुसार उसे हटाने (डिसमेंटलिंग) और वहाँ से ले जाने के संबंध में कार्य सौंपना है। ठेकेदार प्रदर्शनी पूरी होने पर स्टॉल में बची हुई/अप्रयुक्त साक्षरता सामग्री आरबीआई को लौटाने की व्यवस्था भी करेगा।

संदर्भ के लिए एक सांकेतिक डिज़ाइन और साइट लेआउट योजना (**अनुलग्नक क**) संलग्न है।

**"वित्तीय साक्षरता"** को केंद्र में रखते हुए, बोली में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए (तथापि, बैंक आवश्यकतानुसार ठेकेदार को साइट पर संशोधन करने का निर्देश देने का अधिकार सुरक्षित रखता है):

**यद्यपि कार्य का सांकेतिक व्यापक दायरा नीचे दी गई तालिका में दिया गया है, फिर भी विस्तृत विवरण अनुलग्नक ख में दिया गया है। इसके अलावा, डिलिवरेबल्स की सटीक संख्या बैंक के विवेक के अनुसार भिन्न हो सकती है।**

| क्र.सं. | सामान्य विवरण |
|---|---|
| 1 | **स्टॉल का आकार:** 114 वर्ग मीटर (04 तरफ खुला) (19 मीटर x 06 मीटर) - संलग्न लेआउट के अनुसार |
| 2 | कार्य का दायरा: बैंक के निर्देशानुसार टर्नकी आधार पर संपूर्ण फैब्रिकेशन, सजावट और रखरखाव |
| 3 | **प्रदर्शनी के बाद की देयताएँ:** प्रदर्शनी के ढाँचे को सावधानीपूर्वक हटाना (डिसमेंटलिंग) और ले जाना |
| 4 | नोट: सभी सामग्री और संपत्ति ठेकेदार की होगी और किराये के आधार पर होगी। |

| क. | आधारभूत ढाँचा (संलग्न आईआईटीएफ दिशानिर्देशों और प्रस्तावित डिज़ाइन के अनुसार): |
|---|---|
| 1 | 19.00 मीटर x 6.00 मीटर फुटप्रिंट के लिए एक सेल्फ-सपोर्टिंग, ऊपर से खुले पेरीमीटर पवेलियन फ्रेम का फैब्रिकेशन, इरेक्शन और रखरखाव |
| 2 | पवेलियन के पेरीमीटर के चारों ओर हटाने योग्य फेशिया एनक्लोज़र का फैब्रिकेशन, फिक्सिंग और रखरखाव |
| 3 | फेशिया के भीतरी भाग पर चित्रों वाला पैनल |
| 4 | एक फ्रीस्टैंडिंग, पूरी ऊँचाई वाले आरबीआई भवन फोटो-बैकड्रॉप सपोर्ट पैनल की फिक्सिंग |
| 5 | पैंट्री की दीवार के पार्टीशन, एक लॉक होने वाला दरवाज़ा, पैंट्री बेस स्टोरेज कैबिनेट और वर्कटॉप की फिक्सिंग |

| | |
|---|---|
| **क.** | **आधारभूत ढाँचा (संलग्न आईआईटीएफ दिशानिर्देशों और प्रस्तावित डिज़ाइन के अनुसार):** |
| 6 | आरबीआई प्रतीक-चिह्न सहित दो विज़िटर काउंटर टेबल और कुर्सियाँ |
| 7 | एंटीस्किड कारपेट सहित एक मैजिक-शो स्टेज का इरेक्शन और रखरखाव |
| 8 | अस्थायी प्रदर्शनी कारपेट (6 मिमी) बिछाना |
| **ख.** | **डिलिवरेबल्स- डिस्प्ले (डिस्प्ले की सामग्री आरबीआई द्वारा दी जाएगी। डिज़ाइन, फैब्रिकेशन और अन्य सभी संबंधित गतिविधियाँ ठेकेदार की ज़िम्मेदारी हैं):** |
| 1 | एक यूएसबी कम्पैटिबल एलईडी स्क्रीन (8 फुट x 4 फुट) |
| 2 | तीन कमर्शियल 50 इंच नॉमिनल यूएचडी इंटरैक्टिव डिस्प्ले, स्क्रीन की ऊँचाई सामान्य उपयोगकर्ता की ऊँचाई तक रखते हुए, और तीन इंटरैक्टिव शैक्षिक मॉड्यूल विकसित करना |
| 3 | चार कमर्शियल 50 इंच यूएचडी नॉन-टच एलईडी-बैकलिट एलसीडी डिस्प्ले, यूएसबी कम्पैटिबल |
| 4 | एलईडी फेशिया लगाना और उसका रखरखाव |
| **ग.** | **इलेक्ट्रिकल:** |
| 1 | बैंक के निर्देशानुसार टीपी एंड एन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, पर्याप्त संख्या में सीलिंग लाइट, स्पॉटलाइट, ट्यूब, हैलोजन, पावर पॉइंट, एलईडी, एलईडी एक्सेंट स्ट्रिप सहित फिक्सचर और फिटिंग |
| 2 | पैंट्री के लिए पर्याप्त कप और चाय/कॉफी सामग्री सहित इलेक्ट्रिक कॉफी मशीन |
| **घ.** | **डिलिवरेबल्स- अन्य, किराये के आधार पर** |
| 1 | शिक्षा क्षेत्र के लिए एक कॉम्पैक्ट पीए सेट किराये पर उपलब्ध कराना, लगाना और उसका रखरखाव |
| 2 | 2 कॉर्डलेस माइक, एक कॉलर माइक |
| 3 | तीन गद्देदार दो-सीट वाले सोफ़े, एक लाउंज कॉफी टेबल, एक ढक्कनदार कूड़ादान |
| 4 | पर्याप्त पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र |
| 5 | सार्वजनिक प्रवेश के पूरे समय के दौरान पवेलियन में एवी तकनीशियन |
| 6 | हाउसकीपिंग अटेंडेंट |
| **ङ.** | **विविध:** |
| 1 | रिबन काटने, 01 प्रज्वलन दीप और मोमबत्तियों, पर्याप्त संख्या में गुलदस्तों, फूलमालाओं आदि सहित उद्घाटन की व्यवस्था। |

**अनुलग्नक क**

## साइट लेआउट:

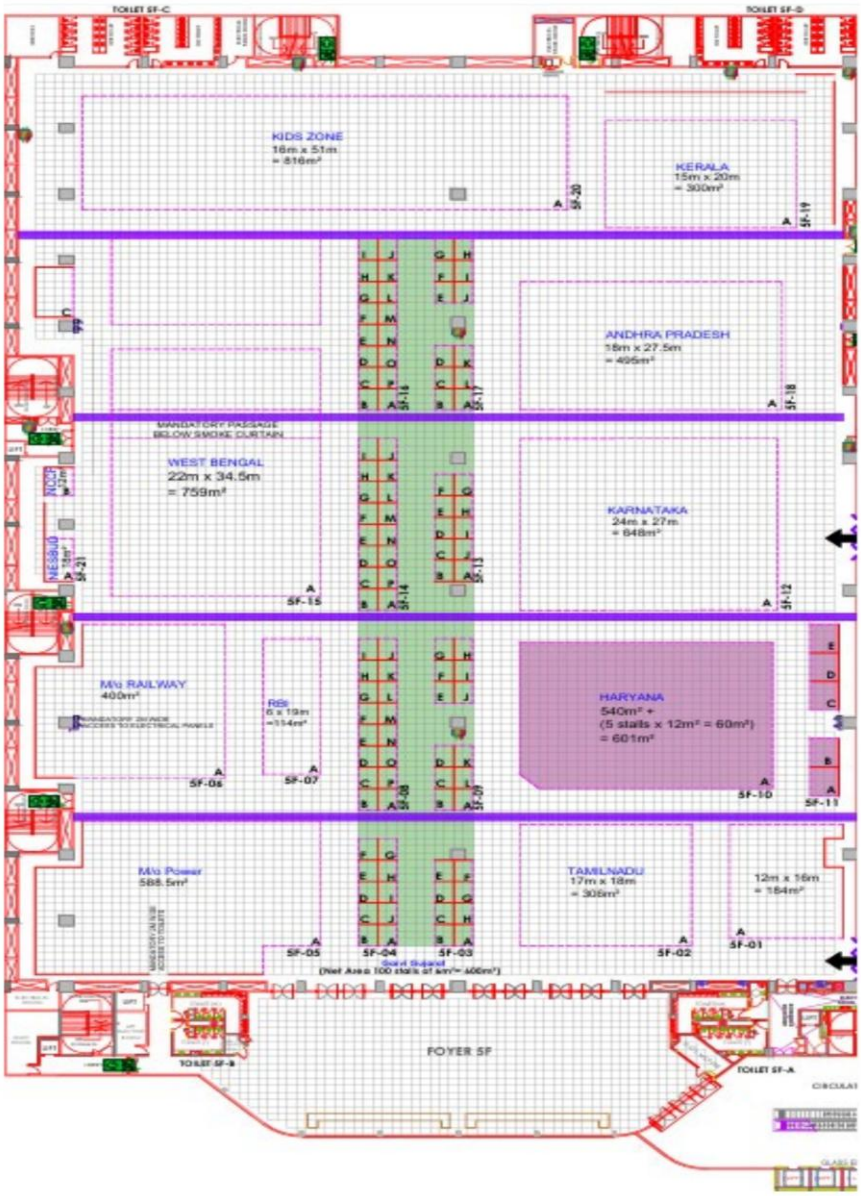


## सांकेतिक डिज़ाइन:

**अनुलग्नक ख**

| क्र.सं. | उप-शीर्ष |
|---|---|
| एनएस. 2 | फ़्लोर |
| एनएस. 3 | फ्रेम और ब्रांडिंग |
| एनएस. 4 | पैंट्री |
| एनएस. 5 | काउंटर और स्टेज |
| एनएस. 6 | एवी और डिजिटल सामग्री |
| एनएस. 7 | फर्नीचर |
| एनएस. 8 | इलेक्ट्रिकल और लाइटिंग |
| एनएस. 9 | पैंट्री उपकरण और सुरक्षा |
| एनएस. 10 | प्रदर्शनी संचालन |
| एनएस. 11 | लॉजिस्टिक्स और कार्य पूर्णता |
| एनएस. 12 | डिस्प्ले पैनल और मैस्कॉट |

| मद | मद का विवरण | इकाई | मात्रा |
|---|---|---|---|
| एनएस 2.01 | न्यूनतम 6 मिमी नॉमिनल पाइल वाला अस्थायी प्रदर्शनी कारपेट उपलब्ध कराना और बिछाना, कमर्शियल नीडल-पंच्ड या अनुमोदित समतुल्य, संदर्भ फ़्लोरिंग से मेल खाता गर्म गेरुआ/भूरा शेड, आयोजक को स्वीकार्य दस्तावेज़ी अग्नि-निष्पादन (फायर परफॉर्मेंस) के साथ, एंटी-स्लिप फिक्सिंग, टेप किए गए जोड़ और फ्लश एज ट्रिम सहित। हॉल के फ़्लोर की सुरक्षा, रखरखाव और हटाना शामिल करें। आवंटित फुटप्रिंट के क्षैतिज प्लान क्षेत्र की माप करें। कारपेट सीधे मौजूदा स्थल पर बिछाया जाएगा। कारपेट लगाने से पहले उसके रंग के शेड का | वर्ग मीटर | 114.00 |

| मद | मद का विवरण | इकाई | मात्रा |
|---|---|---|---|
| | अनुमोदन क्लाइंट द्वारा किया जाएगा। | | |
| एनएस 3.01 | 19.00 मीटर x 6.00 मीटर फुटप्रिंट के लिए एक सेल्फ-सपोर्टिंग, ऊपर से खुला पेरीमीटर स्टील या एल्युमिनियम पवेलियन फ्रेम उपलब्ध कराना, फैब्रिकेट करना, खड़ा करना और उसका रखरखाव करना, जिसका टॉप लेवल हॉल के फ़्लोर से 3.60 मीटर ऊपर और सॉफिट लगभग 3.05 मीटर हो, जिसमें पेरीमीटर बीम, आवश्यक वर्टिकल सपोर्ट कॉलम, आरंभिक सपोर्ट पोज़िशन, सभी छिपी हुई ब्रेसिंग, बेस प्लेट, बैलास्ट, बोल्ट, संशोधित स्क्रीन लोड और फायर-रिटार्डेंट फ़िनिश्ड कॉलम कवर शामिल हों। स्थल की छत से कोई सस्पेंशन या एंकरिंग की अनुमति नहीं होगी। पेरीमीटर सेंटरलाइन के साथ माप, जिसकी दर में सभी कॉलम शामिल हैं। पवेलियन का डिज़ाइन निविदा के साथ साझा किए गए ड्रॉइंग और कॉन्सेप्चुअल 3डी व्यू से मेल खाना चाहिए। | मीटर | 50.00 |
| एनएस 3.02 | पवेलियन के पेरीमीटर के चारों ओर 550 मिमी कुल ऊँचाई का हटाने योग्य फेशिया एनक्लोज़र उपलब्ध कराना, फैब्रिकेट करना, फिक्स करना और उसका रखरखाव करना, जिसमें 100 मिमी नॉमिनल फ़िनिश्ड गहराई वाला 32 मीटर प्लेन फेशिया और 150-200 मिमी प्रोविज़नल फ़िनिश्ड गहराई वाला 13 मीटर एलईडी-युक्त फेशिया शामिल हो, जो सेकेंडरी फ्रेमिंग पर फ्लेम-रिटार्डेंट बोर्ड या समतुल्य प्रमाणित हल्के पैनलों से बना हो, जिस पर सफ़ेद टेक्सचर पेंट फ़िनिश और सुनहरी निचली ट्रिम हो। इसमें भीतरी सतह, सॉफिट, गोल कोने, एंड रिटर्न, गहराई के ट्रांज़िशन, वेंटिलेशन, हटाने योग्य एक्सेस पैनल, केबल मार्ग, फास्टनर और आनुषंगिक कार्य शामिल करें। 450 मिमी ऊँचे बाहर की ओर एलईडी रिबन के लिए ओपनिंग दें: एक 19 मीटर वाली तरफ बीच में 6 मीटर, दूसरी 19 मीटर वाली तरफ बीच में 4 मीटर और बाईं छोटी तरफ 3 मीटर। एलईडी-युक्त गहराई को केवल वेंडर की शॉप ड्रॉइंग के अनुमोदन पर ही 100 मिमी तक कम किया जा सकता है, जिनमें संपूर्ण एलईडी असेंबली, माउंट, कनेक्टर, केबल बेंड, वेंटिलेशन और सामने से रखरखाव की पहुँच की व्यवस्था दर्शाई गई हो। 14 दिन की प्रदर्शनी के दौरान सेकेंडरी एनक्लोज़र फ्रेमिंग और रखरखाव शामिल है। एनएस 3.01 के अंतर्गत | मीटर | 50.00 |

| मद | मद का विवरण | इकाई | मात्रा |
|---|---|---|---|
| | प्राइमरी सपोर्ट, एनएस 6.01 के अंतर्गत एलईडी उपकरण और उपकरण-विशिष्ट माउंटिंग तथा एनएस 11.02 के अंतर्गत अंतिम डिसमेंटलिंग का भुगतान बिना दोहराव के अलग से किया जाएगा। फेशिया सेंटरलाइन की माप एक बार करें। डिज़ाइन निविदा के साथ साझा किए गए ड्रॉइंग और कॉन्सेप्चुअल 3डी व्यू से मेल खाना चाहिए। | | |
| एनएस 3.03 | बाईं ओर पीछे या ड्रॉइंग में दर्शाए अनुसार लगभग 3050 मिमी चौड़ा x 3050 मिमी ऊँचा एक फ्रीस्टैंडिंग, पूरी ऊँचाई वाला आरबीआई भवन फोटो-बैकड्रॉप सपोर्ट पैनल उपलब्ध कराना और फिक्स करना, जिसमें छिपा हुआ फ्रेम, 12 मिमी फ्लेम-रिटार्डेंट बोर्ड या समतुल्य प्रमाणित स्किन, फ़िनिश्ड खुले किनारे और सफ़ेद टेक्सचर पेंट फ़िनिश वाली सतह शामिल हो। डिज़ाइन निविदा के साथ साझा किए गए ड्रॉइंग और कॉन्सेप्चुअल 3डी व्यू से मेल खाना चाहिए। | वर्ग मीटर | 9.30 |
| एनएस 4.01 | दाएँ पीछे के कोने में या ड्रॉइंग में दर्शाए अनुसार 3050 मिमी x 1829 मिमी नॉमिनल प्लान एनक्लोज़र के चारों ओर लगभग 75 मिमी मोटे और 3050 मिमी ऊँचे, हटाए जा सकने वाले पैंट्री वॉल पार्टीशन उपलब्ध कराना और फिक्स करना, जिनमें मेटल फ्रेमिंग, दोनों ओर फ्लेम-रिटार्डेंट बोर्ड या समतुल्य अनुमोदित पैनल, अंदर और बाहर अनुमोदित सफ़ेद टेक्सचर पेंट फ़िनिश, कोने और स्कर्टिंग शामिल हों। ड्रॉइंग में दर्शाए अनुसार दीवार पर स्क्रीन के लिए विशेष छिपा हुआ वॉल रीइन्फोर्समेंट उपलब्ध कराना। दरवाज़े, आर्टवर्क और एलईडी स्क्रीन का भुगतान अलग से किया जाएगा। यदि स्पष्ट आंतरिक आकार आवश्यक हो, तो अनुमोदित ड्रॉइंग में नॉमिनल माप समायोजित किए जाने चाहिए। डिज़ाइन निविदा के साथ साझा किए गए ड्रॉइंग और कॉन्सेप्चुअल 3डी व्यू से मेल खाना चाहिए। | वर्ग मीटर | 26.35 |
| एनएस 4.02 | पैंट्री की पिछली दीवार में लगभग 900 मिमी x 2150 मिमी का एक लॉक होने वाला दरवाज़ा उपलब्ध कराना और फिक्स करना, जिस तक पीछे के प्रदर्शनी गलियारे से पहुँचा जा सके और जो अंदर की ओर खुले, | प्रत्येक | 1.00 |

| मद | मद का विवरण | इकाई | मात्रा |
|---|---|---|---|
| | अनुमोदित पेंट फ़िनिश वाला हल्का फ्रेम युक्त फायर-रिटार्डेंट पैनल निर्माण, जिसमें फ्रेम, कब्ज़े, लीवर हैंडल, ताला, डोर स्टॉप और सभी फिटिंग शामिल हों, संपूर्ण। बगल के किसी प्रदर्शक के स्टैंड की ओर कोई ओपनिंग नहीं होगी। | | |
| एनएस 4.03 | 1500 मिमी कुल लंबाई x 600 मिमी गहराई x लगभग 850 मिमी ऊँचाई वाला पैंट्री बेस स्टोरेज कैबिनेट और वर्कटॉप उपलब्ध कराना और फिक्स करना, जिसमें अनुमोदित लैमिनेट फ़िनिश वाला एक्सटीरियर-ग्रेड प्लाईवुड कारकस, शटर, शेल्फ, कब्ज़े, हैंडल और 20 मिमी हाइजीनिक सॉलिड-सरफ़ेस या समतुल्य वर्कटॉप शामिल हो। केवल ड्राई पैंट्री; कोई सिंक या पानी/ड्रेन कनेक्शन शामिल नहीं है। डिज़ाइन निविदा के साथ साझा किए गए ड्रॉइंग और कॉन्सेप्चुअल 3डी व्यू से मेल खाना चाहिए। | मीटर | 1.50 |
| एनएस 5.01 | दो सामने वाली काउंटर पोज़िशन पर दो विज़िटर काउंटर टेबल किराये पर उपलब्ध कराना और लगाना, प्रत्येक 1219.2 मिमी लंबी x 609.6 मिमी गहरी (4 फुट x 2 फुट) x लगभग 1000 मिमी ऊँची, सुनहरे फ्रंट डिटेल के साथ सफ़ेद फ़िनिश वाला प्लाईवुड कारकस, मज़बूत टॉप और छिपी हुई सर्विस ओपनिंग, फ़िनिश्ड पिछला भाग और हार्डवेयर। प्रतीक-चिह्न प्लेक और लाइटिंग का भुगतान अलग से किया जाएगा। डिज़ाइन निविदा के साथ साझा किए गए ड्रॉइंग और कॉन्सेप्चुअल 3डी व्यू से मेल खाना चाहिए। | प्रत्येक | 2.00 |
| एनएस 5.02 | 1829 मिमी x 1219 मिमी प्लान और 450 मिमी ऊँचा एक नीचा मैजिक-शो स्टेज उपलब्ध कराना, खड़ा करना और उसका रखरखाव करना, जो निर्देशों के अनुसार/ड्रॉइंग में दर्शाए अनुसार स्थित हो, जिसमें प्रमाणित पुन: उपयोग योग्य सबफ्रेम, न्यूनतम 18 मिमी डेक, काली एंटी-स्लिप फ़िनिश, एलईडी एक्सेंट स्ट्रिप वाले बंद किनारे और एक समान राइज़र और ट्रेड, नॉन-स्लिप नोज़िंग और उचित एज प्रोटेक्शन वाली सुरक्षित हटाने योग्य पहुँच-सीढ़ियाँ शामिल हों, जो कलाकारों के भार के लिए डिज़ाइन की गई हों, हटाने सहित संपूर्ण। डिज़ाइन निविदा के साथ साझा किए गए ड्रॉइंग और कॉन्सेप्चुअल 3डी व्यू से मेल खाना चाहिए। | वर्ग मीटर | 2.23 |

| मद | मद का विवरण | इकाई | मात्रा |
|---|---|---|---|
| एनएस 6.01 | 13 मीटर डेवलप्ड लंबाई पर 450 मिमी एक्टिव ऊँचाई वाला इनडोर एलईडी फेशिया किराये पर उपलब्ध कराना, लगाना और उसका रखरखाव करना: एक 19 मीटर वाली तरफ बीच में 6 मीटर, दूसरी 19 मीटर वाली तरफ बीच में 6 मीटर और बाईं छोटी तरफ बीच में 3 मीटर। एक्टिव क्षेत्र 5.85 वर्ग मीटर। अधिकतम पी2.5 पिच, न्यूनतम 3840 हर्ट्ज़ रिफ्रेश, समायोज्य ब्राइटनेस, प्रोसेसर, प्लेबैक, सिग्नल केबल, वेंटिलेशन, माउंटिंग और स्पेयर शामिल हैं। किराये में डिलीवरी, सेटअप और हटाना शामिल है। डेडिकेटेड ऑपरेटर का भुगतान अलग से किया जाएगा। अंतिम मॉड्यूल व्यवस्था का अनुमोदन जारी करने से पहले किया जाएगा। एलईडी पर यूएसबी के माध्यम से आरबीआई द्वारा अनुमोदित मीडिया चलाया जाएगा। डिज़ाइन निविदा के साथ साझा किए गए ड्रॉइंग और कॉन्सेप्चुअल 3डी व्यू से मेल खाना चाहिए। | वर्ग मीटर दिन | 81.90 |
| एनएस 6.02 | पैंट्री की दीवार पर एक शिक्षा संबंधी यूएसबी कम्पैटिबल एलईडी स्क्रीन, 2438.4 मिमी चौड़ी x 1219.2 मिमी ऊँची (8 फुट x 4 फुट), एक्टिव क्षेत्र 2.97289728 वर्ग मीटर, लंबी धुरी के साथ शिक्षा बैठक व्यवस्था की ओर मुख किए हुए, किराये पर उपलब्ध कराना, लगाना और उसका रखरखाव करना। अधिकतम पी2.5 पिक्सेल पिच, न्यूनतम 3840 हर्ट्ज़ रिफ्रेश, उपयुक्त ब्राइटनेस, प्रोसेसर, प्लेबैक, सिग्नल केबल, माउंटिंग और स्पेयर शामिल हैं। अनुरोधित आकार बदले बिना कम्पैटिबल मॉड्यूल के माप का अनुमोदन करें। स्क्रीन के लिए विशेष छिपा हुआ वॉल रीइन्फोर्समेंट और उसके इंजीनियर्ड कनेक्शन शामिल हैं; सेटअप/हटाना शामिल है; ऑपरेटर अलग से। एलईडी स्क्रीन पर चलाने के लिए यूएसबी में आरबीआई की सामग्री। डिज़ाइन निविदा के साथ साझा किए गए ड्रॉइंग और कॉन्सेप्चुअल 3डी व्यू से मेल खाना चाहिए। | वर्ग मीटर दिन | 41.62 |
| एनएस 6.03 | न्यूनतम 10-पॉइंट टच, न्यूनतम 350 निट्स इनडोर ब्राइटनेस वाले तीन कमर्शियल 50 इंच नॉमिनल यूएचडी इंटरैक्टिव डिस्प्ले, सुरक्षात्मक और स्थिर लैंडस्केप-योग्य फ़्लोर स्टैंड/कैबिनेट (कैबिनेट/स्टैंड के डिज़ाइन का अनुमोदन क्लाइंट द्वारा किया जाएगा) सहित, स्क्रीन की ऊँचाई सामान्य उपयोगकर्ता की ऊँचाई तक रखते हुए, | प्रत्येक दिन | 42.00 |

| मद | मद का विवरण | इकाई | मात्रा |
|---|---|---|---|
| | लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटिंग सिस्टम और स्थानीय प्लेबैक कंप्यूटर, सभी ब्रैकेट और सिग्नल केबल, टच कैलिब्रेशन, दैनिक कार्य-जाँच और स्पेयर/रिप्लेसमेंट प्रावधान के साथ किराये पर उपलब्ध कराना, लगाना और उनका रखरखाव करना। स्थान ड्रॉइंग के अनुसार। एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग का भुगतान अलग से किया जाएगा; उपकरण सेटअप/हटाना शामिल है। लगाई गई यूनिटों x संचालन दिवसों की माप करें। डिज़ाइन निविदा के साथ साझा किए गए ड्रॉइंग और कॉन्सेप्चुअल 3डी व्यू से मेल खाना चाहिए। | | |
| एनएस 6.04 | चार कमर्शियल 50 इंच यूएचडी नॉन-टच एलईडी-बैकलिट एलसीडी डिस्प्ले, यूएसबी कम्पैटिबल, न्यूनतम 350 निट्स, चारों टाइप ए पैनलों में से प्रत्येक की बाहरी सतह पर एक, किराये पर उपलब्ध कराना; पोर्ट्रेट-योग्य माउंटिंग, मीडिया प्लेयर, केबल, लूपिंग प्लेबैक, रिप्लेसमेंट, डिलीवरी और हटाना शामिल है। पैनल कारकस अलग से। चार यूनिट x संचालन दिवस। डिज़ाइन निविदा के साथ साझा किए गए ड्रॉइंग और कॉन्सेप्चुअल 3डी व्यू से मेल खाना चाहिए। इन पैनलों पर चलाने के लिए यूएसबी में आरबीआई की सामग्री। | प्रत्येक दिन | 56.00 |
| एनएस 6.05 | आरबीआई द्वारा अनुमोदित सामग्री का उपयोग करते हुए तीन अलग-अलग इंटरैक्टिव शैक्षिक मॉड्यूल विकसित करना और चालू करना, प्रति इंटरैक्टिव डिस्प्ले एक, प्रत्येक अधिकतम बीस सामग्री पृष्ठों और 10-10 प्रश्नों की 2 प्रश्नोत्तरी (क्विज़) तक सीमित, अंग्रेज़ी और हिंदी में दिया गया पाठ, नेविगेशन, बुनियादी सुगम्यता (एक्सेसिबिलिटी), रीसेट-टू-होम और व्यक्तिगत डेटा एकत्र किए बिना स्कोरिंग। निष्पादन से पहले समीक्षा, सोर्स-कोड/प्रोजेक्ट फ़ाइलें और डिलिवरेबल का उपयोग करने का आरबीआई का स्थायी अधिकार। कोई भुगतान लेन-देन, यूपीआई इंटीग्रेशन या बाहरी एपीआई नहीं। आयोजन के बाद मॉड्यूल आरबीआई को सौंपा जाएगा। | मॉड्यूल | 3.00 |
| एनएस 6.06 | 30 सीटों वाले शिक्षा क्षेत्र और मैजिक-शो स्टेज के लिए एक कॉम्पैक्ट पीए सेट किराये पर उपलब्ध कराना, लगाना और उसका रखरखाव करना, जिसमें लगभग 250 वॉट आरएमएस प्रत्येक के दो पावर्ड स्पीकर, मिक्सर, | सेट दिन | 14.00 |

| मद | मद का विवरण | इकाई | मात्रा |
|---|---|---|---|
| | दो वायरलेस माइक्रोफ़ोन, माइक्रोफ़ोन सहित एक माइक्रोफ़ोन स्टैंड, सभी सिग्नल केबल और सुरक्षित स्पीकर माउंट शामिल हों और आवाज़ आयोजक की सीमाओं के अनुसार नियंत्रित हो। सेटअप/हटाना शामिल है; एवी ऑपरेटर एनएस 10.01 के अंतर्गत। | | |
| एनएस 7.01 | तीन एक जैसे रंग (आरबीआई द्वारा अनुमोदित शेड) के गद्देदार दो-सीट वाले सोफ़े किराये पर उपलब्ध कराना, रखना और उनका रखरखाव करना, प्रत्येक लगभग 1400-1600 मिमी लंबा, साफ़ कुशन और फ़र्श पर निशान न छोड़ने वाले पायों सहित, दाईं ओर सामने लाउंज के रूप में व्यवस्थित। डिलीवरी, सफ़ाई और हटाना शामिल करें। स्थान निविदा के साथ साझा किए गए ड्रॉइंग और कॉन्सेप्चुअल 3डी व्यू के अनुसार होगा। | प्रत्येक दिन | 42.00 |
| एनएस 7.02 | लगभग 1000 मिमी x 500 मिमी x 450 मिमी ऊँची, काँच के टॉप और फ़र्श पर निशान न छोड़ने वाले पायों वाले स्थिर मेटल या लकड़ी के बेस वाली एक लाउंज कॉफी टेबल किराये पर उपलब्ध कराना और रखना, डिलीवरी और हटाने सहित। | प्रत्येक दिन | 14.00 |
| एनएस 7.03 | पीठ के सहारे वाली और फ़र्श पर निशान न छोड़ने वाले पायों वाली चार आरामदायक विज़िटर-काउंटर कुर्सियाँ किराये पर उपलब्ध कराना, प्रत्येक 4 फुट x 2 फुट काउंटर के पीछे दो। सफ़ाई, रिप्लेसमेंट, डिलीवरी और हटाना शामिल करें। | प्रत्येक दिन | 56.00 |
| एनएस 8.01 | प्रोविज़नल रूप से बुक की गई 30 किलोवाट थ्री-फेज़ आपूर्ति के लिए एक लॉक होने वाला अस्थायी टीपी एंड एन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड किराये पर उपलब्ध कराना, लगाना, परीक्षण करना और उसका रखरखाव करना, जिसमें न्यूनतम 100 ए बसबार, अंतिम डिज़ाइन के अधीन नॉमिनल रूप से 50 ए का कॉर्डिनेटेड इनकमिंग आइसोलेशन/प्रोटेक्शन, उपयुक्त ब्रेकिंग क्षमता, एलईडी, एवी, लाइटिंग और पैंट्री के अलग-अलग आउटगोइंग सर्किट, जुड़े उपकरणों के लिए उपयुक्त अलग-अलग रेसिड्युअल-करंट प्रोटेक्शन, सर्ज प्रोटेक्शन, लेबल किए गए न्यूट्रल/अर्थ बार, मीटरिंग और सर्किट डायरेक्टरी शामिल हों, इंसुलेशन और अर्थ-कंटिन्युइटी परीक्षण | सेट | 1.00 |

| मद | मद का विवरण | इकाई | मात्रा |
|---|---|---|---|
| | सहित। प्रोटेक्टिव कंडक्टर या न्यूट्रल में कोई कमी नहीं। | | |
| एनएस 8.02 | स्थल के आपूर्ति बिंदु से पवेलियन डीबी तक अस्थायी 5-कोर 35 वर्ग मिमी कॉपर फ्लेक्सिबल पावर फीडर या अनुमोदित इंजीनियर्ड समतुल्य किराये पर उपलब्ध कराना, बिछाना, टर्मिनेट करना, परीक्षण करना और हटाना, जिसमें ग्लैंड, लग, केबल सपोर्ट और प्रोटेक्शन शामिल हों। यह आकार प्रोविज़नल है: लाइसेंस प्राप्त इलेक्ट्रिकल ठेकेदार खरीद से पहले एम्पैसिटी, ग्रुपिंग, वोल्टेज ड्रॉप, फॉल्ट लेवल और रूट का सत्यापन करेगा। वास्तविक लंबाई के अनुसार माप करें। | मीटर | 30.00 |
| एनएस 8.03 | उपकरणों के लोड के अनुरूप संपूर्ण ब्रांच सर्किट वायरिंग, कंटेनमेंट, बॉक्स और स्थानीय आइसोलेशन सहित अस्थायी अर्थ्ड स्विच्ड आउटलेट पॉइंट उपलब्ध कराना। आठ स्क्रीन पॉइंट, तीन फेशिया ज़ोन, एक मुख्य स्क्रीन, एक पीए, एक कंट्रोल, एक पैंट्री कॉफी मशीन, दो काउंटर, चार बैकलिट पोस्टर, एक शेयर्ड मैस्कॉट प्रावधान और चार्जिंग के लिए अतिरिक्त चार प्रावधान = 26 पॉइंट निर्धारित करें। डेडिकेटेड हाई-लोड सर्किट, उपयुक्त रेसिड्युअल-करंट प्रोटेक्शन; कोई डेज़ी चेन नहीं। मुख्य फीडर अलग से। लगाने से पहले पॉइंटों का अनुमोदन आरबीआई द्वारा किया जाएगा। | पॉइंट | 26.00 |
| एनएस 8.04 | अट्ठाईस एलईडी एडजस्टेबल स्पॉटलाइट, प्रत्येक लगभग 20-30 वॉट, सीआरआई न्यूनतम 80, अनुमोदित वार्म/न्यूट्रल व्हाइट, किराये पर उपलब्ध कराना, लगाना, वायरिंग करना और उनका रखरखाव करना, जिसमें ट्रैक, ड्राइवर, ब्रैकेट और डीबी से संपूर्ण लाइटिंग सर्किट वायरिंग शामिल हो, जिनका फोकस काउंटरों, मैस्कॉट, स्टेज, शैक्षिक पैनलों और बैठक व्यवस्था पर हो। लगाना/हटाना शामिल है। लगाने से पहले स्थान का अनुमोदन आरबीआई द्वारा किया जाएगा। | प्रत्येक | 28.00 |
| एनएस 8.05 | ड्राइवर और सभी फिटिंग सहित एक 18-24 वॉट एलईडी पैंट्री ल्यूमिनेयर किराये पर उपलब्ध कराना, लगाना और उसकी वायरिंग करना, जिसमें डीबी से संपूर्ण सर्किट वायरिंग और हटाना शामिल है। | प्रत्येक | 1.00 |

| मद | मद का विवरण | इकाई | मात्रा |
|---|---|---|---|
| एनएस 8.06 | डिफ्यूज़र वाले एल्युमिनियम चैनलों में लगभग 8-12 वॉट प्रति मीटर की लो-वोल्टेज एलईडी एक्सेंट स्ट्रिप किराये पर उपलब्ध कराना, लगाना, वायरिंग करना और उनका रखरखाव करना, जिसमें ऐक्सेसबल ड्राइवर और सर्किट वायरिंग शामिल हो। मात्रा में लगभग फेशिया ट्रिम, दोनों काउंटरों का डिटेल आदि शामिल हैं। लगाने से पहले स्थानों का अनुमोदन आरबीआई द्वारा किया जाएगा। वास्तविक लगाई गई लंबाई की माप करें। डिज़ाइन निविदा के साथ साझा किए गए ड्रॉइंग/कॉन्सेप्चुअल 3डी व्यू से मेल खाना चाहिए। | मीटर | 56.00 |
| एनएस 8.07 | मुख्य फ्रेम, फेशिया, धातु के भागों वाले काउंटर, डिस्प्ले-पैनल और मैस्कॉट के धातु कार्य, एलईडी माउंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और सभी खुले कंडक्टिव भागों की स्थल द्वारा अनुमोदित प्रोटेक्टिव अर्थ से अस्थायी प्रोटेक्टिव इक्विपोटेंशियल बॉन्डिंग उपलब्ध कराना और उसका परीक्षण करना, जिसमें कॉपर बॉन्डिंग कंडक्टर, टर्मिनल, लेबल और परीक्षण रिपोर्ट शामिल हों। हॉल के फ़र्श में कोई अलग अर्थ इलेक्ट्रोड नहीं। | जॉब | 1.00 |
| एनएस 8.08 | पैदल आवाजाही के लिए उपयुक्त प्रोविज़नल हेवी-ड्यूटी लो-प्रोफ़ाइल केबल प्रोटेक्टर या ढके हुए सर्विस रूट किराये पर उपलब्ध कराना और लगाना, जिनमें ऐक्सेसबल ट्रांज़िशन शामिल हों; बिना उठे हुए फ़्लोर डेक के अनुमोदित सुरक्षित फ़्लोर/सर्विस रूट का उपयोग करें और ठोकर लगने का खतरा पैदा न करें या बिना अनुमति के सार्वजनिक गलियारों तक न फैलाएँ। मुख्य केबल का भुगतान अलग से किया जाएगा। लगाने से पहले रूट का अनुमोदन आरबीआई द्वारा किया जाएगा। | मीटर | 12.00 |
| एनएस 9.01 | ड्राई पैंट्री के लिए एक बेसिक इलेक्ट्रिक कॉफी मशीन किराये पर उपलब्ध कराना, लगाना और उसका रखरखाव करना, जिसमें आउटलेट से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, सफ़ाई, खराब होने पर रिप्लेसमेंट, डिलीवरी और हटाना शामिल हो। | सेट दिन | 14.00 |
| एनएस 9.02 | तीन वैध तारीख वाले, सर्विस किए हुए पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र किराये पर उपलब्ध कराना, रखना और उनका रखरखाव करना: दो 4 किग्रा एबीसी ड्राई-पाउडर यूनिट और इलेक्ट्रिकल उपकरणों के पास एक 4.5 किग्रा | प्रत्येक | 3.00 |

| मद | मद का विवरण | इकाई | मात्रा |
|---|---|---|---|
| | सीओ2 यूनिट, स्टैंड और द्विभाषी पहचान संकेतों सहित, जो लागू उत्पाद मानकों और स्थल के अग्निशमन अधिकारी के निर्देशों के अनुरूप हों। ठेकेदार सर्विस रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगा और अपने कर्मचारियों को इनके उपयोग का प्रशिक्षण देगा। लगाने से पहले स्थान का अनुमोदन आरबीआई द्वारा किया जाएगा। | | |
| एनएस 9.03 | पैंट्री और विज़िटर काउंटरों पर लगभग 15-25 लीटर क्षमता का एक साफ़ ढक्कनदार कूड़ादान किराये पर उपलब्ध कराना, जिसमें लाइनर और दैनिक सफ़ाई शामिल हो; डिस्पोजल लेबर का भुगतान एनएस 10.03 के अंतर्गत। | प्रत्येक दिन | 14.00 |
| एनएस 10.01 | फेशिया, शिक्षा स्क्रीन, सभी पैनल डिस्प्ले, टच एप्लिकेशन और पीए संचालन के लिए सार्वजनिक प्रवेश के पूरे समय के दौरान पवेलियन में एक सक्षम एवी तकनीशियन तैनात करना, जिसमें स्टार्टअप/शटडाउन जाँच, सामग्री लोड करना, खराबी का पता लगाना और ऑपरेटर लॉग शामिल हो। उपकरणों को बिना निगरानी के छोड़े बिना, ब्रेक लेने की सुविधा शामिल है। सप्लायर द्वारा रिमोट सपोर्ट और उपकरण बदलने की जिम्मेदारी संबंधित उपकरणों की दरों में ही शामिल है; इसके लिए ऑपरेटर का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। | व्यक्ति दिन | 14.00 |
| एनएस 10.02 | कार्यक्रम शुरू होने की तैयारी के लिए और कार्यक्रम के दौरान लगातार साफ-सफाई बनाए रखने के लिए एक हाउसकीपिंग अटेंडेंट की तैनाती करना। इसमें ब्रेक के समय काम संभालने की व्यवस्था, सफाई का सामान, कचरे को अलग-अलग करना और उसे आयोजक द्वारा तय की गई जगह तक पहुँचाना, फर्श और काउंटर की सफाई, तथा कैटरिंग सेवा में मदद करना शामिल है। | व्यक्ति दिन | 14.00 |
| एनएस 11.01 | दिल्ली/एनसीआर वर्कशॉप, भारत मंडपम और दिल्ली/एनसीआर के भीतर अंतिम हैंडओवर/भंडारण पते के बीच फैब्रिकेशन, एवी, किराये के फर्नीचर आदि सहित पवेलियन की सभी सामग्री का परिवहन, जिसमें पैकिंग, सामान्य ट्रक ट्रिप, लोडिंग/अनलोडिंग, स्थल के समय-स्लॉट (वेन्यू-विंडो) का समन्वय और सामग्री की हैंडलिंग शामिल हो। | जॉब | 1.00 |

| मद | मद का विवरण | इकाई | मात्रा |
|---|---|---|---|
| एनएस 11.02 | प्रदर्शनी के बाद अस्थायी फैब्रिकेटेड फ्रेम, फेशिया स्किन, बैकड्रॉप, पैंट्री और काउंटरों को हटाना (डिसमेंटलिंग), ठेकेदार के स्वामित्व वाली उपयोगी सामग्री और कचरा हटाना, अनुमोदित मैस्कॉट की सुरक्षा करना और उन्हें सौंपना, 114 वर्ग मीटर के आवंटित फ़र्श की सफ़ाई करना और ठेकेदार के कारण हुई क्षति को आयोजक की संतुष्टि तक ठीक करना। जहाँ अपेक्षित हो, निपटान संबंधी दस्तावेज़ शामिल करें; डिसमेंटलिंग का कोई दोहरा शुल्क नहीं। | जॉब | 1.00 |
| एनएस 12.01 | एनएस 3.01 में पैवेलियन फ्रेम के वर्टिकल सपोर्ट पर चार 'टाइप A' बैकलिट डिस्प्ले पैनल (जिसमें केवल पैनल की LED स्ट्रिप्स शामिल हैं) लगाए जाने हैं। इनका अस्थायी आकार 900 मिमी चौड़ा x 2100 मिमी ऊँचा x 200 मिमी गहरा होगा। इनमें फ्लेम-रिटार्डेंट (आग से सुरक्षित) सफेद/सुनहरी क्लैडिंग, केबल एक्सेस, वेंटिलेशन और बिना निशान छोड़ने वाले बैलास्टेड बेस होंगे। बाहर की तरफ एक 50 इंच की स्टैटिक स्क्रीन और अंदर की तरफ एक ऐक्रेलिक-फ्रेम वाला पोस्टर लगाया जाएगा; इनका लेआउट डिज़ाइन के अनुसार होगा। स्क्रीन का भुगतान अलग से किया जाएगा। डिज़ाइन, टेंडर के साथ साझा किए गए ड्रॉइंग/3D कॉन्सेप्चुअल व्यू के अनुसार होना चाहिए। | प्रत्येक | 4.00 |

**<u>खंड VII</u>**

**<u>अनप्राइस बिल ऑफ क्वांटिटी</u>**

**(मूल्य बोली/भाग II की प्रति)**

| क्रम सं. | कार्य की लागत का विवरण (<u>कार्य के दायरे के अनुसार</u>। इसके अलावा, बैंक आवश्यकतानुसार ठेकेदार को साइट पर संशोधन करने का निर्देश देने का अधिकार सुरक्षित रखता है) | मात्रा | इकाई | दर (आईएनआर) | राशि (आईएनआर)* जीएसटी सहित |
|---|---|---|---|---|---|
| | **<u>सामान्य विवरण</u>**<br>क) **स्टॉल का आकार: 114 वर्ग मीटर (04 तरफ खुला) (19 मीटर x 06 मीटर) - संलग्न लेआउट के अनुसार**<br>ख) **कार्य का दायरा:** बैंक के निर्देशानुसार टर्नकी आधार पर संपूर्ण फैब्रिकेशन, सजावट और रखरखाव<br>ग) **प्रदर्शनी के बाद की देयताएँ:** प्रदर्शनी के ढाँचे को सावधानीपूर्वक हटाना (डिसमेंटलिंग) और ले जाना<br>**नोट: सभी सामग्री और संपत्ति ठेकेदार की होगी और किराये के आधार पर होगी।**<br>**<u>क. आधारभूत ढाँचा (संलग्न आईआईटीएफ दिशानिर्देशों और प्रस्तावित डिज़ाइन के</u>** | **01 संपूर्ण कार्य टर्नकी आधार पर** | **जॉब** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **<u>अनुसार):</u>**<br>क) 19.00 मीटर x 6.00 मीटर फुटप्रिंट के लिए एक सेल्फ-सपोर्टिंग, ऊपर से खुले पेरीमीटर पवेलियन फ्रेम का फैब्रिकेशन, इरेक्शन और रखरखाव<br>ख) पवेलियन के पेरीमीटर के चारों ओर हटाने योग्य फेशिया एनक्लोज़र का फैब्रिकेशन, फिक्सिंग और रखरखाव<br>ग) फेशिया के भीतरी भाग पर चित्रों वाला पैनल<br>घ) एक फ्रीस्टैंडिंग, पूरी ऊँचाई वाले आरबीआई भवन फोटो-बैकड्रॉप सपोर्ट पैनल की फिक्सिंग<br>ङ) पैंट्री की दीवार के पार्टीशन, एक लॉक होने वाला दरवाज़ा, पैंट्री बेस स्टोरेज कैबिनेट और वर्कटॉप की फिक्सिंग<br>च) आरबीआई प्रतीक-चिह्न सहित दो विज़िटर काउंटर टेबल और कुर्सियाँ<br>छ) एंटीस्किड कारपेट सहित एक मैजिक-शो स्टेज का इरेक्शन और रखरखाव<br>ज) अस्थायी प्रदर्शनी कारपेट (6 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | मिमी) बिछाना<br>**<u>ख. डिलिवरेबल्स- डिस्प्ले</u>**<br>क) एक यूएसबी कम्पैटिबल एलईडी स्क्रीन (8 फुट x 4 फुट)<br>ख) तीन कमर्शियल 50 इंच नॉमिनल यूएचडी इंटरैक्टिव डिस्प्ले, स्क्रीन की ऊँचाई सामान्य उपयोगकर्ता की ऊँचाई तक रखते हुए, और तीन इंटरैक्टिव शैक्षिक मॉड्यूल विकसित करना<br>ग) चार कमर्शियल 50 इंच यूएचडी नॉन-टच एलईडी-बैकलिट एलसीडी डिस्प्ले, यूएसबी कम्पैटिबल<br>घ) एलईडी फेशिया लगाना और उसका रखरखाव<br>**<u>ग. इलेक्ट्रिकल:</u>**<br>क) बैंक के निर्देशानुसार टीपी एंड एन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, पर्याप्त संख्या में सीलिंग लाइट, स्पॉटलाइट, ट्यूब, हैलोजन, पावर पॉइंट, एलईडी, एलईडी एक्सेंट स्ट्रिप सहित फिक्सचर और फिटिंग<br>ख) पैंट्री के लिए पर्याप्त कप और चाय/कॉफी सामग्री सहित इलेक्ट्रिक कॉफी | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | मशीन<br>**<u>घ. डिलिवरेबल्स- अन्य</u>**<br>क) शिक्षा क्षेत्र के लिए एक कॉम्पैक्ट पीए सेट किराये पर उपलब्ध कराना, लगाना और उसका रखरखाव<br>ख) 2 कॉर्डलेस माइक, एक कॉलर माइक<br>ग) तीन गद्देदार दो-सीट वाले सोफ़े, एक लाउंज कॉफी टेबल, एक ढक्कनदार कूड़ादान<br>घ) पर्याप्त पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र<br>ङ) सार्वजनिक प्रवेश के पूरे समय के दौरान पवेलियन में एवी तकनीशियन<br>च) हाउसकीपिंग अटेंडेंट<br>**<u>ङ. विविध</u>**<br>क) रिबन काटने, 01 प्रज्वलन दीप और मोमबत्तियों, पर्याप्त संख्या में गुलदस्तों, फूलमालाओं आदि सहित उद्घाटन की व्यवस्था<br>**<u>च. अन्य:</u>**<br>क) लोडिंग और अनलोडिंग के लिए स्थानीय परिवहन और मज़दूर | | | | |

**<u>डिलिवरेबल्स की सटीक संख्या बैंक के विवेक के अनुसार भिन्न हो सकती है</u>**

**नोट:**

i. कार्मिकों की तैनाती खंड IV में निर्दिष्ट अनुसार होगी।

ii. दरें केंद्रीय न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम के अनुसार होनी चाहिए और उनमें सभी लागू सांविधिक लेवी/कर, जीएसटी/सीजीएसटी/एसजीएसटी और बोलीदाता द्वारा सरकारी प्राधिकरणों को देय सभी सांविधिक देय राशियाँ शामिल होनी चाहिए।

iii. भाग-II (मूल्य बोली) के साथ कोई संलग्नक नहीं लगाया जाना चाहिए।

iv. भाग- II में कोई शर्तें, अलग शर्त संबंधी नोट आदि नहीं जोड़े जाने चाहिए।

v. ऊपर दी गई कुल बोली राशि के अलावा बैंक द्वारा कोई प्रभार नहीं दिया जाएगा।

vi. उपर्युक्त कार्य के लिए कुल बोली राशि दी जाएगी।

vii. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी मूल्य बोली प्रस्तुत करने से पहले साइट की स्थितियों से परिचित होने/कार्य के दायरे को समझने के लिए साइट का दौरा करें।

viii. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली (भाग-I) में उल्लिखित सभी नियम और शर्तें मूल्य बोली का अभिन्न अंग होंगी। अतः बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे तदनुसार अपनी दरें दें।

ix. दरें दशमलव के दो स्थानों तक दी जानी चाहिए।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने दरों की सूची और निविदा के भाग II की विषय-वस्तु को पढ़ और समझ लिया है और ऊपर दी गई सभी शर्तों को भी पढ़ और समझ लिया है और कार्य मुझे/हमें सौंपे जाने की स्थिति में ये मुझ पर/हम पर बाध्यकारी रहेंगी।

दिनांक: अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/पदनाम सहित)

**अनुलग्नक-I**

**प्रस्ताव पर हस्ताक्षर के लिए मुख्तारनामे (पावर ऑफ अटॉर्नी) का प्रारूप**

**(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर)**

इस विलेख के द्वारा सभी को ज्ञात है कि हम .....(बोलीदाता का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता) एतद्द्वारा श्री/सुश्री ..... .....(मुख्तारनामा धारक का नाम और आवासीय पता), जो इस समय हमारे यहाँ नियोजित हैं और .....के पद पर हैं, को अपने अटॉर्नी के रूप में गठित, नियुक्त और प्राधिकृत करते हैं, ताकि वे हमारे नाम पर और हमारी ओर से **"आईआईटीएफ 2026, भारत मंडपम परिसर में आईटीपीओ द्वारा 14-27 नवंबर, 2026 के दौरान आयोजित किए जाने वाले मेले में हॉल 5 (पहली मंज़िल) में 114 वर्ग मीटर के आरबीआई स्टॉल सं. 5F-07-A के फैब्रिकेशन, सजावट और रखरखाव के लिए ई-निविदा"** के लिए हमारी बोली के संबंध में या उससे आनुषंगिक ऐसे सभी कार्य, विलेख और बातें करें, जिनमें सभी दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें प्रस्तुत करना, बोली-पूर्व बैठक में व्यक्तियों को भेजना और आरबीआई को जानकारी/उत्तर देना, आरबीआई के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करना और उक्त परियोजना के लिए हमारे प्रस्ताव के संबंध में सभी मामलों में सामान्यतः आरबीआई के साथ व्यवहार करना शामिल है।

हम एतद्द्वारा इस मुख्तारनामे के अनुसरण में हमारे उक्त अटॉर्नी द्वारा विधिपूर्वक किए गए सभी कार्यों, विलेखों और बातों की पुष्टि करने के लिए सहमत हैं और यह कि हमारे उपर्युक्त अटॉर्नी द्वारा किए गए सभी कार्य, विलेख और बातें हमारे द्वारा किए गए माने जाएँगे और सदैव माने जाते रहेंगे।

**नोट:**

मुख्तारनामे पर उचित स्टांप लगा होना चाहिए और वह नोटरीकृत होना चाहिए। प्रस्तुत किया गया मुख्तारनामा अप्रतिसंहरणीय (वापस न लिया जा सकने वाला) होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर/नाम

बोलीदाता का स्टांप/मुहर

(ध्यान दें: इस गारंटी पर उस राज्य में लागू स्टांप शुल्क देना होगा, जहाँ इसे निष्पादित किया जाता है और इस पर उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँगे, जिसके हस्ताक्षर और प्राधिकार का सत्यापन किया जाएगा।)

**अनुलग्नक-II**

## ई-निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण अनुदेश

यह आरबीआई का ई-प्रोक्योरमेंट इवेंट है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता/बोलीदाता केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) है।

https://etenders.gov.in/eprocure/app

**ई-निविदा की प्रक्रिया:** बोलीदाता मैनुअल किट होम पेज पर उपलब्ध है।

**क) नए बोलीदाता के लिए पंजीकरण:** इस प्रक्रिया में सीपीपी पोर्टल पर वेंडर का पंजीकरण शामिल है, जो निःशुल्क है।

https://etenders.gov.in/eprocure/app?page=BiddersManualKit&service=page

किसी भी तकनीकी प्रश्न के लिए कृपया निम्नलिखित 24 x 7 हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करें

0120-4001 002

0120-4001 005

0120-4493395

अंतरराष्ट्रीय बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे देश कोड के रूप में +91 लगाएँ।

**ई-मेल सहायता:**

**प्रकाशित निविदाओं से संबंधित किसी भी समस्या या स्पष्टीकरण के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे संबंधित निविदा आमंत्रण प्राधिकारी से संपर्क करें**

तकनीकी - support-eproc@nic.in

नीति संबंधी - cppp-doe@nic.in

**अनुलग्नक-III**

## फर्म के लेटरहेड पर भाग लेने वाली फर्म/बोलीदाता का विवरण

| | | |
|---|---|---|
| 1. | बोलीदाता का नाम | |
| 2. | फर्म की स्थिति | स्वामित्व फर्म/साझेदारी फर्म/लिमिटेड/अन्य<br>यदि अन्य, तो उल्लेख करें:_<br>[पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न करें] |
| 3. | फर्म/कंपनी के स्वामी/साझेदारों/निदेशकों का नाम | |
| 4. | ऑपरेशन के वर्षों की संख्या | |
| 5. | पंजीकृत कार्यालय का पता: | |
| 6. | बोलीदाता का वह पता, जिस पर आदेश/संविदा दी जानी है | |
| 7. | उस पते का टेलीफ़ोन नंबर, जिस पर आदेश दिया जाना है<br>वेबसाइट और ई-मेल आईडी | _<br>(देश कोड) (क्षेत्र कोड) (टेलीफ़ोन नं.) |
| 8. | पैन नं. | [पैन कार्ड की प्रति भी संलग्न करें] |
| 9. | जीएसटी नं. | [जीएसटी प्रमाणपत्र की प्रति भी संलग्न करें] |
| 10. | ईपीएफ पंजीकरण नं. (जैसा लागू हो) | [ईपीएफ पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति भी संलग्न करें] |
| 11. | ईएसआई कोड नं. (जैसा लागू हो) | [संबंधित दस्तावेज़ की प्रति भी संलग्न करें] |
| 12. | क्या सूक्ष्म/लघु/मध्यम उद्यम है | (बोलीदाता खंड-III में निर्दिष्ट दस्तावेज़ प्रस्तुत करे) |
| 13. | **बैंकर का विवरण (भुगतान प्राप्त करने के लिए खाता)**<br>**[रद्द किए गए चेक की प्रति भी संलग्न करें]** | |
| I. | बैंकर का नाम | |
| II. | शाखा | |
| III. | बैंक खाता संख्या | |

| | | |
|---|---|---|
| IV. | आईएफएससी | |
| 14. | **सर्विस सेटअप का विवरण** | |
| I. | पता | |
| II. | ई-मेल | |
| III. | टेलीफ़ोन/मोबाइल नं. | |
| IV. | तैनात व्यक्तियों की संख्या | |

**स्थान:**

**दिनांक:**

**[बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर]**

**नाम:**

**पदनाम:**

**मुहर:**

**अनुलग्नक-IV**

## फर्म के लेटरहेड पर क्लाइंटों की सूची

पात्रता मानदंडों के अनुसार अर्हक कार्यों का विवरण:

| | | कार्य अनुभव के लिए (पिछले 5 वर्षों के दौरान पूर्ण किया गया कार्य) | प्रत्येक पूर्ण कार्य का न्यूनतम मूल्य (पिछले 5 वर्षों के दौरान पूर्ण किया गया कार्य) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | क्लाइंट | क्लाइंट 1 | क्लाइंट 2 | क्लाइंट 3 |
| 1. | कार्य का विवरण | | | | |
| 2. | क्लाइंट का पता, टेलीफ़ोन नंबर और संपर्क व्यक्ति तथा ई-मेल का विवरण | | | | |
| 3. | कार्य आदेश/अवार्ड पत्र का विवरण (संलग्न करें) | | | | |
| 4. | कार्य का मूल्य | | | | |
| 5. | कार्य शुरू होने की तारीख | | | | |
| 6. | कार्य पूर्ण होने की तारीख | | | | |
| 7. | कार्य आदेश के अनुसार पूर्णता अवधि | | | | |
| 8. | कार्य समय पर पूरे हुए या नहीं (विलंब के दिनों की संख्या) | | | | |

**स्थान:**

**दिनांक:**

**[बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर]**

**नाम:**

**पदनाम:**

**मुहर:**

**अनुलग्नक-V**

*कंपनी/फर्म/संगठन के लेटर हेड पर*

**कृपया अपने पत्राचार में सदैव उल्लेख करें**

संदर्भ सं. दिनांक:

डॉ. सारदा प्रसन महांति
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
6, संसद मार्ग, नई दिल्ली

महोदय,

**कार्य का नाम: _**

**बोलीदाता के कार्य-निष्पादन के संबंध में क्लाइंट का प्रमाणपत्र**

हम पुष्टि करते हैं कि मेसर्स..... (बोलीदाता का नाम) ने हमारे लिए निम्नलिखित कार्य किया/किए है/हैं। उक्त फर्म को ..... तक की लागत वाला उपर्युक्त कार्य सौंपने के लिए सक्षम माना जा सकता है।

2. आपके अवलोकन और रिकॉर्ड के लिए अन्य विवरण नीचे दिए गए हैं:

| क्र. सं. | विवरण | क्लाइंट की टिप्पणी |
|---|---|---|
| 1 | संक्षिप्त विवरण सहित पात्र कार्य का नाम | |
| 2 | कार्य आदेश सं. और तारीख | |
| 3 | परियोजना/कार्य की लागत | |
| 4 | कार्य आरंभ होने की तारीख | |
| 5 | पूर्ण होने की निर्धारित तारीख | |
| 6 | पूर्ण होने की वास्तविक तारीख | |
| 7 | विलंब के लिए लगाए गए मुआवज़े का विवरण (राशि दर्शाएँ), यदि कोई हो | |
| 8 | पूर्ण किए गए और भुगतान किए गए कार्य की सकल राशि | |
| 9 | **कार्य-निष्पादन रिपोर्ट:** | उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / ठीक / संतोषजनक / खराब |

| क्र. सं. | विवरण | क्लाइंट की टिप्पणी |
|---|---|---|
| | (i) निष्पादित कार्य की गुणवत्ता (ग्रेडिंग दर्शाएँ) | |
| | (ii) यदि फर्म वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) के अंतर्गत प्रणाली का रखरखाव कर रही है, तो एएमसी के कार्य-निष्पादन की ग्रेडिंग दर्शाएँ | |
| 10 | मेसर्स _ की क्षमताओं पर क्लाइंट की टिप्पणी (ग्रेडिंग दर्शाएँ): उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / ठीक / संतोषजनक / खराब | |
| | (क) तकनीकी दक्षता | |
| | (ख) वित्तीय सुदृढ़ता | |
| | (ग) जनशक्ति जुटाना | |
| | (घ) सामान्य व्यवहार | |
| 11 | कोई अन्य जानकारी, जो आपके विचार से हमें निर्णय लेने में सहायक होगी। | |

क्लाइंट के कार्यालय की मुहर

भवदीय,

(उत्तर देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर*)
कृते अधीक्षण अभियंता (ई)/कार्यपालक अभियंता (ई)

* कार्य-निष्पादन रिपोर्ट/क्लाइंट प्रमाणपत्र के संबंध में, सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए किए गए कार्यों के लिए, प्रमाणपत्र पर संबंधित कार्यपालक अभियंता या समकक्ष या उससे उच्च पद के अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। निजी कंपनियों के लिए किए गए कार्यों के लिए, साख/संविदा राशि सिद्ध करने के लिए टीडीएस की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(i) सभी कॉलम ठीक से भरे जाने चाहिए।

(ii) प्रत्येक पूर्व-अर्हता कार्य के लिए क्लाइंट प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय को संबोधित सीलबंद लिफ़ाफ़े में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

**<u>अनुलग्नक-VI</u>**

*बैंक के लेटर हेड पर*

**कृपया अपने पत्राचार में सदैव उल्लेख करें**

संदर्भ सं. दिनांक:

डॉ. सारदा प्रसन महांति

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

6, संसद मार्ग, नई दिल्ली

महोदय,

**कार्य का नाम: _**

**<u>बैंकर का प्रमाणपत्र</u>**

हम पुष्टि करते हैं कि मेसर्स  हमारे बैंक के ग्राहक हैं। उन्हें ₹ ..... तक की किसी भी संविदा को सौंपने के लिए वित्तीय रूप से सुदृढ़ माना जा सकता है।

2. आपके अवलोकन और रिकॉर्ड के लिए अन्य विवरण नीचे दिए गए हैं:

| क्र. सं. | विवरण | बैंक की टिप्पणी |
|---|---|---|
| 1 | फर्म की संरचना (साझेदारी/स्वामित्व/पब्लिक लिमिटेड) | |
| 2 | फर्म के स्वामी/साझेदारों/निदेशकों के नाम | |
| 3 | उनके द्वारा ली जा रही ऋण सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा | |
| 4 | लेन-देन | |
| 5 | वह अवधि, जब से फर्म आपके बैंक के साथ बैंकिंग कर रहा है | |
| 6 | कोई अन्य टिप्पणी | |

3. यह प्रमाणपत्र बैंक या उसके किसी अधिकारी की किसी गारंटी या ज़िम्मेदारी के बिना जारी किया जाता है।

भवदीय,

बैंक की मुहर (हस्ताक्षर)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

कृते बैंक

**अनुलग्नक-VII**

## बयाना राशि (ईएमडी) के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

**(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर)**

डॉ. सारदा प्रसन महांति

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

6, संसद मार्ग, नई दिल्ली

महोदय,

कार्य का नाम .....

संदर्भ: एनआईटी/विज्ञापन सं. दिनांक

**जबकि** भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है, ने अपने कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली के माध्यम से (जिसे इसके बाद 'आरबीआई' कहा गया है) उक्त निविदा दस्तावेज़ों में उल्लिखित नियमों और शर्तों पर उपर्युक्त कार्य के लिए निविदाएँ आमंत्रित की हैं (जिसे इसके बाद "उक्त निविदा" कहा गया है)। निविदाएँ आमंत्रित करने की शर्तों में से एक शर्त यह है कि बोलीदाता बयाना राशि (ईएमडी) के रूप में ₹ __(रुपये_ मात्र) की राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा। मेसर्स.... (बोलीदाता का नाम) , (जिसे इसके बाद "बोलीदाता" कहा गया है), जो हमारे क्लाइंट/ग्राहक हैं, उक्त कार्य के लिए अपनी निविदा/बोली प्रस्तुत करना चाहते हैं और उन्होंने हमसे ईएमडी के संबंध में ₹ _(रुपये मात्र) की उक्त राशि के लिए आरबीआई को बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। **अब यह गारंटी साक्ष्य देती है कि**

1. हम..... _(बैंक का नाम) एतद्द्वारा आरबीआई, उसके उत्तराधिकारियों, समनुदेशितियों से सहमत हैं और वचन देते हैं कि यदि आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि बोलीदाता ने निविदा की उक्त शर्तों के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है या उनका उल्लंघन किया है, तो यह निष्कर्ष हम पर और उक्त बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा; और हम आरबीआई द्वारा माँग किए जाने पर, बिना किसी आपत्ति के आरबीआई को ₹..... __(रुपये मात्र) की राशि या आरबीआई द्वारा माँगी जाने वाली कोई कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी को उक्त शर्तों के अंतर्गत बोलीदाता के दायित्वों के उचित निष्पादन के लिए बयाना राशि के समतुल्य माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के प्रति हमारी देयता रु. (रुपये मात्र) तक की राशि ही होगी।

2. हम यह भी वचन देने के लिए सहमत हैं और पुष्टि करते हैं कि उपर्युक्तानुसार ₹..... __(रुपये_ मात्र) तक की राशि का भुगतान हमारे द्वारा बिना किसी आपत्ति या विरोध के, केवल आरबीआई की माँग पर, यह

बताते हुए लिखित नोटिस प्राप्त होने पर किया जाएगा कि राशि उन्हें देय है और हम कोई और प्रमाण या साक्ष्य नहीं माँगेंगे और आरबीआई का नोटिस हम पर निर्णायक और बाध्यकारी होगा और हमारे द्वारा किसी भी प्रकार या रूप में उस पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। हम उपर्युक्तानुसार नोटिस प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर आरबीआई द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के अंतर्गत आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व आरबीआई और बोलीदाता के बीच हुए करार या करारों या अन्य समझौतों से स्वतंत्र होगा। यह गारंटी आरबीआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना हमारे द्वारा वापस नहीं ली जाएगी। हम एतद्द्वारा आगे सहमत हैं कि –

क) उक्त करार की शर्तों को लागू करने में या उक्त निविदा में और/या इसके अंतर्गत निर्धारित किसी भी नियम और शर्त के अनुपालन में आरबीआई की ओर से कोई सहनशीलता या चूक या आरबीआई द्वारा बोलीदाता को कोई समय देना या कोई रियायत देना या उससे जुड़ा कोई अन्य मामला हमें और इस गारंटी के अंतर्गत हमारे दायित्व को किसी भी प्रकार से मुक्त नहीं करेगा। यह गारंटी केवल बोलीदाताओं द्वारा अपने दायित्वों के निष्पादन से और ऐसा करने में उनके विफल रहने की स्थिति में, हमारे द्वारा ₹....._ (रुपये_ मात्र) तक की राशि का भुगतान किए जाने से ही समाप्त होगी।

ख) इस विलेख के अंतर्गत हमारी देयता ₹ ....._(रुपये_ मात्र) तक की राशि ही होगी।

ग) इस करार के अंतर्गत हमारी देयता उक्त कार्य के लिए निविदा देने में या उसके अंतर्गत उनके दायित्वों में हमारे उक्त ग्राहकों/क्लाइंटों की ओर से किसी कमी या अनियमितता से या हमारे उक्त ग्राहकों के विघटन या उनके गठन में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी।

घ) यह गारंटी.... _(निविदा प्राप्त होने की अंतिम तारीख से छह माह) तक लागू रहेगी, बशर्ते कि यदि आरबीआई ऐसा चाहे, तो इस गारंटी को इसमें दिए गए समान नियमों और शर्तों पर उनके द्वारा बताई जाने वाली और अवधि के लिए नवीकृत किया जाएगा।

ङ) इस दस्तावेज़ के तहत हमारी ज़िम्मेदारी तब समाप्त हो जाएगी जब या तो इसे ऊपर बताए अनुसार _____ तारीख को नवीनीकृत (रिन्यू) किया जाए, या फिर उस दिन जब हमारे संबंधित पक्ष अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर लें (जिसके लिए आरबीआई द्वारा दिया गया लिखित प्रमाण ही अंतिम सबूत माना जाएगा) - इनमें से जो भी तारीख बाद में आए। यदि _____ की अवधि (या बढ़ाई गई कोई अवधि) के भीतर हमारे खिलाफ कोई दावा, मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ आरबीआई के सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे, और हम अपनी सभी ज़िम्मेदारियों और दायित्वों से मुक्त हो जाएंगे।

भवदीय,

_बैंक के लिए और उसकी ओर से

प्राधिकृत अधिकारी (मुहर सहित)

(ध्यान दें: इस गारंटी पर उस राज्य में लागू स्टांप शुल्क देना होगा, जहाँ इसे निष्पादित किया जाता है और इस पर उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँगे, जिसके हस्ताक्षर और प्राधिकार का सत्यापन किया जाएगा।)

**अनुलग्नक-VIII**

## करार की शर्तें (आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट)/संविदा करार का प्रारूप

**(सफल बोलीदाता के लिए)**

**(लागू स्टांप अधिनियम के अनुसार उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर)**

एक पक्ष के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत गठित निगमित निकाय, जिसका पंजीकृत कार्यालय केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई – 400 001 में है) (जिसे इसके बाद "बैंक" कहा गया है), जिसका प्रतिनिधित्व ..... द्वारा किया जा रहा है और इस अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे, तथा दूसरे पक्ष के रूप में..... _, जो..... _ के अंतर्गत निगमित है और जिसका पंजीकृत कार्यालय..... में है (जिसे इसके बाद "ठेकेदार" कहा गया है) और इस अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि और समनुदेशिती शामिल होंगे, के बीच **यह संविदा करार** 2026 के.....माह के..... दिन निष्पादित किया गया।

**जबकि** बैंक आईआईटीएफ 2026, भारत मंडपम परिसर में आईटीपीओ द्वारा 14-27 नवंबर, 2026 के दौरान आयोजित किए जाने वाले मेले में आरबीआई स्टॉल के डिज़ाइन, फैब्रिकेशन, सजावट और रखरखाव के लिए ठेकेदार को नियुक्त करना चाहता है और ठेकेदार इसके बाद दिए गए नियमों और शर्तों पर और उनके अधीन ऐसी नियुक्ति के लिए सहमत हो गया है।

**और जबकि** बैंक ने कार्य के दायरे और निविदा के साथ संलग्न अन्य दस्तावेज़ों में बताए अनुसार "....." उपलब्ध कराने की सेवाएँ देने के लिए पात्र ठेकेदारों से निविदाएँ आमंत्रित की थीं।

**और जबकि** ठेकेदार और अन्य ने निविदा प्रस्तुत की और बैंक ने निविदा दस्तावेज़ के साथ संलग्न कार्य के दायरे में बताए अनुसार ....." उपलब्ध कराने की संविदा ठेकेदार को सौंप दी है।

**और जबकि** ठेकेदार यहाँ दी गई शर्तों और दोनों पक्षों द्वारा संशोधित और अंततः स्वीकार किए गए निविदा दस्तावेज़ों (भाग I, भाग II, अनुलग्नक और उनके संशोधन) में दी गई शर्तों (जिन सभी को इसके बाद सामूहिक रूप से "उक्त शर्तें" कहा गया है) के अधीन, निविदा दस्तावेज़ों (भाग I, भाग II, अनुलग्नक और उनके संशोधन) में बताए गए नियमों और शर्तों में वर्णित और कार्य के विस्तृत दायरे में शामिल कार्यों को उनमें निर्धारित संबंधित दरों पर, उनमें कोट की गई राशि या उसके अंतर्गत देय होने वाली किसी अन्य राशि (जिसे इसके बाद "उक्त संविदा राशि" कहा गया है) के लिए निष्पादित करने के लिए सहमत हो गया है।

**अब एतद्द्वारा निम्नानुसार सहमति हुई है:**

1 **संविदा करार:** निम्नलिखित दस्तावेज़ बैंक और ठेकेदार के बीच संविदा होंगे और प्रत्येक को संविदा का अभिन्न अंग मानकर पढ़ा और समझा जाएगा:

क) यह संविदा करार और इसके परिशिष्ट

ख) अवार्ड पत्र संदर्भ सं.

ग) बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त

घ) निविदा प्रक्रिया के दौरान आदान-प्रदान किए गए सभी ई-मेल और पत्र

ङ) बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) और भाग II (मूल्य बोली) की बोली

च) किसी भी शुद्धिपत्र/परिशिष्ट सहित निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)।

2 **संविदा मूल्य:** बैंक एतद्द्वारा इसके अंतर्गत बोलीदाता द्वारा अपने दायित्वों के निष्पादन के प्रतिफल में बोलीदाता को संविदा मूल्य का भुगतान करने के लिए सहमत है। संविदा मूल्य [निविदा के भाग II में दिया गया मूल्य] का योग या संविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार निर्धारित ऐसी अन्य राशि होगी।

3 **बयाना राशि:** ठेकेदार ने निविदा दस्तावेज़ के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली के पक्ष में खाता सं.: 06869229906, आईएफएस कोड: RBIS0NDPA01 में एनईएफटी के रूप में ₹30,000/- के बराबर बयाना राशि (ईएमडी) जमा की है। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। ठेकेदार द्वारा भुगतान की गई बयाना राशि परफॉर्मेंस बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करने के बाद जारी की जाएगी।

4 **परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (पीबीजी):** ठेकेदार कार्य आरंभ होने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली के पक्ष में संविदा राशि के 5% की दर से पीबीजी जमा करेगा। यह पीबीजी आरंभ में संविदा अवधि और 60 दिनों की अवधि के लिए वैध होगी। इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठेकेदार द्वारा जमा की गई पीबीजी ठेकेदार के असंतोषजनक कार्य-निष्पादन और/या उसके द्वारा तैनात कामगारों की विफलता या लापरवाही के कारण बैंक को हुई हानि/क्षति, यदि कोई हो, की स्थिति में या करार के नियमों और शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में ज़ब्त या समायोजित की जा सकेगी। तथापि, बैंक द्वारा स्वीकृति पत्र/कार्य आदेश जारी करना बाध्यकारी संविदा माना जाएगा, मानो ऐसा करार निष्पादित कर दिया गया हो और सभी नियम और शर्तें इस संविदा पर लागू होंगी। निविदा में निर्धारित अनुसार पीबीजी प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रस्तुत करने में विलंब होने पर, पीबीजी प्रस्तुत करने में विलंब का प्रभार बैंक दर पर ठेकेदार के बिलों से वसूल किया जाएगा। संविदा बढ़ाए जाने की स्थिति में भी ठेकेदार परफॉर्मेंस बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा और पीबीजी नवीकृत संविदा की समाप्ति की तारीख से 90 दिनों की अवधि तक वैध होगी।

5 **भुगतान की शर्तें:** बैंक द्वारा ठेकेदार को भुगतान निविदा के भाग I के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कामगारों को भुगतान की गई मज़दूरी और भत्ते सरकारी मज़दूरी विनियमों के अनुरूप हों।

कामगारों को न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या किसी अन्य लागू कानून के अंतर्गत न्यूनतम मज़दूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कामगारों को लागू अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि और/या बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अनुसार लाभांश तथा ईएसआई अधिनियम, 1948 के अंतर्गत ईएसआई दिया जाना चाहिए। ईएसआई न होने की स्थिति में, ठेकेदार को कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत कर्मकार प्रतिकर बीमा जैसे बीमा कवरेज के अंतर्गत देयता लेनी चाहिए। कर्मकार प्रतिकर पॉलिसियाँ बैंक के साथ संविदा की वैधता तक वैध रहेंगी। यदि ठेकेदार ये पॉलिसियाँ उपलब्ध नहीं कराता है, तो बैंक उपर्युक्त बीमा पॉलिसियाँ स्वयं लेने और उसकी लागत ठेकेदार के बिल से वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कुल प्रीमियम ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। लागू अपेक्षाओं के अनुसार, ठेकेदार के पास अपने कामगारों के लिए ईपीएफ अंशदान करने हेतु वैध ईपीएफ खाता होगा। किसी सांविधिक भुगतान का अनुपालन न करने से संबंधित किसी शिकायत की स्थिति में, संविदा समाप्त करने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे बिल से काट लिया जाएगा। ठेकेदार श्रम संहिताओं के सभी सांविधिक प्रावधानों का पालन करेगा और 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा। ठेकेदार लागू कानूनों की अपेक्षाओं को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार होगा।

6 **बीमा:**

ठेकेदार अपने खर्च पर, इस संविदा के अंतर्गत कार्य आरंभ होने की तारीख से पूर्णता प्रमाणपत्र जारी होने तक, किसी अनुमोदित बीमा कंपनी से संविदा की राशि के बराबर राशि के लिए भूकंप जोखिम सहित, बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नामों में (पॉलिसी में पहले बैंक का नाम रखते हुए), ठेकेदारों के लिए मानक ऑल रिस्क पॉलिसी के अनुसार सभी जोखिमों के विरुद्ध ऑल रिस्क्स बीमा पॉलिसी लेगा और उसे बनाए रखेगा तथा कार्य आरंभ करने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियाँ बैंक के पास जमा करेगा।

ठेकेदार व्यक्तियों, पशुओं या वस्तुओं को होने वाली सभी चोटों और संपत्ति को होने वाली सभी संरचनात्मक और सजावटी क्षति के लिए उचित रूप से उत्तरदायी माना जाएगा, जो ठेकेदार या उसके कामगारों या किसी नामित उप-ठेकेदार या उनमें से किसी के कर्मचारी के कार्य या लापरवाही से उत्पन्न हो, चाहे ऐसी चोट या क्षति लापरवाही, दुर्घटना या किसी भी अन्य कारण से उत्पन्न हो, जो किसी भी रूप में इस संविदा के निष्पादन से जुड़ी हो। इस क्लॉज़ के अंतर्गत देयता में, अन्य बातों के साथ-साथ, भवन को होने वाली कोई भी क्षति, चाहे वह ठीक बगल में हो या अन्यथा,

और सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों या रास्तों को होने वाली कोई भी क्षति तथा इस संविदा की विषय-वस्तु बनने वाले भवन और अन्य संरचनाओं और कार्यों को होने वाली सभी क्षति शामिल मानी जाएगी। ठेकेदार पाले, बारिश, हवा या मौसम की अन्य खराबी से इस संविदा की विषय-वस्तु बनने वाले भवन और अन्य संरचनाओं और कार्यों को होने वाली किसी भी क्षति के लिए भी ज़िम्मेदार होगा। ठेकेदार उपर्युक्त व्यक्तियों या संपत्ति को होने वाली ऐसी किसी चोट या क्षति से उत्पन्न सभी और किसी भी हानि और व्यय के संबंध में तथा चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के विरुद्ध, चाहे वह किसी कानून के तहत हो या अन्यथा, और ऐसे दावे के परिणामस्वरूप दिए गए मुआवज़े या क्षतिपूर्ति के किसी भी अवार्ड के संबंध में भी बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा, उसे क्षतिपूरित रखेगा और उसे हानि से बचाएगा।

ठेकेदार इस क्लॉज़ में उल्लिखित हर प्रकार की क्षति को इस प्रकार ठीक करेगा कि संपूर्ण संविदा कार्य सभी प्रकार से पूर्ण और त्रुटिरहित स्थिति में सौंपे जा सकें और तृतीय पक्षों की संपत्ति की क्षति के सभी दावों का निपटान किया जा सके या उन्हें अन्यथा संतुष्ट किया जा सके। ठेकेदार कार्यों के संबंध में या उनके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी बात के संबंध में किसी भी व्यक्ति/जनता के सदस्य या अन्य तृतीय पक्ष द्वारा बैंक के विरुद्ध किए जा सकने वाले सभी दावों के विरुद्ध भी बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा और उसे क्षतिपूरित रखेगा तथा अपने खर्च पर, कार्य आरंभ होने की तारीख से संविदा पूर्ण होने तक, किसी अनुमोदित बीमा कंपनी से ऐसे जोखिमों के विरुद्ध बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नामों में (पॉलिसी में पहले बैंक का नाम रखते हुए) बीमा पॉलिसी लेगा और उसे बनाए रखेगा तथा कार्य आरंभ होने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियाँ बैंक के पास जमा करेगा। पॉलिसी के तहत कवरेज की न्यूनतम सीमा वही होगी, जो संविदा की सामान्य शर्तों में अन्यत्र परिभाषित की गई है। ठेकेदार इसी प्रकार ठेकेदार या किसी उप-ठेकेदार के किसी कर्मचारी के संबंध में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम या इस संविदा की अवधि के दौरान लागू किसी अन्य कानून या कॉमन लॉ के तहत बैंक पर किए जा सकने वाले सभी दावों के विरुद्ध भी बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा और अपने खर्च पर, कार्य आरंभ होने की तारीख से संविदा पूर्ण होने तक, किसी अनुमोदित बीमा कंपनी से ऐसे जोखिमों के विरुद्ध बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नामों में (पॉलिसी में पहले बैंक का नाम रखते हुए) बीमा पॉलिसी लेगा और उसे बनाए रखेगा तथा संविदा की अवधि के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियाँ बैंक के पास जमा करेगा। ठेकेदार द्वारा ऊपर बताए अनुसार बीमा न कराने की स्थिति में, बैंक स्वयं बीमा करा सकता है और भुगतान किए गए प्रीमियम को ठेकेदार को देय या देय होने वाली किसी भी राशि से काट सकता है।

ठेकेदार ऊपर संदर्भित बीमा पॉलिसियों से बाहर रखी गई किसी भी देयता के लिए और इस संविदा के लापरवाहीपूर्ण या दोषपूर्ण निष्पादन से और उसके दौरान किसी भी व्यक्ति, पशु या संपत्ति को

होने वाली अन्य सभी क्षतियों के लिए भी ज़िम्मेदार होगा, चाहे क्षति किसी भी कारण से हुई हो। वह कार्यों से संबंधित किसी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न सभी और किसी भी लागत, प्रभार या व्यय के संबंध में और उससे उत्पन्न मुआवज़े या क्षतिपूर्ति के किसी भी अवार्ड के संबंध में भी बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा और उसे क्षतिपूरित रखेगा। ऐसी चूक के संबंध में ठेकेदार के विरुद्ध बैंक के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक ठेकेदार को देय किसी भी राशि में से बैंक द्वारा भुगतान की गई और इस क्लॉज़ के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा देय किसी भी क्षति, मुआवज़े, लागत, प्रभार और अन्य व्यय की राशि काटने का हकदार होगा। इस क्लॉज़ के अंतर्गत ली गई पॉलिसी के अनुसार बीमाकर्ता के विरुद्ध किए गए किसी दावे का बीमाकर्ता द्वारा निपटान किए जाने पर, ठेकेदार नष्ट या क्षतिग्रस्त कार्यों का पुनर्निर्माण या मरम्मत पूरी तत्परता से करेगा। इस स्थिति में ऐसी क्षति के संबंध में बीमाकर्ता से प्राप्त सारी राशि ठेकेदार को दी जाएगी और ठेकेदार नष्ट या क्षतिग्रस्त सामग्री या वस्तुओं के निर्माण या मरम्मत पर किए गए व्यय के संबंध में किसी और भुगतान का हकदार नहीं होगा।

क्षति के बाद पुनर्निर्माण या पूर्ववत स्थिति में लाने की स्थिति में, ठेकेदार कार्य पूर्ण करने के लिए उतनी समय-वृद्धि का हकदार होगा, जितनी बैंक उचित समझे, किंतु वह यहाँ बताए अनुसार उत्पन्न किसी दावे के निपटान में बीमाकर्ता द्वारा अंततः भुगतान की गई राशि में किसी कमी की बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

इस क्लॉज़ के अंतर्गत अपनी देयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ठेकेदार सभी नामित उप-ठेकेदारों से भी उनके संबंधित कार्य-भागों के लिए इस क्लॉज़ के प्रावधानों के अनुसार इसी प्रकार की बीमा पॉलिसियाँ लिवाएगा और ऐसी पॉलिसियाँ बैंक के समक्ष प्रस्तुत करेगा या करवाएगा। ठेकेदार किसी नामित उप-ठेकेदार को तब तक साइट पर कार्य आरंभ करने की अनुमति नहीं देगा, जब तक उक्त बीमा पॉलिसियाँ प्रस्तुत न कर दी जाएँ। साइट पर कार्य आरंभ करने से पहले उप-ठेकेदार द्वारा ऐसी बीमा पॉलिसी या पॉलिसियाँ न लेने की स्थिति में, उक्त उप-ठेकेदार के कारण होने वाले किसी भी दावे या क्षति के लिए ठेकेदार ज़िम्मेदार होगा।

ऊपर उल्लिखित बीमा संबंधी सभी शर्तों को पूरा करने के लिए, ठेकेदार कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 14 दिनों के भीतर, अपनी लागत पर कार्यों का बीमा कराएगा और कार्य के वर्चुअल पूर्णता तक उन्हें आग से होने वाली हानि या क्षति के विरुद्ध बीमित रखेगा। यह बीमा किसी बीमा कार्यालय से बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नामों में (पॉलिसी में पहले बैंक अर्थात् "भारतीय रिज़र्व बैंक" का नाम रखते हुए) कराया जाएगा। इसमें निम्नलिखित जोखिम शामिल होंगे:

i. पूरे संविदा मूल्य के लिए भंडारण, इरेक्शन, परीक्षण और कमीशनिंग पॉलिसी सहित ठेकेदार ऑल रिस्क (सीएआर) पॉलिसी बीमा, जिसमें आग का जोखिम और निर्माता के कार्यस्थल से

साइट तक परिवहन (लागू अनुसार हवाई/समुद्री/सड़क मार्ग आदि से) के लिए ट्रांज़िट बीमा शामिल हो।

ii. साइट पर ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए कर्मकार प्रतिकर पॉलिसी।

iii. प्रति दुर्घटना ₹2 लाख की सीमा के साथ, अधिकतम तीन दुर्घटनाओं तक, तृतीय पक्ष देयता पॉलिसी।

7 **कार्य पूर्ण होने का समय:** परियोजना के पूर्ण होने की अवधि 12 नवंबर, 2026 की शाम तक या उससे पहले होगी। समय को इस संविदा का सार माना जाएगा और ठेकेदार एतद्द्वारा सहमत है कि वह साइट सौंपे जाने के तुरंत बाद कार्य आरंभ करेगा और उक्त शर्तों में दिए गए प्रावधान के अनुसार, तथापि समय-वृद्धि के प्रावधानों के अधीन, संपूर्ण कार्य पूरा करेगा।

8 **परिशिष्ट:** परिशिष्टों की संलग्न सूची में सूचीबद्ध परिशिष्ट इस संविदा करार का अभिन्न अंग होंगे। संविदा में किसी परिशिष्ट के संदर्भ से अभिप्राय इसके साथ संलग्न परिशिष्ट से होगा और संविदा को तदनुसार पढ़ा और समझा जाएगा।

9 **क्षेत्राधिकार:** इस करार से उत्पन्न या किसी भी रूप में इससे जुड़े सभी विवाद नई दिल्ली में उत्पन्न हुए माने जाएँगे और उनका निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार केवल दिल्ली एनसीटी के न्यायालयों को होगा।

10 **भाषा:** निविदा प्रपत्र अंग्रेज़ी या हिंदी में भरा जाएगा। दस्तावेज़ों के अंग्रेज़ी और हिंदी संस्करणों के बीच किसी विसंगति या अस्पष्टता की स्थिति में, व्याख्या के मामलों में अंग्रेज़ी संस्करण मान्य होगा। बोली के समर्थन में या संविदा के अंतर्गत अन्यथा आदान-प्रदान किए गए सभी पत्राचार, ड्रॉइंग, डिज़ाइन, डेटा, जानकारी, कोड, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज़ अंग्रेज़ी या हिंदी में होंगे।

11 **गोपनीयता (नॉन-डिस्क्लोज़र):**

i. इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करते समय सेवा प्रदाता और/या डीबी डेवलपर के कब्ज़े या जानकारी में आने वाली बैंक के इन्फ्रास्ट्रक्चर/प्रणालियों/उपकरणों आदि की कोई भी जानकारी, सामग्री और विवरण ठेकेदार किसी तृतीय पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा और उन्हें हर समय पूरी तरह गोपनीय रखेगा। ठेकेदार संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय उस सीमा तक जहाँ तक उसके अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक हो। ठेकेदार द्वितीय पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी व्यापारिक या तकनीकी पत्रिका में या अन्यत्र सेवाओं/कार्यों का कोई विवरण प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगा या प्रकट नहीं करेगा। उपर्युक्त का

पालन न करना, जैसा भी मामला हो, ठेकेदार की ओर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और द्वितीय पक्ष क्षतिपूर्ति का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा।

ii. ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस करार के अंतर्गत गोपनीय जानकारी प्रकट न करने के दायित्व पूरी तरह पूरे हों।

iii. औपचारिक संविदा करार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस निविदा के अंतर्गत ठेकेदार पर बाध्यकारी सभी गोपनीयता और जानकारी प्रकट न करने के दायित्व किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति, पूर्ण होने या समापन के बाद भी लागू रहेंगे।

12 **कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम**

i. ठेकेदार "कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार होगा। बैंक के परिसर में उसके अपने कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी शिकायत की स्थिति में, शिकायत ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी, जो शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के अंतर्गत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

ii. ठेकेदार के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

iii. यदि घटना में ठेकेदार का कर्मचारी शामिल है, तो दिए जाने वाले किसी भी आर्थिक मुआवज़े के लिए ठेकेदार ज़िम्मेदार होगा, उदाहरण के लिए, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा सिद्ध होती है, तो बैंक के कर्मचारी को कोई आर्थिक राहत।

ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूक करने के लिए ज़िम्मेदार होगा।

13 **बैंक द्वारा संविदा की समाप्ति**

यदि व्यक्ति या फर्म के रूप में ठेकेदार कोई "दिवाला कृत्य" करता है या उसे दिवालिया घोषित किया जाता है या निगमित कंपनी होने की स्थिति में उसके विरुद्ध अनिवार्य परिसमापन का आदेश दिया जाता है या वह स्वैच्छिक रूप से या न्यायालय की देखरेख में परिसमापन के लिए प्रभावी संकल्प पारित करती है और ऐसे दिवाला कृत्यों या परिसमापन, जैसा भी मामला हो, में आधिकारिक समनुदेशिती या परिसमापक, उससे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाला नोटिस दिए जाने के सात दिनों के भीतर, बैंक को उचित रूप से संतुष्ट नहीं कर पाता है कि वह संविदा को पूरा करने में सक्षम है और यदि बैंक द्वारा अपेक्षित हो, तो उसके लिए प्रतिभूति देने में सक्षम है।

या यदि ठेकेदार (चाहे व्यक्ति, फर्म या निगमित कंपनी हो) के विरुद्ध संपत्ति कुर्क करने का न्यायालय का निष्पादन या अन्य आदेश जारी होता है,

या इस संविदा के अंतर्गत कोई भुगतान ठेकेदार के किसी लेनदार द्वारा या उसकी ओर से कुर्क किया जाता है,

या वह बैंक की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना इस संविदा को समनुदेशित या सब-लेट करता है,

या वह इस संविदा या इसके अंतर्गत ठेकेदार को देय या देय होने वाले किसी भुगतान पर प्रभार सृजित करता है या उसे भारग्रस्त करता है,

या यदि बैंक यह निर्धारित करता है कि ठेकेदार ने

i. संविदा का परित्याग कर दिया है, या

ii. कार्य आरंभ करने में विफल रहा है, या बैंक से कार्य जारी रखने का नोटिस प्राप्त होने के बाद इन शर्तों के अंतर्गत बिना किसी वैध कारण के 14 दिनों तक कार्य की प्रगति रोक दी है, या

iii. कार्य को इतनी तत्परता से जारी रखने और इतनी प्रगति करने में विफल रहा है, जिससे कार्य सहमत समय के भीतर पूरा हो सके, या

iv. यह लिखित नोटिस प्राप्त होने के बाद कि उक्त सामग्री या कार्य को इन शर्तों के अंतर्गत बैंक द्वारा अनुपयुक्त ठहराकर अस्वीकार कर दिया गया है, सात दिनों तक साइट से सामग्री हटाने या कार्य को गिराकर बदलने में विफल रहा है, या

v. संविदा के अनुसार ठेकेदार द्वारा पालन किए जाने वाले और किए जाने वाले सभी या किन्हीं कार्यों, मामलों या बातों का पालन करने की अपेक्षा करने वाला लिखित नोटिस ठेकेदार को दिए जाने के बाद सात दिनों तक लगातार उनकी उपेक्षा की है या उनका पालन करने में विफल रहा है।

तब उक्त किसी भी मामले में, बैंक किसी पूर्व छूट के होते हुए भी, ठेकेदार को सात दिनों का लिखित नोटिस देने के बाद संविदा को समाप्त कर सकता है और ठेकेदार की देयताएँ, जो सभी पूरी तरह इस प्रकार लागू रहेंगी मानो संविदा समाप्त न की गई हो और मानो बाद में निष्पादित कार्य ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किए गए हों। इसके अलावा, बैंक अपने एजेंटों या कर्मचारियों के माध्यम से कार्यस्थल में प्रवेश कर सकता है और परिसर या आसपास की भूमि या सड़कों पर पड़े कार्यों और सभी संयंत्र, औज़ार, स्कैफोल्डिंग, मशीनरी और सामग्री को अपने कब्ज़े में ले सकता है और उन्हें अपनी संपत्ति के रूप में उपयोग कर सकता है या अपने कर्मचारियों और कामगारों के माध्यम से कार्य जारी रखने और पूरा करने में या कार्य पूरा करने के लिए किसी अन्य ठेकेदार या

अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को नियोजित करके उनका उपयोग कर सकता है और ठेकेदार कार्य को पूरा करने और समाप्त करने या कार्यों के लिए सामग्री और संयंत्र का उपयोग करने के लिए नियोजित ऐसे अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के कार्य में किसी भी प्रकार से बाधा नहीं डालेगा या उन्हें रोकने या बाधित करने के लिए कोई कार्य, मामला या बात नहीं करेगा। जब कार्य पूरा हो जाएगा या उसके बाद जितनी जल्दी सुविधाजनक हो, बैंक ठेकेदार को उसकी अतिरिक्त सामग्री और संयंत्र हटाने के लिए लिखित नोटिस देगा और यदि ठेकेदार उसकी प्राप्ति के बाद चौदह दिनों की अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो बैंक उन्हें सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच सकता है और प्राप्त निवल राशि ठेकेदार के खाते में जमा कर सकता है। इसके बाद बैंक अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में यह सुनिश्चित और प्रमाणित करेगा कि बैंक द्वारा इस प्रकार कब्ज़े में लिए गए उक्त संयंत्र और सामग्री के मूल्य और कार्य पूरा कराने में बैंक को हुए व्यय या हानि के लिए बैंक को या बैंक द्वारा क्या (यदि कुछ हो) देय या भुगतान योग्य है और ठेकेदार को देय राशि, यदि कोई हो, और इस प्रकार प्रमाणित राशि का भुगतान, जैसा भी मामला हो, बैंक द्वारा ठेकेदार को या ठेकेदार द्वारा बैंक को किया जाएगा और बैंक का निर्णय पक्षकारों के बीच अंतिम और निर्णायक होगा।

**इसके साक्ष्य में** बैंक और बोलीदाता ने ऊपर सबसे पहले लिखे गए दिन और वर्ष को अपने विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा इस करार को विधिवत निष्पादित कराया है।

बैंक के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षरित

[हस्ताक्षर]

[नाम और पदनाम]

निम्नलिखित की उपस्थिति में:

1. [गवाह 1 के हस्ताक्षर और विवरण]
2. [गवाह 2 के हस्ताक्षर और विवरण]

बोलीदाता के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षरित

[हस्ताक्षर]

[नाम और पदनाम]

निम्नलिखित की उपस्थिति में:

1. [गवाह 1 के हस्ताक्षर और विवरण]
2. [गवाह 2 के हस्ताक्षर और विवरण]

**अनुलग्नक-IX**

**परफॉर्मेंस प्रतिभूति जमा/रिटेंशन मनी के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा**

**(जारीकर्ता बैंक के नाम से खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर)**

स्थान : _

दिनांक :

डॉ. सारदा प्रसन महांति

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

6, संसद मार्ग, नई दिल्ली

महोदय,

कार्य का नाम: - परफॉर्मेंस प्रतिभूति जमा/रिटेंशन मनी के लिए बैंक गारंटी

**जबकि** भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है (जिसे इसके बाद "आरबीआई" कहा गया है), ने उपर्युक्त प्रोजेक्ट के लिए संविदा (जिसे इसके बाद "संविदा" कहा गया है) मेसर्स.....(बोलीदाता का नाम) (जिसे इसके बाद "उक्त बोलीदाता" कहा गया है और इस अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे) को सौंपी है। और जबकि उक्त संविदा के अनुसार बोलीदाता संविदा में दिए गए नियमों और शर्तों को उक्त बोलीदाता द्वारा विधिवत पूरा करने के लिए आरबीआई को कुल .....₹. (रुपये मात्र) (राशि अंकों और शब्दों में) की परफॉर्मेंस प्रतिभूति प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। हम, ..... (बैंक का नाम), (जिसे इसके बाद "बैंक" कहा गया है), बोलीदाता मेसर्स..... के अनुरोध पर, एतद्द्वारा संविदा के नियमों और शर्तों को विधिवत पूरा करने के लिए परफॉर्मेंस गारंटी के रूप में आरबीआई को ₹..... तक की राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

**अब यह गारंटी साक्ष्य देती है कि**

1. हम..... (बैंक का नाम) एतद्द्वारा आरबीआई, उसके उत्तराधिकारियों, समनुदेशितियों से सहमत हैं और वचन देते हैं कि यदि आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि बोलीदाता ने संविदा की उक्त शर्तों के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है या उनका उल्लंघन किया है, तो यह निष्कर्ष हम पर और उक्त बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा; और हम आरबीआई द्वारा माँग किए जाने पर, बिना किसी आपत्ति के आरबीआई को रु. .....(रुपये मात्र) की राशि या आरबीआई द्वारा माँगी जाने वाली कोई कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी को उक्त संविदा के अंतर्गत बोलीदाता के दायित्वों के उचित निष्पादन के लिए परफॉर्मेंस गारंटी राशि के समतुल्य माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के प्रति हमारी देयता रु. (रुपये मात्र) तक की राशि ही होगी।

2. हम यह भी वचन देने के लिए सहमत हैं और पुष्टि करते हैं कि उपर्युक्तानुसार रु. .....(रुपये मात्र) तक की राशि का भुगतान हमारे द्वारा बिना किसी आपत्ति या विरोध के, केवल आरबीआई की माँग पर, यह बताते हुए लिखित नोटिस प्राप्त होने पर किया जाएगा कि राशि उन्हें देय है और हम कोई और प्रमाण या साक्ष्य नहीं माँगेंगे और आरबीआई का नोटिस हम पर निर्णायक और बाध्यकारी होगा और हमारे द्वारा किसी भी प्रकार या रूप में उस पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। बैंक इस प्रकार माँगी गई कोई भी राशि आरबीआई को भुगतान करेगा, भले ही बोलीदाता ने उससे संबंधित किसी न्यायालय, अधिकरण या मध्यस्थ(थों) के समक्ष लंबित किसी मुकदमे या कार्यवाही में कोई विवाद उठाया हो और इस गारंटी के अंतर्गत देयता पूर्ण और बिना शर्त होगी। हम उपर्युक्तानुसार नोटिस प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर आरबीआई द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के अंतर्गत आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व आरबीआई और बोलीदाता के बीच हुए करार या करारों या अन्य समझौतों से स्वतंत्र होगा।

4. यह गारंटी आरबीआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना हमारे द्वारा वापस नहीं ली जाएगी। हम एतद्द्वारा आगे सहमत हैं कि –

क) उक्त करार की शर्तों को लागू करने में या उक्त संविदा में और/या इसके अंतर्गत निर्धारित किसी भी नियम और शर्त के अनुपालन में आरबीआई की ओर से कोई सहनशीलता या चूक या आरबीआई द्वारा बोलीदाता को कोई समय देना या कोई रियायत देना या उससे जुड़ा कोई अन्य मामला हमें और इस गारंटी के अंतर्गत हमारे दायित्व को किसी भी प्रकार से मुक्त नहीं करेगा। यह गारंटी केवल बोलीदाता द्वारा अपने दायित्वों के निष्पादन से और ऐसा करने में उनके विफल रहने की स्थिति में, हमारे द्वारा रु..... (रुपये मात्र) तक की राशि का भुगतान किए जाने से ही समाप्त होगी।

ख) इस विलेख के अंतर्गत हमारी देयता रु. .....(रुपये मात्र) तक की राशि ही होगी।

ग) इस करार के अंतर्गत हमारी देयता हमारे उक्त ग्राहकों की ओर से या उसके अंतर्गत उनके दायित्वों में किसी कमी या अनियमितता से या हमारे उक्त ग्राहकों के विघटन या उनके गठन में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी।

घ) यह गारंटी (डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि के बाद 60 दिन) तक लागू रहेगी, बशर्ते कि यदि आरबीआई ऐसा चाहे, तो इस गारंटी को इसमें दिए गए समान नियमों और शर्तों पर उनके द्वारा बताई जाने वाली और अवधि के लिए नवीकृत किया जाएगा।

ङ) इस दस्तावेज़ के तहत हमारी ज़िम्मेदारी तब तक बनी रहेगी, जब तक कि इसे ऊपर बताए अनुसार रिन्यू न कर दिया जाए, या उस दिन तक बनी रहेगी जब हमारे संबंधित पक्ष अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर लें (जिसके लिए आरबीआई का लिखित प्रमाण ही अंतिम सबूत माना जाएगा) - इनमें से जो भी तारीख

बाद में आए। यदि इस अवधि (या बढ़ाई गई अवधि) के भीतर हमारे खिलाफ कोई दावा, मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ आरबीआई के सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे, और हम अपनी सभी ज़िम्मेदारियों और दायित्वों से मुक्त हो जाएंगे।

इसके साक्ष्य में, विधिवत प्राधिकृत होने के नाते, बैंक के मैंने/हमने -------- (वर्ष) के ---------- (माह) के -------- दिन इस गारंटी पर हस्ताक्षर किए हैं और मुहर लगाई है। (बैंक का नाम) के लिए और उसकी ओर से बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम: पदनाम, बैंक का स्टांप/मुहर। उपर्युक्त नामित व्यक्ति द्वारा बैंक के लिए और उसकी ओर से निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित, मुहरबंद और प्रदत्त: गवाह

1 हस्ताक्षर ..... नाम ..... पता .....

(ध्यान दें: इस गारंटी पर उस राज्य में लागू स्टांप शुल्क देना होगा, जहाँ इसे निष्पादित किया जाता है और इस पर उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँगे, जिसके हस्ताक्षर और प्राधिकार का सत्यापन किया जाएगा।)

**अनुलग्नक-X**

**भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में बोलीदाता द्वारा वचनपत्र/घोषणा/प्रमाणपत्र का प्रोफार्मा**

**(बोलीदाताओं द्वारा अपने लेटर हेड पर, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत मुहरबंद और हस्ताक्षरित करके प्रस्तुत किया जाए)**

सेवा में, दिनांक:

डॉ. सारदा प्रसन महांति
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
6, संसद मार्ग, नई दिल्ली

संदर्भ: _ के लिए आवेदन

महोदय,

मैंने/हमने ..... (बोलीदाता का नाम और पता, जिसमें बोलीदाता के स्थित होने का देश भी शामिल हो) भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंधों के संबंध में सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) फा. सं. 6/18/2019-पीपीडी दिनांक 23 जुलाई, 2020 और उसके बाद के आदेशों/संशोधनों की विषय-वस्तु को पढ़ और समझ लिया है।

2. मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि ..... (बोलीदाता का नाम)

2.1 भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से नहीं है, या

2.2 भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है और सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत है, जिसका प्रमाणपत्र संलग्न है, या

2.3 भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले ऐसे देश से है, जहाँ भारत सरकार ने ऋण सहायता (लाइन्स ऑफ क्रेडिट) दी है, या

2.4 भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले ऐसे देश से है, जहाँ भारत सरकार विकास परियोजनाओं में लगी हुई है।

(ऊपर दिए गए विकल्पों में से जो लागू न हो, उसे काट दें)।

3. मैं/हम आगे प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि ..... (बोलीदाता का नाम) इस संबंध में सभी अपेक्षाओं को पूरा करता है और ऊपर संदर्भित कार्यालय ज्ञापन और उसके बाद के आदेशों/संशोधनों के

प्रावधान के अंतर्गत विचार किए जाने के लिए पात्र है। मैं/हम यह भी वचन देता हूँ/देते हैं कि ऐसी संविदाओं के मामले में भी, जहाँ बैंक/आरबीआई द्वारा हमें उप-संविदा करने की अनुमति दी गई है, मैं/हम .....(बोलीदाता का नाम) भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश(देशों) के किसी बोलीदाता को कोई कार्य उप-संविदा पर नहीं देंगे, जब तक कि ऐसा बोलीदाता ऊपर संदर्भित कार्यालय ज्ञापन/आदेश में दी गई सभी अपेक्षाओं को पूरा न करता हो।

4. मैं/हम जानता हूँ/जानते हैं और समझता हूँ/समझते हैं कि यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह वचनपत्र/घोषणा/प्रमाणपत्र गलत पाया जाता है, तो बैंक हमारी निविदा/कार्य आदेश को अस्वीकार/समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा और बैंक कानून के अनुसार कोई भी कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए भी स्वतंत्र होगा, जिसमें बयाना राशि/परफॉर्मेंस बैंक गारंटी/प्रतिभूति जमा ज़ब्त करना और/या हमें भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से डिबार करना शामिल है।

रबड़ की मुहर के साथ बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम

दिनांक:

स्थान:

**अनुलग्नक-XI**

**बोलीदाता द्वारा कानूनी कार्रवाई/दीवानी मुकदमों/मुकदमेबाज़ी/मध्यस्थता के संबंध में वचनपत्र**

**[आवेदक के लेटर हेड पर]**

दिनांक:

सेवा में,

डॉ. सारदा प्रसन महांति

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

6, संसद मार्ग, नई दिल्ली

संदर्भ: के लिए आवेदन

महोदय,

मैं/हम ..... (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता हूँ/करते हैं कि किसी भी कानूनी क्षेत्राधिकार में किसी भी कारण से हमारे विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है/नहीं की जा रही है।

1. मैं/हम ..... (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता हूँ/करते हैं कि हमारे विरुद्ध निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की गई है/की जा रही है:

..... (कानूनी कार्रवाई, विचाराधीन परियोजना, संबंधित कानूनी प्राधिकरण आदि का विवरण) ..... .....

तथापि, हम पुष्टि करते हैं कि उपर्युक्त कानूनी कार्रवाई से पैनल में शामिल होने के आवेदन के अनुसार बैंक की अपेक्षाओं को पूरा करने की हमारी क्षमता प्रभावित नहीं होती है।

(नोट: ऊपर दी गई दो घोषणाओं में से जो लागू न हो, उसे काट दें)

2. इसके अलावा, हम ..... यह भी घोषणा करते हैं कि हमारी किसी भी निष्पादित परियोजना में दीवानी मुकदमे/मुकदमेबाज़ी/मध्यस्थता आदि का कोई मामला शुरू नहीं किया गया है।

2. इसके अलावा, हम ..... यह भी घोषणा करते हैं कि हमारी निष्पादित परियोजनाओं में निम्नलिखित दीवानी मुकदमे/मुकदमेबाज़ी/मध्यस्थता के मामले शुरू किए गए थे/हैं:

..... (परियोजना और कार्रवाई के प्रकार आदि का विवरण) ..... .....

(नोट: ऊपर दी गई दो घोषणाओं में से जो लागू न हो, उसे काट दें)

रबड़ की मुहर के साथ बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम

दिनांक:

स्थान:

**अनुलग्नक-XII**

**सार्वजनिक संस्था(ओं) द्वारा डिबारमेंट की घोषणा के संबंध में निविदा में शामिल किया जाने वाला वचनपत्र**

**(निविदाकर्ता द्वारा अपने लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाए)**

कार्य का नाम:.....

1. मैं/हम ..... (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता हूँ/करते हैं कि

क) मैं/हम या हमारी कोई भी संबद्ध फर्म* .....(बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख) की स्थिति के अनुसार भारत या किसी अन्य देश की किसी सार्वजनिक संस्था/इकाई द्वारा डिबार/निलंबित/ब्लैक लिस्ट नहीं की गई है/किए गए हैं।

ख) मैंने/हमने या हमारी किसी भी संबद्ध फर्म* ने .....(बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख) की स्थिति के अनुसार पिछले तीन वर्षों में भारत या किसी अन्य देश की किसी सार्वजनिक संस्था/इकाई के साथ सत्यनिष्ठा संहिता (जैसा कि निविदा में उल्लिखित है) के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं किया है।

ग) मैं/हम या हमारी कोई भी संबद्ध फर्म* बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया) आदेश, 2017 के उल्लंघन के लिए किसी भी खरीदार संस्था द्वारा डिबार नहीं की गई है/किए गए हैं।

घ) यदि उपर्युक्त कार्य के लिए कार्य सौंपे जाने के समय या उससे पहले मुझे/हमें या हमारी किसी संबद्ध फर्म* को भारत या किसी अन्य देश की किसी सार्वजनिक संस्था/इकाई द्वारा डिबार/निलंबित/ब्लैक लिस्ट किया जाता है, तो हम बैंक को लिखित रूप में सूचित करेंगे।

2. मैं/हम .....(बोलीदाता का नाम) घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम या हमारी संबद्ध फर्म* .....(संबद्ध फर्म(र्मों) का नाम) को .....(भारत या किसी अन्य देश की सार्वजनिक संस्था का नाम और पता) द्वारा डिबार/निलंबित/ब्लैक लिस्ट किया गया है और यह .....(तारीख) तक प्रभावी है। ऐसे पत्र की एक प्रति आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए संलग्न है।

(बोलीदाता की मुहर और हस्ताक्षर)

दिनांक

स्थान

(नोट: ऊपर दी गई दो घोषणाओं में से जो लागू न हो, उसे काट दें)

***संबद्ध फर्म:** किसी फर्म को "संबद्ध फर्म" कहा जाएगा, यदि उसका प्रबंधन समान है या प्रतिबंधित/निलंबित फर्म के पास उसके पर्याप्त या अधिकांश शेयर हैं और इस कारण उसका नियंत्रण में निर्णायक प्रभाव है। इसके अलावा, सभी उत्तराधिकारी फर्मों को भी संबद्ध फर्म माना जाएगा।